C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXIX, Twelfth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 5, Thursday, November 29, 2012/Agrahayana 8, 1934 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBSERVATION BY THE SPEAKER	2
Notices of Motion Under Rule 184	
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No.81 to 85	4-47
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.86 to 100	48-91
Unstarred Question Nos.921 to 1150	92-628

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **629-630**

STATEMENT UNDER RULE 199 **631-633**
Personal Explanation by a Member

MATTERS UNDER RULE 377 **639-654**

(i) Need to protect the tigers in the Tadoba Tiger Reserve Forest, Chandrapur

Shri Datta Meghe 640

(ii) Need to include 'Jat' community of Bharatpur and Dholpur districts of Rajasthan in the list of other Backward Classes

Shri Ratan Singh 641

(iii) Need to introduce Inner Line Permit System in Manipur

Dr. Thokchom Meinya 642

(iv) Need to utilize the funds available with NGOs for the development of the country

Shri Sajjan Verma 643

(v) Need to grant special status to minority dominated blocks in Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan

Shri Harish Chaudhary 644

(vi) Need to check incidents of death of children in Kalawati Saran Children's Hospital, Delhi

Shri Jaywant Gangaram Awale 644

(vii) Need to provide clearance to the power project unit run by the Cheyyur Ultra Mega Power Plant

Shri P. Viswanathan 645

(viii) Need to grant funds for repair and widening of road between Kochi and Thondi as well as Kundannur-Mattakkuzhy (Thrippunithura) bypass on NH No. -85 in Kerala

Shri K.P. Dhanapalan 646

(ix) Need to include Pakur, Dumka and Deoghar districts of Santhal Pargana division in Jharkahand under Integrated Action Plan

Shri Nishikant Dubey 647

(x) Need to recognize Maharaja Ganga Singh University, Bikaner under the provision of section 12B of the University Grants Commission Act

Shri Arjun Ram Meghwal 648

(xi) Need to provide better health services in rural areas of the country

Shri Virendra Kumar 649

(xii) Need to repair National Highway No. 28B in Bihar

Shri Baidyanath Prasad Mahato 649

(xiii) Need to ensure availability of fertilizers at affordable price to the farmers of the country

Dr. Ratna De 650

(xiv) Need to grant citizenship rights to Sri Lankan refugees living in Tamil Nadu and other parts of the country

Shri R. Thamaraiselvan 651

(xv) Need to protect the interests of tribals living in Parambikulam Forest in Chittur taluk of Palakkad district, Kerala

Shri P.K. Biju 652

(xvi) Need to exempt brick Kiln Units from the Supreme Court Judgment regarding ban on excavation of brick-earth without obtaining an environment clearance

Shrimati Paramjit Kaur Gulshan 653

(xvii) Need to operate international flights from Srinagar international Air-port to boost the tourism industry in the State of Jammu and Kashmir

Dr. Mirza Mehboob Beg 654

PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING (AMENDMENT) BILL, 2011 **655-725**

Motion to Consider 655

Shri P. Chidambaram 655-657

Shri Nishikant Dubey 658-665

Shri Sanjay Nirupam 666-672

Shri Shailendra Kumar 673-677

Shri Bhudeo Chaudhary 678-680

Prof. Saugata Roy 681-686

Sk. Saidul Haque 687-690

Shri Bharatruhari Mahtab 691-694

Dr. M. Thambidurai 695-697

Shri Prabodh Panda	698-699
Shri Prasanta Kumar Majumdar	700-701
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	702-704
Shri Nripendra Nath Roy	705-706
Shri Ajay Kumar	707-708
Shri P. Chidambaram	709-716
Clauses 2 to 33 and 1	717-724
Motion to pass	725
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) (AMENDMENT) BILL, 2011	**726-750**
Motion to Consider	726-750
Shri Sushilkumar Shinde	730-732
Shri Arjun Ram Meghwal	733-736
Shri P.C. Chacko	737-742
Shri Shailendra Kumar	743-744
Prof. Saugata Roy	745-748
Shri Prabodh Panda	749-750

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	763
Member-wise Index to Unstarred Questions	764-768

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	769
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	770

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, November 29, 2012/Agrahayana 8, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

… (*Interruptions*)

11.0 ½ hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Notices of Motion Under Rule 184

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received 30 notices of Motion under Rule 184 on the subject of Foreign Direct Investment (FDI) in multi-brand retail trade.

… (*Interruptions*)

11.01 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members went back to their seats.

MADAM SPEAKER: I have to inform the House that I have admitted the Motion and will allow discussion on the subject. The date and time of the discussion will be decided.

Now onwards, I hope, that the House will run smoothly. Now, the Question Hour.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, आपने सदन की भावनाओं के अनुरूप जो निर्णय लिया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करती हूं और आपके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूं। यह सदन शान्ति से चलेगा, इसका आश्वासन भी देती हूं।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I also thank you. … (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I would also like to take this opportunity to thank you for this decision. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us run the House now.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Question Hour.

Q. No. 81, Shri Sanjay Dina Patil -- not present.

Shri Adhalrao Patil Shivaji.

(Q. 81)

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI : Thank you, Madam. The Kakodkar Committee has brought in fresh perspectives in a number of areas concerning the Railway safety, but there is a real danger that the Report will meet the fate of many other Committees and Reports concerning the Railway, particularly, because of the huge scale of the proposed investments within a short time span.

Madam, I would like to know about the fate of the Kakodkar Committee Report, which requires around Rs. 1 lakh crore. How will the Government mobilize such a huge amount in a short span of time?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Madam, I am grateful to the hon. Member for expressing concern on a very important issue.

The Kakodkar Committee Report gave as many as 106 recommendations, and all very pertinent ones relating to the important aspect of safety. As the hon. Member has said, it entails an expenditure of about Rs. 20,000 crore a year. This is quite an amount, but there are also certain suggestions made. Presently, we are in the process of going into each recommendation, which has been made and what would be the expenditure that it would entail.

Madam, I would not like to share the concern of the hon. Member that it would meet the same fate as the other Committees have met. Maybe, we are in the process of evolution. The various Committees, which have been formed from time to time, may have also led to this. We move forward, and over the years, irrespective of whether a Report was formally accepted or not, the Railways have been in a continuous process of taking more and more steps towards safety and we have achieved results. Further, we do hope that various sources from which this expenditure is to be met, whether it is the Gross Budgetary Support (GBS); the PPP model; on external market borrowings, etc., it will be a mix of various sources. But I do admit that Rs.20,000 crore a year is quite an uphill task to manage. Nevertheless, we shall continue to endeavour to do our best.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI : Madam, despite a decline in the number of train accidents in the past few years, safety on the Railways was a matter of serious concern. Inadequate performance of the Railways was largely due to poor infrastructure and resources, and lack of empowerment at the functional level. Nearly, 30 per cent of the derailments are caused by defective tracks, and the supply chain of safety items is far below the satisfactory levels in most of the zones.

Madam, I would like to know this from the hon. Railway Minister. What steps are being taken by the Union Government to improve the performance of the Railways; to provide quality infrastructure; and to empower the functional level so that safe and secure journey can be provided to the passengers?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, renewal of the tracks and the review of the entire infrastructure is a continuing process. It includes renewal of tracks and rolling stock and that is being done on a continuous basis.

In regard to accidents, as the hon'ble Member said and himself acknowledged, there has been a decline in the accidents. I would like to allay the fear of the hon. Member and assure that over the years, better quality material has been used. More sturdy rails are used. There was a time when we used to have only short rails which could not carry that much weight. Axle load has been increased; over the years and it has now been taken to 22.9 tonne. We are aspiring to increase the axle load further to 25 tonne. For that we obviously require sturdier rolling stock, and for that matter the entire core assets.

Again, I can assure the House, Madam, that we are aware of the imperative of modernization also. Modernization would also help in undertaking various safety measures, including the ones which the hon. Member has referred to.

MADAM SPEAKER: Shri Sanjay Dina Patil, I had called your name earlier, but you were not there. Please be careful in future. I am allowing you as a very special case.

SHRI SANJAY DINA PATIL : Madam, I am sorry, but I thank you for this opportunity.

Madam, I would like to ask the Minister as to the extent of funds required to implement the suggestions made by the two Committees, that is, the Sam Pitroda Committee and the Anil Kakodkar Committee.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I think this question would entail a long answer. If you want, I can give the salient features of the recommendations in the two cases.

MADAM SPEAKER: Please do not give a long answer.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: One was the Expert Group led by Mr. Sam Pitroda. It had given as many as, perhaps, 113 recommendations. There were 15 focus areas; under five heads they had taken up. A plethora of recommendations have been made.

The other is the High-Level Committee on Safety. That was headed by Mr. Kakodkar. As I mentioned earlier, they have given recommendations on safety measures. Dr. Pitroda's Group had given the timelines and has also frozen the expenditure on each head. That comes to a staggering figure of Rs. 5,60,000 crore, a large part of which is to be spent over a period of five years. Along with that, the in-house assessment made for the Planning Commission means an additional expenditure of about 4,43,000 crore. So, the total comes to a staggering figure of more than Rs. 8,00,000 crore, for the Ist five years alone.

The other one, as I mentioned earlier, on safety entails an expenditure of about Rs. 1,00,000 crore over a period of five years.

There is a very detailed list. I would only very briefly just refer to as to what are the points which have been covered thereunder. Those relate to the bridges, tracks, vacancies, signalling, rolling stock, stations, PPP model, land, dedicated freight corridor, high speed corridors, review of projects, application of ICT, indigenization/development of the stock, safety measures, funding, human

resources and finally the organization. These are the main subjects on which there is an emphasis by the Pitroda Group on Modernization.

On the other, Madam, there are recommendations on safety, which also have the financial implications which I have mentioned earlier.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का जिक्र किया है। यह हमारे राजस्थान से भी गुजरता है। आपको जानकारी है या नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि फण्ड्स की कमी के कारण इसकी स्पीड बहुत कम है। इसमें आपको जो मॉनीटरिंग करनी चाहिए, वह मॉनीटरिंग भी आप समय पर नहीं कर पा रहे हैं और जो रिव्यू करना चाहिए, वह भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहना है कि जब इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का जिक्र किया है, तो इसको आप समय पर पूरा कर पाएंगे या नहीं? अध्यक्ष जी यही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, पहले मैं माननीय सदस्य को न्यौता देता हूं कि वह मेरे पास आएं।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या चाय भी पिलाएंगे? अगर चाय पिलाएंगे तो अवश्य आएंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं बैठकर उनको बता पाउंगा क्योंकि उन्होंने मॉनीटरिंग का जिक्र किया है कि मॉनीटरिंग नहीं हो रही है। This is a very ambitious project, which we certainly want. इसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमीन के एक्वीजिशन का काम तकरीबन 76 प्रतिशत हो चुका है, जो एक सबसे बड़ा काम होता है, जिसमें दिक्कतें आती हैं। पैसे का जिक्र किया गया है, बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगने की बात है। उसके लिए कुछ पार्ट में पीपीपी है और दूसरे में वर्ल्ड बैंक और एक में जाइका से एग्रीमेंट हो रही है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरीडोर्स, दोनों प्रोजेक्ट्स में मिलाकर तकरीबन 95,000 करोड़ रुपये लगने हैं। अभी इसका पहला पार्ट हो रहा है और इसको एक अर्जेंसी के साथ, इसकी अहमियत को जानते हुए, क्योंकि जब यह कॉरीडोर बन जाएगा, तो गुड्स ट्रेन अलग कॉरीडोर से तेज स्पीड पर जाएंगी, ज्यादा जा पाएंगी, गाड़ियां लम्बी होंगी, भारी होंगी और वे ज्यादा सामान ले जा पाएंगी। इसके साथ ही जो पैसेंजर ट्रैफिक वाली लाइनें हैं, वे भी खाली हो जाएंगी, जैसे यहां बार-बार मांग उठती है, हम ज्यादा ट्रेन्स चला सकेंगे और इससे देश की जरूरत पूरी होगी। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी अनदेखी नहीं हो रही है। इसको जितनी गंभीरता से लेना है, ले रहे हैं। यह इस सरकार का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी खासतौर पर इसको मॉनीटर कर रहे हैं। परसों ही उन्होंने मुझे बुलाया था। यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि इसकी मॉनीटरिंग नहीं हो रही

है या इसकी गंभीरता नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी पूरा हो क्योंकि वर्ल्ड बैंक और जाइका के साथ अलग-अलग प्रोजेक्टंस पर काम हो चुका है। हमारा ख्याल है कि इसमें एक पीपीपी का पार्ट है, सभी को मिलाकर इसमें काम अच्छी रफ्तार से करना चाहेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

जैसा अभी माननीय मंत्री जी के जवाब आ रहे थे, देश के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका शिलान्यास हो चुका है, 30-40 वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्य नहीं हुआ है जैसे हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के क्षेत्र मैनपुरी, इटावा में एक प्रोजेक्ट, जिसका शिलान्यास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति जी ने भी किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया है। इस प्रकार के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा उन लम्बित परियोजनाओं के बारे में।

दूसरा, इलाहाबाद में बहुत बड़ा मेला महाकुम्भ लगने जा रहा है, जिसमें करोड़ों लोग स्नान के लिए आते हैं। स्नान की कई प्रमुख तिथियां हैं। वहां पर ज्यादातर लोग रेल से यात्रा करते हैं नहान में आने के लिए। लेकिन आज भी वहां पर इलाहाबाद जंक्शन एवं अन्य तमाम स्टेशनों पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

अध्यक्ष महोदया : यह विषय स्टेट से संबंधित है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जिससे महाकुम्भ की उस भीड़ को रोकने के लिए कोई व्यवस्था हो सके। मैं चाहूंगा कि इसमें आप विस्तृत उत्तर दें और वहां पर व्यवस्था कराएं।

श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, लम्बे समय से, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, समय-समय पर सदस्यों की मांग पर, जरूरत महसूस करते हुए, प्रोजेक्ट्स का एलान होता रहा है और आज के दिन जिन प्रोजेक्ट्स का पिछले दिनों में एलान हुआ है, अगर उन सभी के खर्चे का जोड़ लगाएं, तो वह चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होता है। सही मायने में, मैं सदस्यों को कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं, इन प्रोजेक्ट्स का शायद पचास वर्षों में भी पूरा होना मुश्किल है जिस हिसाब से हम पैसा जुटा पा रहे हैं।

इसे आप गंभीरता से लेंगे और मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा जिससे हम उसे वहां लगा पाएं तथा साथ मिलकर ही हम भविष्य में इसका समाधान निकालेंगे। मैं आपसे फिर कभी जब उसकी चर्चा करुंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या-क्या हम उनमें कर पा रहे हैं। एक प्राथमिकता बनाकर और आपके

समर्थन के साथ हम उसे करना चाहेंगे। We have been spreading our resources very thinly across the board and across the large number of projects. और अभी समय यह देखने का है कि कितने पैसे से कौनसा प्रोजैक्ट पूरा हो जाएगा। जिन प्रोजैक्ट्स का आपने जिक्र किया उनकी अभी मेरे पास सूचना नहीं है, वह सूचना मैं आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इन बातों पर मैं गौर कर रहा हूं और आपसे समर्थन भी इनपर चाहूंगा। हम एक प्राथमिकता बनाएं कि कौन-कौन से प्रोजैक्ट्स उनमें से ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास साधन हैं, उन संसाधनों के साथ हम कितना काम, कितनी देरी में कर पाएंगे। कोई भी प्रोजैक्ट स्क्रैप नहीं होगा, छोड़ा नहीं जाएगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथ ही हमें एक प्राथमिकता बनाने की आवश्यकता है कि हम इन-इन प्रोजैक्ट्स को और चीजों से ज्यादा गौर करते हुए लेंगे और उनके लिए मैं आपसे समर्थन चाहूंगा।

दूसरा सवाल इनका बहुत अहम है। इससे पहले कि मैं उसका जवाब दूं, मैं अपने अधिकारियों और वर्कर्स के लिए आपकी तरफ से प्रशंसा चाहूंगा कि अभी छठ-पूजा के लिए बहुत बड़ा रश दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ था। रेलवे स्टेशन पर मैं भी गया, हमारे अधिकारी वहां मौजूद थे और जितनी गाड़ियों की जरूरत थी वे चलाई गयीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप हमें बताएं कि क्या आप इलाहाबाद आयेंगे?

श्री पवन कुमार बंसल : मैं इलाहाबाद आऊंगा और उसकी चर्चा वहां आपसे करुंगा और मेरा पूरा प्रयास होगा कि कोई दिक्कत तीर्थयात्रियों को न आये।

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I thank you for allowing me a supplementary question. I am also thankful to the hon. Minister for admitting in the House that there has been a decline in railway accident in the past years when Ms. Mamata Banerjee, Shri Dinesh Trivedi or Shri Mukul Roy had been the Railway Ministers. It also shows that railway safety is not related to passenger fare hike. In fact, there has been no railway passenger hike during the last three years when Members from our Party were the Railway Ministers and in spite of that, the safety record of Railway has become better. Of course, the main problem remains about the manning of unmanned railway crossings. But, here, unfortunately, the Expert Group for Modernization of Indian Railways speaks about mobilization of resources. I want an assurance from the hon. Railway Minister that there will be no passenger fare hike especially in the second class. While he tries for safety and

in the name of reforms, railway fares should not be hiked causing problem for the common man as this has happened in the last few years.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, I compliment the hon. Member for applauding himself. Railway projects have a long gestation period and the returns are slow. I would certainly like to place on record the good work done by all my predecessors in the past. I would try to pick up the best from what I get the best from anywhere. I think, if I stand up after a few months to say that there have been no accidents in this period, I would certainly not claim any credit for that. That may have been because of the work done in the past. Similarly, any work done any time actually follows up from the work done before that. As I said earlier, in reply to earlier supplementary, it is a continuing process where the Railways take up the work relating to safety measures. Because of the paucity of time, I am not detailing what steps have been taken in the past and what we do intend to take and how we are proceeding further.

The second part is indeed a political question raised by him which I would like to answer at an appropriate time. All that I would like to say is that I would expect the House to be realistic. If we want to move forward; if we want the Railways to serve the country as it was mandated to; if we want the Railways to contribute, as we say, about 1.5 to two percentage points to the GDP growth of the country and be a veritable engine of growth; I think I have to come up sometime and, Madam, then I would solicit the support of the House at an appropriate time.

(Q. 82)

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : अध्यक्ष महोदया, देश के पिछड़े ग्रामीण अंचलों विशेषकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सही न होने के कारण कृषि सहित अन्य विकास संबंधी कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार की नीति विशेषकर पिछड़े एवं जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों की तीव्रता के साथ विकास करने की रही है। अतः इस संबध में मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि देश के विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गड़चिरोली में इन विद्युत संयंत्रों से निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति सस्ती दर पर सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कोई ठोस सकारात्मक कदम उठाने की है? यदि हां तो कब तक?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, संसद सदस्य ने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। यह राष्ट्र व्यापक मुद्दा ऊर्जा की कमी के बारे में है और प्रदेश व्यापक मुद्दा महाराष्ट्र के बारे में है और पिछड़े इलाके के बारे में भी मुद्दा उठाया है।...(व्यवधान) मैं उसका उत्तर भी दूंगा। राष्ट्र स्तर पर ऊर्जा की कमी का समाधान करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी सोच-विचारधारा है कि करीब-करीब 90 हजार मेगावाट उत्पादन की बढ़ोतरी बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में हम करना चाहेंगे। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में वर्तमान में करीब-करीब 28 हजार मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। महाराष्ट्र का पीक पावर का जो डेफिसिट है, वह करीब चार प्रतिशत है और एनर्जी डेफिसिट पूरे साल का एवरेज करीब तीन प्रतिशत है। केंद्र सरकार से हम करीब-करीब साढ़े पांच हजार मेगावाट सैंट्रल एलोकेशन के द्वारा महाराष्ट्र को देते हैं।

संसद सदस्य ने एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्रों में क्या ऊर्जा मंत्रालय की सोच-विचारधारा महाराष्ट्र में कुछ योजनाएं लगाने की है। मैं अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि जो नई सोच-विचारधारा यूपीए सरकार ने उत्पन्न की थी, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, यूएमपीपी के बारे में, जहां चार हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं। सात प्रोजेक्ट्स में से छह प्रोजेक्ट्स केवल आदिवासी बाहुल क्षेत्र में और पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, चाहे वह सासन का प्रोजेक्ट हो, मुंद्रा का हो, कृष्णापट्टम का हो, तिल्लईया का हो और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के प्रोजेक्ट्स हों। इसके अतिरिक्त सरकार की सोच-विचारधारा है कि खासकर महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि मेरे पूर्व मंत्री भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी रहे हैं, रत्नागिरी में 1200 मेगावाट का पिछड़े क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, महाराष्ट्र में तीन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं चन्द्रापुरा में, अमरावती में और नासिक में। कुल मिलाकर करीब-करीब साढ़े सात हजार मेगावाट केवल पिछड़े और आदिवासी बाहुल क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि विगत तीन वर्षों के दौरान जो मध्यम और बड़े ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, उनमें से कितने जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और क्या इन ताप विद्युत संयंत्रों में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के अनुरूप है? क्या सरकार ने स्थापित किए गए सभी ताप विद्युत संयंत्रों में आरक्षण के अनुरूप पदों को भरने हेतु कोई योजना बनायी है अथवा बनाने का विचार है? यदि हां तो कब तक?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, मैंने अपनी तरफ से माननीय सदस्य महोदय को सूचना दी कि जिन योजनाओं पर क्रियान्वयन महाराष्ट्र में हो चुका है और जिन योजनाओं पर क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर और सूची माननीय सदस्य महोदय को चाहिए तो मैं जरूर अपनी तरफ से भेजूंगा।

जहां तक इन ताप केन्द्रों में आरक्षण का संबंध है, आपको भी स्वयं मालूम है कि मैन टू मेगॉवाट रेशियो ऊर्जा के क्षेत्र में सीमित है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स नहीं हैं, इंडस्ट्रियल जनरेटर्स हैं ताकि ऊर्जा पूरे देश में व्यापक तरीके से मिल सके। लेकिन इसके बारे में भी अगर कोई भी सुझाव होंगे तो आप मेरे पास जरूर भेज सकते हैं।

श्रीमती कमला देवी पटले : अध्यक्ष महोदया, देश में स्थापित की जा रही विद्युत कंपनियों की उत्पादन क्षमता अधिकांश भाग में दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करती है जबकि उस क्षेत्र में बिजली की कटौती की जाती है। सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाना चाहती है? मैं जानना चाहती हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, जब कोई भी ताप का केन्द्र या बिजली का केन्द्र किसी भी राज्य में स्थापित होता है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। अगर वह कोयले पर आधारित हो तो वह कोल ब्लॉक के समीप होना चाहिए, रेल हैड के समीप होना चाहिए और जमीन उस ताप केन्द्र के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अगर वह एक हाइड्रो प्रोजेक्ट हो तो वह हाइड्रोलॉजिकल स्टडी और ज्यूलॉजिकल स्टडी के आधार पर रन ऑफ वॉटर के आधार पर होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में चाहे हाइड्रो के हों या कोल के हों, लोकेशन बेस्ड स्पेसिफिक जहां जमीन और बाकी संयंत्र उपलब्ध हों, वहां ये ताप के केन्द्र स्थापित होते हैं।...(व्यवधान)

जहां तक राज्यों में परस्पर बंटवारे का जो प्रश्न माननीय सदस्य महोदय ने उठाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब कोई भी ताप का केन्द्र किसी एक राज्य में स्थापित हो और जो पीपीए साइन किया जाता है तो वह जैसे वर्तमान में थर्मल में पूरी तरह से कम्पैटीटिव बिडिंग के आधार पर किया जाता है। वह पीपीए केवल एक राज्य के साथ नहीं बल्कि कई राज्यों के बीच में पीपीए इंडिपेंडेंटली साइन होते

हैं। दूसरे, उस ताप के संयंत्र में से जो एक प्रपोर्शन होता है, अनएलोकेटेड पॉवर जो केन्द्र के पास रहती है, उस अनएलोकेटेड पॉवर की भी सबसे अहम भूमिका पहले उसी राज्य को मिलती है जिस राज्य में वह ताप का केन्द्र स्थापित है। इसलिए सामान्य तौर पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हरेक राज्य को वह अनएलोकेटेड पॉवर जिस राज्य में वह संयंत्र स्थापित है, उस राज्य के प्रपोर्शन के आसपास की मिले लेकिन यह बात भी सही है कि जिस राज्य में जो संयंत्र स्थापित होता है तो सबसे ज्यादा पॉवर उसी राज्य को मिलती है।

SHRI S. SEMMALAI : Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity. Under the federal set up, the Centre has an obligation to meet the needs of the States, especially the States which are facing acute power shortage. That is why, the Central Pool is created. The Central Pool is now having sufficient power. The State of Tamil Nadu is badly in need of power. Our Leader, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has repeatedly urged the Centre to provide additional power from the Central Pool. Recently the Delhi Government has surrendered 1721 MW of electricity to the Central Pool.

My specific question to the hon. Minister is this. Will the Central Government come forward to release the required power to bridge the gap between the demand and supply in Tamil Nadu, heeding to the request of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam Speaker, I would like to place on record of the House - and also for the information of the hon. Members here - that the primary responsibility of generating, transmitting and distributing power in any particular State which is the requirement of that particular State, is that of the State Government. We are supplemental in our efforts in terms of being able to generate, transmit and distribute that extra power from our CGSs, Central Generating Stations, be it NTPC or NHPC on the hydro side to all other States in as uniform a manner as possible..

As far as the specific issue with regard to Tamil Nadu is concerned, yes there is a tremendous amount of shortage in Tamil Nadu and Andhra but the

primary responsibility of this lies with the State Government. We can only supplement to the extent that we can. That request certainly has come. As you are also well aware, the Southern Grid has to be enmeshed with all the other remaining grids so that power can also be transmitted. We are in dialogue with the Tamil Nadu Government and we will try and do whatever we can on a best efforts basis.

श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में आदिवासी क्षेत्रों में जिन कंपनियों को काम करने का ठेका दिया जाता है, वे बहुत घटिया निर्माण कार्य करती हैं। हम सतर्कता समिति में भी मुद्दा उठाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहां काम हो जाता है, वहां हितग्राहियों को कनैक्शन नहीं दिया जाता है लेकिन बिल चालू कर दिया जाता है।...(व्यवधान) ऐसा खास तौर से मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बहुत हो रहा है।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक निगरानी समिति होनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह अगला प्रश्न है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि अगला प्रश्न इसी विषय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पर है, यह ताप केंद्रों पर है।

श्री यशवंत सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले नौजवान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इन्हें बहुत ही मुश्किल विभाग की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले सदन के नेता इस मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे। इस प्रश्न के उत्तर में स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उन सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या जो प्रपोज्ड टू बी सैटअप हैं। शिंदे जी, आप बैठिए क्योंकि आप इस विषय के बारे में जानते हैं।...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): मेरे पास यह विभाग नहीं है। You yourself have appreciated that he is a very capable Minister. He is a well studied person. He will reply to your query.

श्री यशवंत सिन्हा : नार्थ कर्णपुरा झारखंड में चतरा जिला है जो भयंकर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित इलाका है, वहां सैटअप होना है। यह वर्षों से लंबित है। इसमें भारत सरकार की जटिल प्रक्रियाओं का जितना दौर है, उससे गुजरता हुआ किसी तरह एक मुकाम पर पहुंचा है। मैं जितना जोर लगा सकता था

मैंने लगाया। एम्पावर्ड ग्रुप जो पूर्व वित्त मंत्री की अध्यक्षता में था, मेरी जानकारी के अनुसार उसमें भी इसे मंजूरी दे दी गई थी। एक हठधर्मिता कोयला मंत्रालय की है, जिसके चलते यह प्रोजेक्ट इतने वर्षों से लटका हुआ है। जहां उसका स्थान है, जहां संयंत्र लगने वाला है, कहते हैं कि 300 से 500 मीटर नीचे तक कोयले का डिपोजिट है इसलिए यहां नहीं बनना चाहिए। इसलिए बहुत मशक्कत के बाद प्लानिंग कमीशन आदि सब के रास्ते होते हुए एम्पावर्ड ग्रुप में गया, वहां से मंजूरी मिली और इसमें भी कई महीने गुजर गए। अगर अभी तक अगर इसमें उसका नाम नहीं है तो जाहिर है कि सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। मैं बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि जमीन का एक्युजिशन वर्षों पहले हो गया है। वहां पानी का जो इंतजाम होना चाहिए था, वह भी हो चुका है, सब कुछ तैयार है। एक समय ऐसा था कि जब रशिया से इक्युपमैन्ट भी आना था, वह भी वहां पैक होकर पड़ा हुआ था। This is one project which can take off without any further delay. Therefore, I am absolutely baffled, उसके बाद भी भारत सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब सदन के नेता ऊर्जा मंत्री थे तो उन्होंने पूरा जोर लगाया था और यह इसे पुश करना चाहते थे और पुश करके आगे तक ले गये हैं।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अब खुद आगे आ गये हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : अब वह सदन के नेता हैं। लेकिन...(व्यवधान) मैं नौजवान और कर्मठ, काबिल मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा...(व्यवधान) हां, नौजवान कहा, आप युवा कह रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज के दिन इस प्रोजैक्ट की स्थिति क्या है। इसे कब तक मंजूरी मिलेगी और कितनी जल्दी यह प्रोजैक्ट झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में शुरू हो सकेगी?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, श्री यशवंत सिन्हा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ऊर्जा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहां किसी भी योजना के क्रियान्वयन में कई साल लग जाते हैं और जैसे इन्होंने कहा कि जब कोई भी योजना उस मुकाम पर पहुंचती है, जहां स्वीकृति मिल चुकी है तो फिर उसका क्रियान्वयन जल्द से जल्द होना ही चाहिए। झारखंड की उत्तर करनपुरा की जो सुपर थर्मल यूनिट है, यह 1980 मेगावाट की है। जहां स्वयं यशवंत सिन्हा जी ने कई सालों से पूरी मेहनत-मशक्कत और कोशिश की है। यह बात मैं सदन में कहने में कोई hesitation नहीं रखता। 1999 में पूर्व प्रधान मंत्री ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। 1500 एकड़ जमीन भी एनटीपीसी को मिल गई है। पानी का स्रोत भी मिल चुका है। मुद्दा यही है कि विसंगतियां हैं, हमारे देश में कोयले की कमी है। जो वर्तमान की टैक्नोलोजी है, हम कहते हैं कि तीन सौ मीटर तक कोयले का एक्सकेवेशन हो सकता है। लेकिन यह

कोयला पांच सौ मीटर पर है। हम कह रहे हैं कि जब तक पांच सौ मीटर की टैक्नोलोजी आ जायेगी और जब पांच सौ मीटर तक पहुंचने की आपको जरूरत पड़ेगी, आप इस प्लान्ट की लाइफ 35 वर्ष रख लो, 35 वर्ष के बाद जमीन और प्लान्ट एनटीपीसी से सीआईएल को वापस मिल जायेगा तो 35 वर्ष यह प्लान्ट चलना चाहिए। इस विषय पर बहुत सारी चर्चा हुई। सदन के नेता शिंदे साहब बैठे हैं, यशवंत सिन्हा जी भी बैठे हैं। कैबिनेट कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक जीओएम इश्यु किया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की छठी और सातवीं बैठक में यही निर्णय निकला कि कम से कम 35 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल जानी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी शुरूआत हो जानी चाहिए। लेकिन 30 मई, 2012 को जीओएम की सातवीं मीटिंग होने के बाद हम लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोल मंत्रालय से हमें स्वीकृति मिले। हमारे ऊर्जा सचिव ने 3 सितम्बर को भी कोयला मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली आने वाली कैबिनेट बैठक में एक कैबिनेट नोट मूव किया जाए, ताकि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेकर जल्दी कार्य हो पाये।

(Q. 83)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam Speaker, I would seek your protection because I have asked specific questions but the hon. Minister has not replied to them. I would like to refer to parts 'd' and 'e' of the Question.

> "(d) if so, the details thereof, the reasons therefore, and the time by which such burnt transformers are likely to be replaced, State-wise; and
> (e) the remedial steps taken or are being taken to address the issue?"

Madam, transformers installed under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, as has been stated by the hon. Minister himself, frequently get burnt. So, I have asked the hon. Minister as to how many transformers have been burnt in different States of the country and what are remedial measures they have taken so that these burnt transformers may get replaced immediately for the benefit of the BPL consumers. He has not mentioned anything about this point.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जहां उर्जा का उत्पादन महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ कि उर्जा का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि इस देश के आखरी व्यक्ति तक ये उर्जा बिजली के रूप में पहुंच पाए। जहां तक अर्जुन चरण सेठी जी ने प्रश्न उठाया है कि जो ट्रांस्फारमर्स जल जाते हैं, उनको आप कब रिप्लेस करेंगे। महोदया, इसके बारे में मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, यूपीए सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जहां हमने अपना लक्ष्य बनाया है, सन् 2012 में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सन् 2017 तक हर घर तक, हर हाउसहोल्ड तक बिजली पहुंचाना इस सरकार का लक्ष्य होगा। बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन में भी मैं बताना चाहूंगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केंद्र सरकार की योजना जरूर है। इसमें 90 प्रतिशत राशि हम केंद्र से जरूर देते हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में अगर किसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो वह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मुझे कुछ कहने का एक मौका तो दीजिए। ...(व्यवधान) महोदया, यह जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 70-80 प्रतिशत, जगह जहां ये योजनाएं स्वीकृत हैं और 648 योजनाएं पूरे देश में स्वीकृत हो चुकी थीं, उनमें से 70-80 प्रतिशत योजनाओं में स्टेट के इलैक्ट्रिस्टी बोर्ड और डिस्कॉम ने अधिकार लिया है कि वे इनका क्रियान्वयन करने वाले हैं। मैं आपके सामने सत्य रखना चाहता हूँ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट पर एसईबी और डिस्कॉम से थर्ड पार्टी को दिया जाता है, जब इस योजना का क्रियान्वयन होता है और इस योजना का हैण्डओवर स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और डिस्कॉम को हो जाता है, तब फिर उस जले हुए ट्रांस्फार्मर को बदलने की जिम्मेदारी उस थर्ड पार्टी की नहीं रहती है। लेकिन जहां वह हैण्डओवर न हुआ हो, तो जरूर शत प्रतिशत ...(व्यवधान)

श्री देवजी एम. पटेल : क्या उसको जनता बदलेगी? ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैं स्वयं भुगता हूँ क्योंकि सन् 2005-06 में इस योजना को मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ले गया हूँ। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All these will not go on record.

(Interruptions) ... *

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आपकी कठिनाई और संकट से मैं सवयं जूझा हूँ। इसलिए मैंने आप सब लोगों को भी विनम्रपमूर्वक चिट्ठी लिखी है। आपकी एक-एक योजना के बारे में सूचना देते हुए और एक मॉनिट्रिंग मिट्रिक्स भी बनाते हुए कि किस तरीके से इस योजना को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं।

जहां तक जले हुए ट्रांस्फारमर्स की बात की गई थी ...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : इस मॉनिट्रिंग में संसद सदस्यों को शामिल कीजिए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : यशवंत सिन्हा जी, मैंने चिट्ठी में ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please let him reply.

(Interruptions) ...

अध्यक्ष महोदया : ये क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री देवजी एम. पटेल : वहां पर बिजली क्यों नहीं मिल रही है? ...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : बिजली इसलिए भी नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी राज्य सरकार उस अधोसंरचना में बिजली डाल नहीं रही है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : जहां तक अर्जुन चरण सेठी जी के क्षेत्र की बात है, उनको भी मेरी चिट्ठी मिली होगी, मुझे विश्वास है।...(व्यवधान) कृपया करके मुझे इनके प्रश्न का उत्तर दे देने दीजिये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। मंत्री जी आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैं हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे इनके प्रश्न का जवाब देने दीजिये। ...(व्यवधान) मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। मंत्री जी आप इधर देखकर बोलिये।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : 282 करोड़ रूपये की योजनाएं केंद्र सरकार ने इनके यहां स्वीकृत करायी थीं। जहां कान्ट्रेक्टिंग एजेंसी ने हैंडओवर नहीं किया है, वहां उस कान्ट्रेक्टिंग एजेंसी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह उन जले हुए ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करे।

महोदया, मैंने उत्तर के साथ राज्यवार सूचना भी दी है कि किस राज्य में कितने ट्रांसफार्मर जले हुए थे और इसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूं कि खासकर बिहार और झारखंड में ...(व्यवधान) मैंने उत्तर में दिया हुआ है कि कितने जले हुए हैं?...(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : मंत्री जी, यह उत्तर भ्रामक है, यू0पी0 में आपने शून्य दिया हुआ है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : जो सूचना हमें मिली है, उसी के आधार पर हमने दिया है। जहां तक बिहार और झारखंड का विषय है, बिहार में डिस्कॉम जो है, जहां ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, उनको रिप्लेस

[*] Not recorded.

करने का कार्य शुरू हो चुका है और झारखंड में 4,392 में से 2,900 ट्रांसफार्मर रिप्लेस हो चुके हैं और बाकी भी रिप्लेस होते जायेंगे।

श्री देवजी एम. पटेल : मंत्री जी, इसमें राजस्थान के आंकड़े नहीं हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अभी मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, आपकी बारी आयेगी तो आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृपया आप बैठ जाइये, मंत्री जी उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : जैसा मैंने कहा है, यह राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है।...(व्यवधान) अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं कहूंगा। ...(व्यवधान)

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : महोदया, इस पर आप अलग से चर्चा करवा दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अलग से चर्चा करवा देंगे।

...(व्यवधान)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam, there are some States in the country where distribution of electricity has been privatized including Odisha. When it has been privatized and it is in the hands of the private utilities, what are the instruments available at the State level so that they can be brought to book when there is any discrepancy in the installation and also replacement of transformers?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA:Madam, we have a quality control mechanism which looks into the implementation of the scheme on a three-tier basis. The first tier is when the project implementation agency itself engages third parties to survey 50 per cent of the villages to see whether the work has actually been done or not. The second tier is when the REC itself appoints quality monitors where ten per cent of the villages are surveyed and the third tier is when the Ministry of Power itself inspects one per cent of the villages. These surveys have been done from time to time. If required, I will give all the information with regard to the surveys to the hon. Member.

Also I have written a letter to all the hon. Members and I have tried to make an effort on my part because this scheme cannot see success or the light of the day unless we all work together. And for that, I would need your assistance as well because you are on the ground and you are able to see whether things are happening correctly or not. Therefore, I tried on my behalf to send you a monitoring matrix by which the progress can be assessed. I have also stated in that letter कि हर सांसद अपनी जिला सतर्कता मूल्यांकन समिति के आधार के आधार पर इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हम सब लोग कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि औपचारिक रूप से यह स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय से हमें लेनी होगी, लेकिन अनौपचारिक रूप से आप सब लोग कर सकते हैं। जहाँ तक औपचारिकता की बात है, मैंने स्वयं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी से पिछले कई दिनों में चर्चा की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त कराया है कि अगले तीन दिन के अंदर उनके मंत्रालय से मुझे चिट्ठी मिलेगी, जहाँ इस योजना को भी जिला सतर्कता मूल्यांकन समिति के गठन में स्थापित किया जाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को नए विभाग की ज़िम्मेदारी संभालने पर बधाई देते हुए, कि वे इस महकमे के सफल और यशस्वी मंत्री हों, ऐसी शुभकामनाएँ देते हुए यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मंत्री जी ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आपका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और आप अगले पाँच वर्षों में हिन्दुस्तान के हर घर तक बिजली पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अभी हिन्दुस्तान के बहुत से ज़िले इस योजना में शामिल ही नहीं किए गए हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र का ज़िला रायसेन, जिससे आपको स्वयं को बहुत विशेष लगाव है, इस योजना से बाहर था। मैंने शिन्दे जी से बहुत आग्रह किया, पत्र भी लिखा, तो मुझे जवाब आया कि तीसरे चरण में वे इसे शामिल करेंगे। अभी आपने यह कहा कि क्रियान्वयन प्रदेश सरकारें करती हैं, केन्द्र सरकार केवल राशि देती है। लेकिन मंत्री जी क्रियान्वयन से पहले कौन से जिले इसमें चयनित किए जाएँगे, इसका निर्धारण भी केन्द्र सरकार करती है और कौन सी योजनाएँ स्वीकृत की जाएँगी, इसकी मंज़ूरी भी केन्द्र सरकार देती है। प्रदेश सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रायसेन का ज़िला, जिसमें बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र बसता है, जहाँ के लोगों ने आज तक बिजली का बल्ब नहीं देखा और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो वे लोग कहते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, बिजली लगवा दो। क्या रायसेन ज़िले को इसमें शामिल करके आप वहाँ के हर घर तक बिजली पहुँचाने की योजना को स्वीकृति देंगे? यदि देंगे तो कब तक देंगे, यह आश्वासन अगर आप मुझे दें तो मुझे बहुत खुशी होगी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, रायसेन जिले के बारे में श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो मुद्दा उठाया है, उनके संसदीय क्षेत्र का मुद्दा है। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। मैं डैटा चैक करूँगा, लेकिन जो सूचना मेरे पास है, उसके आधार पर सारे ज़िले जो मध्य प्रदेश के हैं, वे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं और रायसेन में आप और हमने कई कार्यक्रम साथ में किये हैं। जब शिन्दे साहब मंत्री थे, तो मैंने भी उनको रायसेन के बारे में लिखा था। सौ प्रतिशत में अभी आपको नहीं बता सकता लेकिन 99 प्रतिशत मुझे पूरा आश्वासन है और विश्वास है कि रायसेन आलरेडी स्वीकृत हो चुका है और वह सूचना इस सदन की सिटिंग के बाद मैं आपको फौरन पहुँचा दूँगा।

दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा, और मैं सभी सम्मानित सदस्यों की मदद भी इसमें चाहूँगा। जैसे सुषमा स्वराज जी ने कहा कि यह भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जहाँ हर घर तक हम बिजली पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन अगर यह हमारा उद्देश्य है, रायसेन की सूचना मुझे आ गई, मैं ठीक कह रहा था कि रायसेन के लिए स्वीकृत हो चुकी है, इंप्लीमैंटिंग एजेन्सी एम.पी. की स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक भाग है जो आपने कहा, जो सूचना भी मैं सदन के पटल पर रखना चाहूँगा। हमने पूरे देश में 648 योजनाएँ स्वीकृत की हैं, उनमें से 504 योजनाएँ राज्य सरकार की क्रियान्वयन एजेन्सी ही क्रियान्वित करती हैं, केन्द्र सरकार की नहीं। केन्द्र सरकार की 144 हैं। जहाँ तक स्वीकृति की बात है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि राज्य सरकार हमें जो डीपीआर भेजती है, उस डीपीआर का मूल्यांकन हम करें। हम देखें कि कॉस्ट नॉर्म्स के आधार पर वह डीपीआर बनी हैं, उसे हम स्वीकृति प्रदान करें। यह हमारे हाथ में नहीं है कि कौन से जिले में कौन सी योजना स्वीकृत करानी है और न ही हम अपने लोगों को भेजते हैं वहाँ डीपीआर बनाने के लिए। वह डीपीआर तो राज्य सरकार ही हमें बनाकर भेज सकती है। उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जहाँ अधिकृत राशि हमसे मांगी गई थी, वहाँ हमने कहा था, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 3200 करोड़ रुपये फेज़ 2 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में हमने दिये हैं, जहाँ यूपी सरकार ने हमें कहा कि अगर सौ की आबादी के गांव के आधार पर हमें देखना होगा तो हम उतनी योजनाएँ नहीं कर पाएँगे, हम 300 की आबादी के आधार पर करेंगे और इसलिए इन 22 योजनाओं को आप स्वीकृति प्रदान करें। उन 22 को हमने स्वीकृति प्रदान की है। यह कहना कि केन्द्र सरकार का निर्णय होता है, यह अपने आप में पूरा सत्य नहीं है। राज्य सरकार की बहुत ही अहम भूमिका होती है। राशि ज़रूर हमारी होती है। जहां तक रायसेन की बात आपने की रायसेन में पार्शली इलैक्ट्रिफाइड विलेज 1380 लिए गए हैं और 30 हजार बीपीएल हाउसहोल्ड लिए गए हैं। 65 करोड़ रुपये की योजना 27 जनवरी, 2012 को

रायसेन की स्वीकृत की गई। यदि आपकी अनुमति हो अध्यक्ष महोदया तो मैं एक और मुद्दा सदन के सामने रखना चाहूंगा कि अगर इस योजना को हमें सत्यता में क्रियान्वयन करना है, हर हाउसहोल्ड तक पहुंचना है। 5 लाख 74 हजार हैबीटेशन में बिजली पहुंचानी है जिसके लिए करीब-करीब 30 हजार करोड़ रुपये की हमें ज़रूरत है। जहां तक बीपीएल हाउसहोल्ड की बात करें तो 2.70 लाख हाउसहोल्ड तक हमें बिजली पहुंचानी है, जिसके लिए 8 हजार करोड़ रुपये की ज़रूरत है। मैं वित्त मंत्री जी को जरूर कहूंगा कि 12वीं योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए जरूर स्वीकृत करें।

(Q.84)

MADAM SPEAKER: Now, we go to Q. No. 84 – Shri Abdul Rahman.

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दिया था, हमें यह तो पूछ लेने दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब दूसरा प्रश्न ले लिया है। मैं समझती हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : यह जो उत्तर दिया गया है, यह भ्रामक उत्तर है। यह ग़लत उत्तर दिया गया है। यह मिसलीड किया जा रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम चर्चा कराना चाहते हैं दारा सिंह जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग ऐसा मत कीजिए। कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या कर रहे हैं? कृपया करके आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठ जाइए। मैं समझ रही हूं, यदि आप नोटिस देंगे तो मैं इस पर चर्चा करवाऊंगी।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : आप चर्चा तो करवाएंगी, लेकिन उत्तर पूरे का पूरा ग़लत दिया गया है। यह ऊर्जावान मंत्री हैं और मुझे और पूरे देश को इन पर भरोसा है। लेकिन उत्तर आपने नहीं बनाया है, आपके अधिकारियों ने बनाया है और जिस तरीके से आपने उत्तर दिया है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, हम इस पर चर्चा करवा लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम चर्चा करवाएंगे दारा सिंह जी।

---

* Not recorded.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इसके लिए नोटिस दीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Q. No. 84 - Shri Abdul Rahman – not present.

Shri D.B. Chandre Gowda – not present.

Let the hon. Minister reply.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Nothing is going on record.

(Interruptions) …[*]

MADAM SPEAKER: The Members are not present. So, the Question has become the property of the House. I am requesting the hon. Minister to kindly answer.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Questions (a) to (e): A Statement is laid on the Table of the House.

MADAM SPEAKER: Is there anyone to ask the supplementary?

All right.

We go to Q. No. 85 – Shri Ravindra Kumar Pandey.

Shri Ravindra Kumar Pandey is not present. Again, the hon. Minister has to reply.

---

[*] Not recorded.

(Q.85)

MADAM SPEAKER: Is there anybody to ask the supplementary?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेलवे के जो किराये निर्धारित किए जाते हैं और इसमें मूल प्रश्न है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखना, तो जो एसी फर्स्ट में यात्रा करते हैं उस को बनाने और मैनटेनन्स पर खर्च आता है और जो स्लिपर क्लास, नहीं जो ठसम-ठस क्लास में यात्री चलते हैं, उसको कैटल क्लास या जो कहिए, उसमें जो यात्री चलते हैं उसमें सबसे ज्यादा समाज के निर्धन, निर्बल, मजदूर, दलित, पिछड़े दूर-दूर से कमाने के लिए चलते हैं। एसी फर्स्ट पर मैनटेनन्स का खर्च होता है, बोगी बनाने में खर्च होता है और कम लोग चलते हैं तो उसमें चार बाथरूम रहते हैं। ठसमठस क्लास में आदमी हैं 150 और बाथरूम है चार। आखिर किराया बढ़ाते समय इस पर भी ध्यान देंगे कि नहीं?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, एक निरंतर प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा कोचेज बढाए जाएं और मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि बहुत वर्ष पहले रिलेटिविटी के हिसाब से अलग-अलग चीजों का किराया तय हुआ था। जो ऑर्डिनरी क्लासेज हैं, उनके लिए कहीं कम किराया है और दूसरों के लिए ज्यादा है। पैसेंजर ट्रैवेल में जो नुकसान होता है, जब हम हिसाब लगाएं तो वह ऊपर वाले क्लासेज में नहीं होता, वह दूसरों में होता है। लेकिन सरकार सोच समझकर फैसला लेती है। सोशियो-इकॉनोमिक कंडीशंस को देखते हुए इस बात पर बल होता है कि जो निचले वर्ग के लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है और संसाधन भी नहीं है कि वे ज्यादा पैसा देकर सफर कर सकें, उनके लिए किराये कम हैं।

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:

(1) Review by the Government of the working of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Guwahati, for the year 2011-2012.

(2) Annual Report of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Guwahati, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7502/15/12)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): महोदया, मैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in Library, See No. LT 7503/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:

(1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No.17 of 2012-13) (Compliance Audit) – Army and Ordnance Factories, for the year ended March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 7504/15/12)

(2) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No.16 of 2012-13) (Compliance Audit) – Air Force and Navy, for the year ended March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 7505/15/12)

(3) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No.15 of 2012-13) - Performance Audit of Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, Ministry of Urban Development, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, for the year ended March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7506/15/12)

12.04 hrs

STATEMENT UNDER RULE 199
Personal explanation by a Member

SHRI SULTAN AHMED (ULUBERIA): Madam Speaker, I am thankful for giving me time to make a statement under Rule 199, under which rule, I have submitted a statement but my original statement… … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No, please stick to the statement.

… (*Interruptions*)

SHRI SULTAN AHMED : This is not my original statement, Madam. … (*Interruptions*) If you go through Rule 199… *

MADAM SPEAKER: Please don't make this kind of a statement.

It will not go on record.

(Interruptions) …*

MADAM SPEAKER: Whatever statement you have finalized with our consent, you have to kindly read it. Please, don't go beyond that.

SHRI SULTAN AHMED : I am making this statement - I had resigned from the Union Council of Ministers on 21st of September of 2012. Today I want to inform this august House through you, Madam, the reasons that led to my resignation from the Council of Ministers. I was assigned the portfolio of Union Minister of State for Tourism in May 2009 in the present dispensation.

I would like to place on record the reasons which prompted my resignation from the Council of Ministers. The foremost reason is opposition to allow 51 percent Foreign Direct Investment (FDI) in multi-brand retail. Although Government had made a statement on the floor of the House that a decision to introduce FDI in multi-brand retail would be taken after a consensus on the issue

* Not recorded.

by all the parties including the opposition, but the policy has been introduced by the Government suddenly.

Another reason is increase in prices of diesel and capping of subsidized LPG cylinders.

Under such circumstances, it got increasingly difficult for me and my Party to continue with the present dispensation. Therefore, I had tendered resignation along with my colleagues.

MADAM SPEAKER: Thank you so much. Thank you so much. Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

MADAM SPEAKER: Now, we take up `Zero Hour'.

You have made the statement. Please don't go beyond that. I am constrained. Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MADAM SPEAKER: Now, we take up `Zero Hour' - Shri Rama Subbu.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I am on a point of order.

MADAM SPEAKER: There is no point of order on this. We have started the `Zero Hour'. If you have any problem, you come and meet me in my Chamber.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I am on a point of order.

MADAM SPEAKER: There is no point of order on this.

PROF. SAUGATA ROY: Rule 199(3) states – there shall be no debate on such statement but after it has been made, a Minister may make a statement pertinent thereto.

Madam, I want to know whether any Minister of the Government would like to make a statement with regard to the statement of Shri Sultan Ahmed in this House. Otherwise, why should the Ministers remain quiet? When a former Minister has made a statement, a Minister of the Government should normally

* Not recorded.

react and give a statement as to what is the Government's reaction to the statement of resignation. Why is the Government keeping quiet? Why is the Parliamentary Affairs Minister not making a statement? This is permitted under the Rules. If they have anything to say, they could have come to the House and said it. But why have the Treasury Benches chosen to remain silent on the charges, on the complaints made by a former Minister who has resigned from the Council of Ministers? Why have they not taken advantage of the rule to defend the Government's position in this regard? That is why, under the Rules, with your permission, I make this point. So, will you please ask the Government to make a statement pertinent to Shri Sultan Ahmed's statement on his resignation from the Council of Ministers?
… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have already announced the 'Zero Hour'. Shri S.S. Ramasubbu.

<u>12.06 hrs</u>

At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Ramasubbu says.

(Interruptions) ...[*]

---

[*] Not recorded.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Madam Speaker, I would like to raise a very important matter of urgent public importance pertaining to increasing number of accidents that are happening in unmanned level crossings across the country.

The increasing number of accidents happening in unmanned level crossings in the country has resulted in an alarming situation. This is a very important matter pertaining to railway safety. Today also, during the Question Hour there was a question regarding railway safety. A lot of people are dying in accidents that are taking place in various parts of our country due to unmanned level crossings. The total number of people who have died in accidents at unmanned level crossings was 12,376 in 2009, 12,894 in 201 and 14,611 in 2011. This trend is very disturbing. So, all the unmanned level crossings in the country should be converted into manned level crossings. This was announced in the Railway Budget also. But in many places, sometimes the unmanned level crossings are totally closed. They should not be closed because the people living on both sides of the railway line have to cross it to reach the nearby places. If the unmanned level crossing is closed, then the connection to the nearby places is totally cut off. The senior Minister is present here. The Government has to look into the pathetic condition of the people who are living near unmanned level crossings.

The Government of India should consult the concerned State Governments and local bodies and take immediate steps to convert all the unmanned level crossings into manned level crossings in the country. The Central Government can persuade the State Government to allow 50% funds from local bodies and it can be provided from monitoring authority to concerned local bodies to take care of the level crossings in that area.

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Madam Speaker, the State of Andhra Pradesh has been severely affected by cyclone Neelam, 19 districts have been affected out of which 5 districts have been severely affected and farmers have suffered huge losses. More than 8 lakh hectares of crops have been damaged; especially paddy, cotton, chilly, maize and 10 other varieties of crops have been severely damaged. The loss estimated by the Government of Andhra Pradesh is to the tune of Rs. 1,410 crore. In fact, the cotton farmers in my constituency have been severely affected and their entire produce has been badly affected. The quality of cotton has deteriorated so much that the CCI is unwilling to purchase cotton from them.

We want the Government of India, especially, the Textile Ministry to instruct the CCI to purchase whatever cotton is available or whatever quality is available because we need to come to the rescue of the farmers because what we give to the farmers in the form of input subsidy is hardly anything. We give only Rs.6000 per hectare and the farmer spends more than ten times that amount. That is the loss that the farmer incurs on every crop. So, we need to ensure that let the CCI or the FCI should procure every produce, be it paddy or cotton, and whatever the quality is. That is one of our requests.

Our another request is that we want the Government of India to immediately send a Central team and ensure through the National Relief Fund or National Calamity Contingency Fund a sum of Rs.1,500 crore is released immediately to Andhra Pradesh so that the amount can be given to the farmers and that we can rescue farmers.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam, Kerala is one of the most educationally advanced States in the country. Starting the Indian Institute of Technology (IIT) has been a long pending demand for the State of Kerala. We have even offered land free of cost to the Government of India.

The then hon. HRD Minister, Shri Kapil Sibal, has assured us in the House that the demand for IIT will be considered during the Twelfth Plan Period. The

hon. Prime Minister has also given the assurance that Kerala's demand for IIT is genuine and it will be met during the Twelfth Plan Period. However, it is pained to know that in the Twelfth Plan Proposals, the proposal of IIT does not find a place. So, our demand is that IIT should be given to Kerala during Twelfth Plan Period.

The reason given by the Planning Commission is that IIT and IIM cannot be given to one State. But we can see that in five States both IITs and IIMs are there. So, when this comes to Kerala, this is discrimination. Even though we have an IIM, we do not have an IIT. It is a genuine demand. It has been agreed by the Government of India and the Prime Minister. I would like to know why we are being discriminated. So, I demand that IIT should be included in the Twelfth Plan Proposals.

MADAM SPEAKER: Shri P.K. Biju, Shri P.T. Thomas and Shri Jose K. Mani would like to associate with the matter raised by Shri M.B. Rajesh.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्व सवाल पर मुझे बोलने की अनुमति दी है।

देश के किसानों के सामने जो नकदी फसल है, वह गन्ने की फसल होती है। उस कैश क्रॉप का 15 नवम्बर से गन्ने का पेराई सत्र शुरू होता है, देश की अधिकांश चीनी मिलें चलती हैं। उत्तर प्रदेश में भी 131 चीनी मिलें हैं और वे 131 चीनी मिलें राज्य के गन्ना किसानों की पेराई को सुनिश्चित करती हैं। जब किसानों का गन्ना उनके खेतों से खाली होता है, तभी वे गेहूं की बुआई उसमें कर पाते हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य घोषित न होने के कारण केवल कुछ ही चीनी मिलें चली हैं और जो चीनी मिलें चली हैं, उनमें गन्ना किसानों की पर्चियों पर चीनी मिलों द्वारा मूल्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि राज्य के द्वारा अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गन्ने का समर्थन मूल्य है, वह घोषित नहीं हुआ है, जिसको लेकर लाखों-करोड़ों किसानों के समक्ष एक असंतोष है, उनके अन्दर इस बात की पीड़ा है कि आखिर हम किसानों को गन्ने का लाभप्रद मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज गन्ने का जो न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम कॉस्ट आ रही है, वह 300 रुपये क्विंटल आ रही है।

दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि हम प्रदेश के गन्ना किसानों को जो उनका मूल्य है, उनको न केवल उत्पादन मूल्य देंगे, बल्कि लाभप्रद मूल्य देंगे और उस लाभप्रद मूल्य से

प्रदेश के गन्ना किसानों को उनकी नकदी फसल की कीमत मिलेगी, जिससे वे अपने परिवार की जीविका चला सकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान उसी गन्ने की कीमत से अपने बच्चों की फीस देते हैं, अपनी बेटियों के हाथ पीले करते हैं और अपने बूढ़े मां-बाप की मैडीकल कालेज में तीमारदारी करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल उत्तर प्रदेश राज्य की चीनी मिलों को, जिनको फुल स्विंग से 15 नवंबर से चलना चाहिए, राज्य सरकार सारी चीनी मिलों को चलाये और उनके गन्ना का मूल्य घोषित हो। ...(व्यवधान) अभी चीनी मिलों, जिनका पेराई सत्र शुरू हो गया है, उसे धीमी गति से चला रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : इससे किसानों के समक्ष जो गन्ना खेतों में खड़ा है, कहीं उस गन्ने को जलाना न पड़े, ऐसी स्थितियों को देखते हुए मैं आपसे हस्तक्षेप की मांग करता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना नाम भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी, श्री देवजी एम. पटेल अपने आपको श्री जगदम्बिका पाल के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

SHRI P. LINGAM (TENKASI): Hon'ble Madam Speaker … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Only Mr. Lingam's statement will go on record.

(Interruptions) …[*]

[*] Not recorded.

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Madam Speaker, I would like to speak about a very important national issue in this august House, that is, the issue of water. Cauvery river water is common to both Tamil Nadu and Karnataka. Almost in eight districts of Tamil Nadu, fourteen lakh hectares of land is being irrigated by Cauvery river water. The paddy crops cultivated in these Cauvery Delta Districts have provided foodgrains not only to the people of Tamil Nadu but also to the people of the entire nation. Tamil Nadu's share of Cauvery River water has not been released by the State of Karnataka. Therefore, Cauvery delta districts have been suffering from severe drought. Kuruvai crops have failed. Harvested Samba crops have also become dried.

Unity and integrity of the nation is centralized towards sharing of river water. Our nation is functioning under the principle of federalism. We should not forget this fact, Madam. (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Lingam, please take your seat.

(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.17 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

<u>14.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i)Need to protect the tigers in the Tadoba Tiger Reserve Forest, Chandrapur

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि विदर्भ के चंद्रपुर जिले में नागपुर से 180 कि.मी. दूरी पर ताडोबा टाइगर रिजर्व जंगल है, ताडोबा जंगल देश का एक प्रमुख टाइगर रिजर्व माना जाता है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है । 623 स्के. किलोमीटर में फैले इस जंगल में सागवान और बांस का घना जंगल है । ताडोबा टाइगर रिजर्व में लगभग 65 से 70 बाघ है । इसी कारण विश्वभर के सैलानियों का यह आकर्षण का केन्द्र है । यहां की सुरक्षा भी चौरचौबंद मानी जाती है किंतु पिछले एक वर्ष से यहां आठ बाघों की मृत्यु हुई है । बाघों की मृत्यु की वजह अभी तक उजागर नहीं हुई है । यह मनुष्य और बाघों का संघर्ष है या इसके पीछे किसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ है । 27 अक्तूबर को हुई बाघिन की मृत्यु ने ताडोबा टाइगर रिजर्व की सुरक्षा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं । बाघिन की मृत्यु के जो कारण दिए जा रहे हैं उस पर पर्यावरणविद विश्वास करने को तैयार नहीं हैं । कुछ लोगों का मानना है कि बाघिन को जहर दिया गया था और यह किसी गिरोह का काम है । महाराष्ट्र में इस वर्ष 13 बाघों की मृत्यु हुई है जिसमें पांच बाघों की मृत्यु अवैध शिकार से हुई है ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि ताडोबा टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए समय रहते ही कदम उठाने की जरूरत है । मुझे विश्वास है कि सरकार इन 13 बाघों की मृत्यु को गंभीरता से लेगी और जल्द से जल्द गुनाहगार और 13 बाघों की मृत्यु के कारण ढूंढ लेगी ।

(ii) Need to include 'Jat' community of Bharatpur and Dholpur districts of Rajasthan in the list of other Backward Classes

श्री रतन सिंह (भरतपुर): नियम 377 के माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किये जा रहे पक्षपात रवैया की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं धौलपुर जिले के अलावा पूरे राजस्थान के जाट वर्ग को अन्य पिछड़े वर्ग केन्द्रीय सूची में वर्ष 1999 में शामिल किया गया था परंतु राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर के जाट वर्ग को अभी तक अन्य केंद्रीय सूची पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया है जबकि भरतपुर एवं धौलपुर के जाट वर्ग आज कई दृष्टियों से पिछड़े हैं न जाने किस आधार पर राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को वंचित किया हुआ है । मैंने कई बार सदन में प्रश्न किए परंतु सरकार ने इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है अपने प्रश्नों में भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं करने के कारणों को जानना चाहा परंतु कारणों को आज तक नहीं बताया गया है केवल इसके नोटिफिकेशन एवं इसकी तारीख की जानकारी देकर मुझे इसके कारणों की जानकारी नहीं दी गई है । 1997 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने अपनी सिफारिशों में इन जाटों के बारे में बताया होगा एवं किस तरह से यहां के जाट अन्य जाटों से पिछड़े नहीं है । इस संबंध में कोई सर्वे करवाया गया है जिससे भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी ली गई । धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को पिछड़े वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाटों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जो सिफारिशों दी हैं वे क्या है? मेरा निवेदन है कि विशेष नोटिफिकेशन के तहत भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को अन्य पिछड़े वर्ग केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाए।

(iii) Need to introduce Inner Line Permit System in Manipur

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): There has been a consistent demand for introduction of inner Line Permit in the State of Manipur. On 12 July 2012, the State Cabinet resolved to urge the Government of India to extend the provisions of the Bengal Eastern Frontier Regulations, 1873 to the State of Manipur.

The Ministry of Home Affairs has reportedly opposed Manipur Government's demand for the introduction of the provision of Inner Line Permit (ILP) system in the State under the Bengal Eastern Frontier Regulations, 1873. Centre has instead asked the State Government to defuse the crisis and keep strict vigil on the non-Manipuris who were engaged in different low paid trades like barber, mason besides the job of daily wage-labourer.

On 13 July,2012, in consonance with the public demand for implementation of Inner Line Permit system to regulate inflow of outsiders, the State Assembly passed a resolution to put pressure on the Government of India to extend and adopt the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873 with necessary changes in the point of details to the state of Manipur.

The private member resolution which read "that the Manipur legislative Assembly passes a resolution to extend and adopt the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 with necessary changes in the point of details to the State of Manipur and to urge the Government of India to comply the same" was passed by the House unanimously on the last day of the full Budget session on July 13.

Now, I urge upon the Union Government, the Home Ministry, in particular, to immediately look into the matter and introduce the Inner Line Permit System in Manipur.

(iv) Need to utilize the funds available with NGOs for the development of the country

श्री सज्जन वर्मा (देवास): भारत के विभिन्न राज्यों में हजारों की संख्या में एन.जी.ओ. काम कर रहे हैं, शुरूआती दौर में पवित्र भावनाओं के साथ ये एन.जी.ओ. काम कर रहे थे लेकिन वर्तमान में इनमें से अधिकांश संस्थाओं द्वारा सिर्फ आर्थिक अपराध कर यह धनराशि जो केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है इससे समाज की भलाई कम, सदस्यों द्वारा अपने परिवार को ही सिर्फ मजबूत करने का काम किया जा रहा है ।

इन एन.जी.ओ. को मेरी जानकारी के अनुसार हजारों करोड़ रूपये की राजकीय सहायता दी जा रही है, लेकिन इनमें से अधिकांश एन.जी.ओ. इस देश की राशि को दीमक की तरह चट कर रहे हैं ।

अतः मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि एन.जी.ओ. को दी जाने वाली हजारों करोड़ रूपये की यह धनराशि भारत की गरीबी रेखा की सूची के अंतर्गत आने वाले लाखों-करोड़ों परिवार के खाते में सीधे प्रत्येक परिवार को कम से कम 1000 रूपये या इससे कुछ अधिक राशि डाल दी जाए तो देश के गरीबों के उद्धार के लिए यह एक बड़ा कदम होगा या फिर इस हजारों करोड़ की राशि ''देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड'' में डाल दिया जाए, जिससे देश का विकास हो सके ।

(v)Need to grant special status to minority dominated blocks in Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): देश में जिन जिलों में अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से ज्यादा है वही विशेष अल्पसंख्यक जिले घोषित किए गए हैं । देश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर कुछ ब्लाकों में अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से ज्यादा है, परंतु जिलों में रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से कम है । इन ब्लाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक विशेष जिलों का लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि वे अत्यंत गरीब एवं दयनीय हालत में हैं । उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर ऐसे जिले हैं जहां पर अल्पसंख्यक विशेष जिलों का लाभ अल्पसंख्यकों को नहीं मिल पा रहा है ।

सरकार से अनुरोध है कि विशेष अल्पसंख्यक जिलों के स्थान पर विशेष अल्पसंख्यक की आबादी का प्रतिशत 25 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत रखा जाए व जिले के स्थान पर ब्लाक को इकाई माना जाए जिससे गरीब एवं दयनीय हालत में रहने वाले अल्पसंख्यकों का विकास हो सके ।

(vi) Need to check incidents of death of children in Kalawati Saran Children's Hospital, Delhi

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): दिल्ली के कलावती सरन बाल अस्पताल में बीते पांच साल में लगभग दस हजार से अभी अधिक बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया है, जिसका एक आर.टी.आई. के माध्यम से खुलासा हुआ है, यह बहुत ही गंभीर मामला है, अस्पतालों में बालकों के स्वास्थ्य के इलाज में ढिलाई न बरती जाए, यह सरकार को आवश्यक कदम उठाते हुए निर्देश जारी किए जाने चाहिए । क्योंकि वर्ष वार ऐसी घटनाओं में कमी आने के बजाय वृद्धि देखने को मिल रही है । इस पर सरकार को रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए ।

(vii) Need to provide clearance to the power project unit run by the Cheyyur Ultra Mega Power Plant

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): The Cheyyur Ultra Mega Power Plant (CUMPP) proposed by the National Thermal Power Corporation (NTPC) is expected to have a generation capacity of 4000 MW of power, half of which is proposed for Tamil Nadu with an investment of Rs. 16,000 crores. The total amount to be spent for implementation of Environment Management Plan is Rs. 81 million. Apart from the above, the project would provide employment opportunities to many of the villagers who do not have any decent source of income Besides, the power plant would also bring in people from other nearby villages which would provide more business opportunities for locals.

The new Costal Regulatory Zone guideline issued by Ministry of Environment and Forests is the main reason for the delay. The main change in the scope of regulation by the Ministry of Environment and Forests has been to expand the CRZ policy to include territorial waters as protected zones. Secondly, the Power Ministry should give assurance to the local villages especially Panayur Chinnnkuppam and Panayur Peria Kuppam and other nearby villages about the rehabilitation and assured environmental clearance. As per the Ministry of Environment and Forests guidelines a public hearing was held on 28.12.2011 regarding captive jetty and Coal Conveyor off a Panayur Chinnkuppam and the minutes thereof were posted in website.

I request the Power Ministry to clear the proposal from MoEF and initiate action for implementation of the project in my parliamentary constituency immediately. Further, I request the Government to award market based proper compensation to the villagers (549 Project Affected Families) for acquiring land and their rehabilitation in a proper way in the interest of public.

(viii) Need to grant funds for repair and widening of road between Kochi and Thondi as well as Kundannur-Mattakkuzhy (Thrippunithura) bypass on NH No. -85 in Kerala

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): The Stretch of Kochi-Thondi road on NH No. 85 (old NH No.-49 Kochi-Madhura) especially the area started from Tripunithura is an accident prone stretch due to a large number of vehicles, turnings, lack of sufficient breadth, smoothness of road. For development of this stretch of road from Tripunithura, urgent steps may be taken for the Construction of Kundannur-Mattakkuzhy (Thrippunithura) bypass. It should include development works on 5 kms road between 274/00 to 279/00 and between 262/00 to 270/00 (Puthencruze and Peruvammoozhy) with an estimate of Rs. 4.00 crore. It is learnt that the above project has been sent for the financial approval of the Finance Ministry.

Hence, I request that immediate sanction may be accorded with enough funds for repair and widening of the road between Kochi and Thondi on NH No. 85 (Old NH NO. 49). It is also requested to take urgent steps for the completion of Kundannur-Mattakkuzhy (Thrippunithura) bypass considering the increase in accidents and traffic.

(ix) Need to include Pakur, Dumka and Deoghar districts of Santhal Pargana division in Jharkahand under Integrated Action Plan

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Seventeen districts of Jharkhand are under Integration Action Plan which are not only getting additional funds but also the areas having population above 250 are being connected with roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Besides this, three districts of Santhal Pargana-Pakur, Dumka and Deoghar have been converted into Security Related Expenditure (SRE) district. These three districts, which have become the centre point of Naxalites and Naxalites from Bangladesh and Nepal also take shelter there, have created an atmosphere of fear and terror amongst the people of these districts.

Under such circumstances, we demand from the Government of India that at least these three districts, to which the Government has also accepted being naxal affected districts, be included into Integration Action Plan and all the facilities be provided under Integration Action Plan for being SRE districts on priority basis.

(x) Need to recognize Maharaja Ganga Singh University, Bikaner under the provision of section 12B of the University Grants Commission Act

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्रदान करता है। मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर मुख्यालय स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी को 12बी की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने सिफारिश की है तथा तद्‌पश्चात् इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी यूजीसी को सिफारिश के साथ मान्यता के लिए पत्र प्रेषित किया है, लेकिन यूजीसी द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विगत दिनों में राजस्थान की राज्यपाल का बीकानेर दौरा था तथा उच्च शिक्षा से जुड़े हुये सभी संस्थाओं एवं ख्यातिनाम शिक्षाविदों ने महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को यूजीसी द्वारा 12बी की मान्यता दिलवाने के संबंध में राज्यपाल को भी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। बीकानेर राजस्थान के रेगिस्तानी भू-भाग का हृदय स्थल है तथा जीईआर में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में एक रेगिस्तानी इलाके का विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 12बी की शर्तें पूरी करता हो तथा प्रकरण सभी स्तरों से अभिशंषित होकर यूजीसी में लंबित हो तो मान्यता दिलवाने में प्राथमिकता से कार्य करने का दायित्व यूजीसी का बनता है। अतः मैं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री से मांग करता हूँ कि बीकानेर स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता दिलवाने की व्यवस्था करायें जिससे बीकानेर संभाग की सभी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राहत उपलब्ध हो सके।

(xi) Need to provide better health services in rural areas of the country

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): देश में चिकित्सा संबंधी व्यवस्थायें सभी जगह गरीबों की पहुँच से दूर हो रही हैं । जितना बड़ा शहर है उतनी सुविधायें बढ़ती जाती है, किंतु गांवों में न डाक्टर रहता है न कंपाऊंडर और न नर्स, ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों की ओर निर्भर रहना पड़ता है जिससे कई लोग उचित चिकित्सा के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयत्न किये जा रहे हैं । निःशुल्क दवाइयां वितरण की भी योजना बनाई जा रही है किंतु डॉक्टरों एवं पैरा मेडीकल स्टाफ की कमी को दूर करने के संबंध में कोइ कार्य योजना नहीं बनायी जा रही है । नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा तहसील मुख्यालयों पर बीमारियों की जांच के आधुनिक उपकरणों तथा उनके तकनिशियनों को भी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है ।

अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा कस्बों में गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिए सभी तरह की निःशुल्क जांचों के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की नियुक्ति करवाने का सहयोग करें ताकि युवाओं को रोजगार भी मिल सके ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी कम हो सके ।

(xii) Need to repair National Highway No. 28B in Bihar

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर): बिहार के पश्चिम चम्पारण-बगहा-उत्तर प्रदेश सीमारा से एन.एच. 28बी कहीं-कहीं इतना खराब हो चुका है कि आम जनों के आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है । सड़क में कहीं कहीं खड्डा हो चुका है । जिसके कारण वाहनों की बड़ी लंबी लाइन लग जाती हैं ।

अतः मैं जनहित में मांग करता हूं कि एन.एच. 28बी की मरम्मत करने की कारवाई करें ।

(xiii)Need to ensure availability of fertilizers at affordable price to the farmers of the country

DR. RATNA DE (HOOGHLY): I would like to raise a few important issues which have directly affected the farmers of the country. The prices of fertilizers needs to be revised or a bonus is to be announced on the existing M.S.P. as the same has resulted increase in the prevailing market price. Prices of fertilizers are going up unabatedly for the last many years. Our Chief Minister followed up with the Prime Minister vide her letter dated 8th Feb, 2012 seeking immediate resolution by taking urgent steps to ensure availability of decontrolled fertilizers to the small and marginal farmers with a view to prevent further distress amongst the poorer sections of the farming community. From time to time, Hon'ble Chief Minister had highlighted the gravity of the situation and requested the Government to ensure that the prices of fertilizers are not increased and availability of fertilizers is smooth and easily accessible to the farmers of the country. I hope Union Government would look into it positively and do the needful with immediate effect.

(xiv) Need to grant citizenship rights to Sri Lankan refugees living in Tamil Nadu and other parts of the country

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): It has been a long pending demand of the people of Tamil Nadu especially that of the DMK party and its leader Dr. Kalaignar to give Indian citizenship rights to the Sri Lankan refugees living in Tamil Nadu and other parts of the country. The Sri Lankan refugees have been leading a miserable life in India. Our leader Dr. Kalaignar has recently written a letter to the Hon'ble Prime Minister to provide Indian Citizenship rights to Sri Lankan refugees. The UN resolution also provides such consideration for the refugees living in host country to have the rights of that country. The Sri Lankan refugees are neither getting any support from Sri Lanka nor from the country in which they are living. Therefore, I urge upon the Government to grant Indian citizenship rights to Sri Lankan refugees living in Tamil Nadu and other parts of the country at the earliest.

(xv) Need to protect the interests of tribals living in Parambikulam Forest in Chittur taluk of Palakkad district, Kerala

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Parambikulam forest is a protected area in Chittur taluk in Palakkad district of Kerala. The Parambikulam forest area has six tribal colonies. These colonies are home to 4 different adivasi communities. There are around 277 households having population around 1100. They are part of this forest since time immemorial and have a symbiotic relation with the forest. In 2010 out of the total 90.88 square kilometers of the forest, 150.9 sq was declared as Tiger Reserve in February. The State Government was to declare the existing tribal settlements inside the forest as buffer zones. A part of the Parambikulam forest comes under the Anamalai ranges of Tamil Nadu and Nelliampathy ranges comes under Kerala. Though the Parambikulam Sanctuary was part of the Muthalamada Panchayat in Kerala, there is no direct access to it from there. The only gate-way to the Parambikulam forest is from the Annamalai check post which lies in Tamil Nadu. The closure of Anamalai check post of Tamil Nadu since July 25, after the ban ordered by Supreme Court on tourism in core areas of tiger reserves across the country, was a heavy blow to the tribal’s livelihood. The eco tourism activities of the Kerala forest department were a means of income to many tribal people and they could earn rupees 6000 to 12000 per month. Since there is no tourism activity in the core area of Parambikulam, the said Tiger reserve, as such, does not come under the ambit of the court order. The move has deprived 300 tribal people, who were working as members of Eco-Development Committees, guides and eco-tourism activities, of their livelihood. Even with the existence of the forest rights act (2006), they are literally stranded in the forest and their means of livelihood are denied. I urge the government to intervene in this matter urgently and take necessary steps to protect the life of the tribal people.

(xvi) Need to exempt brick Kiln Units from the Supreme Court Judgment regarding ban on excavation of brick-earth without obtaining an environment clearance

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (FARIDKOT): The recent judgment of Hon'ble Supreme Court has put a blanket ban on the excavation of Brick earth which is the very basic raw material for bricks industry. The provisions laid down to take environment clearance are practically impossible for the brick industry due to its nature of operation and work. The Brick industry does not cause any damage to environment and extracts earth from the unleveled land. Brick industry is seasonal and falls into the ambit of small scale and cottage industry. The judgment has rendered millions of people jobless and will force them to migrate to urban areas in search of jobs where there is already stagnation.

To safeguard the future of about 90 million people and Brick industry which is a vital link between the development of India and the common people, I urge the Union Government to direct the concerned Department for the immediate solution.

(xvii) Need to operate international flights from Srinagar international Air-port to boost the tourism industry in the State of Jammu and Kashmir

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Srinagar International Air-Port is the only Air-Port from where no International flight operates. Way back, this Air-Port was officially declared as such and a Sign board was put up and a flight or two started as well. After some time that was stopped for reasons best known to Ministries of Civil Aviation and External Affairs. The Sign Board still says," Srinagar International Air-Port".

I would urge upon Government of India to allow International flights to operate from the Airport so that the State of J&K can attract foreign tourists directly to visit the beautiful valley and boost the tourism in the State.

14.01 hrs

PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING (AMENDMENT) BILL, 2011

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item no. 7 – Shri P. Chidambaram.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002, be taken into consideration."

The Prevention of Money Laundering Act, 2002 was enacted in 2003 and brought into force on 1st July 2005 to prevent money laundering and to provide for attachment, seizure and confiscation of property obtained or derived, directly or indirectly from or involved in money laundering and for matters connected therewith or incidental thereto. Sir, I may clarify here that the money-laundering used in a colloquial sense is not the money-laundering that is referred to in the Act. There must be a crime. There must be proceeds of a crime and anyone who deals with the proceeds of a crime is guilty of the offence of money-laundering. This Act, as you know, was passed in 2003. The Act also addresses the international obligations under the Political Declaration and Global Programme of Action adopted by the General Assembly of the United Nations to prevent money-laundering. The Act was amended in the year 2005 and 2009 to remove the difficulties arisen in implementation of the Act.

The problem of money-laundering is no longer restricted to the geo political boundaries of any country. It is a global menace that cannot be contained by any nation alone. In view of this, India has become a member of the Financial Action Task Force, which is a global body, and the Asia Pacific Group on money-laundering, which are committed to the effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money-laundering and the financing of terrorism. Consequent to the submission of an action plan to the Financial

Action Task Force to bring anti money-laundering legislation of India at par with the international standards and to obviate some of the deficiencies in the Act that have been experienced by the implementing agencies, the need to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 has become necessary. Hence, the Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, 2011 was introduced in Lok Sabha on 27/12/2011.

The Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill , *inter alia*, seeks to introduce the concept of 'corresponding law' to link the provisions of Indian law with the laws of foreign countries and provide for transfer of the proceeds of the foreign predicate offence in any manner in India; enlarge the definition of offence of money-laundering to include therein the activities like concealment, acquisition, possession and use of proceeds of crime as criminal activities and remove existing limit of five lakh rupees of fine under the Act; make provision for attachment and confiscation of the proceeds of crime even if there is no conviction so long as it is proved that the offence of money-laundering has taken place and property in question is involved in money laundering. There are amendments to some other provisions with regard to the reporting entities, attachment of property, trial in the special courts etc., which have also been included in the Bill to make the Anti Money-Laundering law more effective.

The Bill was referred to the Standing Committee on Finance for examination and report thereon. The Standing Committee on Finance has presented its 56th Report on Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, 2011 to the Lok Sabha and laid in the Rajya Sabha on 09.05.2012. The Standing Committee on Finance has made 18 recommendations, and I am happy to say that all the recommendations have been accepted by the Government. I am very happy that there is complete unanimity on the Bill as well as amendments to the Bill. The consequential changes required thereby have been proposed through a list of official amendments, which is placed before the House for consideration.

I would request the Members to consider and support the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002, be taken into consideration."

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। बड़ी खुशी की बात है कि 6-7 महीने बाद हम लोगों को पार्लियामैंट में कुछ बोलने का मौका मिला।...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : आपकी वजह से ऐसा हुआ।...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : पार्लियामैंट में 545 सदस्य हैं और मेरा नम्बर 545 है। पार्टी ने मुझे पहले बोलने के लिए खड़ा किया है। जब-जब पार्लियामैंट का लॉग जाम होता है, संयोग यह है कि जब जेपीसी में लॉग जाम हुआ तो पार्टी की तरफ से मैं ही पहला स्पीकर था जब लॉग जाम टूटा। पिछली बार जब एफडीआई के बारे में पार्लियामैंट रुकी थी, मैं ही पहला स्पीकर बोला था। आज तीसरी बार जब यह गतिरोध टूटा है तो मैं ही पहला स्पीकर हूं जो बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आपने हैट्रिक कर दी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : मेरी पार्टी और नेता माननीय सुषमा स्वराज जी बताना चाहती हैं कि इस पार्लियामैंट में आगे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पीछे वालों की बात सुननी चाहिए। जिनके पास अधिकार है, जो पावर में हैं, उन्हें गरीबों, पिछड़ों, दलितों आदि सबकी बात सुननी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : आप सब्जैक्ट पर बोलिए।...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के सारे रिकमैंडेशन मान लिए हैं। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन पार्लियामैंट किस ढंग से फंक्शन करती है, यह देश के लिए दिखाने वाली बात भी है कि हम सब मुद्दों पर केवल लड़ाई ही नहीं करते, हम एक साथ भी हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है, पक्ष और विपक्ष मिलकर उस कदम को बढ़ाते हैं, यही इसे दिखाता है।

आज देश के हालात कैसे हैं? माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। एफडीआई पर इतना बड़ा हंगामा हुआ। एफडीआई रोका जा सकता था, क्योंकि कई लैजिसलेशन हैं, जैसे यह लैजिसलेशन है। हम एफएटीएफ के मैम्बर हो गए हैं 180 कंट्रीज़ के साथ। इस लैजिसलेशन को पास कराने की आवश्यकता थी। हम पहले इसे ले सकते थे। आपका पैंशन बिल रुका पड़ा है, इंश्योरैंस बिल रुका पड़ा है, डायरैक्ट टैक्स कोड हमारी कमेटी ने दे रखा है, कॉरपोरेट बिल पैंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन इन सबको छोड़कर हम एफडीआई में अपना वक्त जाया करते रहे। देश के हालात क्या हैं? देश के हालात ये हैं कि फिसकल डैफीसिट इतना बड़ा हो गया है। मैं उस पर आऊंगा। आपको दो मिनट सुनना पड़ेगा। करैंट एकाउंट

डैफीसिट की हालत क्या है? फिसकल डैफीसिट की हालत क्या है? इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां जा रहा है? इन्वैस्टमैंट की क्या हालत है, इन्फ्लेशन की क्या हालत है? इसके बाद जो देश के हालात आप कर रहे हैं, इसकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में आपको बताना चाहिए।

अभी आपने बड़े विस्तार से प्रिवैंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट के बारे में कहा, एफएटीएफ के बारे में कहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण लैजिसलेशन दिए, जिन्हें आप बार-बार कहते हैं कि हम विकास के लैजिसलेशन आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2003 में यह अमैंडमैंट पास हो गया, 2005 में आपने लागू किया। हालात यह है कि हमारी जो पार्लियामैंट है, प्रिवैंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट चूंकि पहला है और बड़ा सही समय है कि हमने इसे लिया है। इस हालात में पार्लियामैंट और पॉलिटिशियन्स की हालत खराब होती जा रही है। इसके बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बाहर बैठा कोई आदमी इस देश के बड़े बिजनसमैन के ऊपर एक आरोप लगा रहा है कि उसका स्विस बैंक में एकाउंट है, क्योंकि इसका पीएमएलए से ही लेना-देना है। इस हाउस की एक मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसके फॉरेन बैंक में एकाउंट हैं। न पार्लियामैंट कुछ बोल रही है न वित्त मंत्री होने के नाते आप बोल रहे हैं और न वे लोग बोल रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि यह मैसेज जाता है कि यह पार्लियामैंट, पॉलिटिशियन, मंत्री, ब्यूरोक्रैट्स सब मिलकर कलप्रिट को बचाना चाहते हैं और ब्लैक मनी कहीं भी चली जाए, उससे इस देश को मतलब नहीं है। इस बारे में आपको जवाब देना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आयेगा कि हम सभी 545 मैम्बर्स जोखड़ की तरह देश के बाहर नजर आयेंगे, कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं।

वित्त मंत्री जी, जब आप अपना जवाब दें, तो उसके बारे में भी क्लेरीफिकेशन करेंगे, तो बहुत बढ़िया होगा। एफएटीएफ क्या कह रहा है? एफएटीएफ सैक्शन 5,6,7,8 के बारे में बड़ा स्पेसीफिक है। एफएटीएफ के 40 रिकमेंडेशन्स हैं और 9 रिकमेंडेशन्स उन्होंने बाद में जोड़े हैं। वर्ष 1996 में उसके 40 रिकमेंडेशन्स थे और 9 रिकमेंडेशन्स बाद में जोड़े हैं। उसका रिकमेंडेशन क्या है? उसका रिकमेंडेशन आज जो देश के हालात हैं। देश के हालात इसलिए हैं कि हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। एक माले जैसे कंट्री आपको आंख दिखा रही है। आपकी कम्पनी को कह रही है कि जाओ, बाहर चले जाओ। नेपाल से काउंटरफिट करेंसी आ रही है। नेपाल से टेरोरिज्म आ रहा है। बगल में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बंगलादेश में क्या हो रहा है, म्यमांर में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है? यदि इसे देखेंगे, तो इसके लिए हम जो पीएमएल कानून अमैंड करने जा रहे हैं, यह सबसे इम्पोर्टैंट है। सबसे इम्पोर्टैंट उसका 5,6,7, 8 सैक्शन है, जिसके आधार पर यह आवश्यकता पड़ी और हम लोग इसे अमैंड करने जा रहे हैं। यह क्या कह रहा है? एफएटीएफ ने क्या-क्या केटेगिरीज बांटी है? एफएटीएफ ने बांटा है कि

जो टेरोरिस्ट और क्रिमिनल एक्टीविटीज चल रही है, उसके ऊपर कहीं न कहीं लगाम लगेगी। मैं यह कहा रहा हूं कि आपने फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट बनायी है, इनफोर्समैंट बनाया है। आज भी दोनों चीजें लागू हैं। वर्ष 2005 से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एफआईयू में आप एक ज्वाइंट सैक्रेट्री को एप्वाइंट कर देते हैं। एप्वाइंटमैंट करने के बाद सात साल में उन्होंने कितने केसेज हैंडल किये हैं, कितना उससे बेनीफिट हुआ है, कितनी ब्लैक मनी हम रोक पाये हैं, कितनी मनी लॉड्रिंग हो पायी है? इनफोर्समैंट में क्या पावर है? आप जिस तरह के कानून बना रहे हैं, हमने तो स्टैंडिंग कमेटी में इसे रोकने का प्रयास किया। आपने सबसे पहला रिकमेंडेशन यह दिया था कि जो बाहर का कानून है, वह हिन्दुस्तान में लागू नहीं होगा। हमारे यहां इस तरह का हो चुका है। वारेन एंडरसन, भोपाल गैस ट्रेजडी वाले और क्वात्रोची भाग चुके हैं, आपको पता है। आपने कहा कि डीटीए में आप जिस पैक्ट को साइन करेंगे, वह इंडियन कोर्ट पर लागू नहीं होगा। हमने स्टैंडिंग कमेटी में उसे ऐबालिश किया और आपने उसे खुशी से माना है। लेकिन जो लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, वे किस तरह की नौकरी कर रहे हैं। आज कश्मीर के हालात क्या हैं? कश्मीर में जो टेरोरिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है, उसके हालात क्या हैं? मेरा यह कहना है कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट, एफआईयू और इनफोर्समैंट डायरेक्टरेट क्या कर रहा है? मैक्स डील, जो एक्सिस का मलेशिया का डील चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि लैटर ऑफ रिट्रोगेट्री हमने भेज दिया है, उसका जवाब आएगा। टू-जी में आपको पता है कि मॉरिशियस में आपने एलओआर दूसरी कंट्री के साथ भेज दिया, वहां से कितने जवाब आपके पास आ पाये हैं। इसके उदाहरण के लिए आपके पास क्या योजना है, मुझे नहीं समझ में आता है। पीएमएलए जो कानून आप चेंज कर रहे हैं, उसमें भी इसकी कोई व्याख्या मुझे नहीं दिखायी देती।

दूसरा, ह्यूमन बिंग की ट्रैफिकिंग होती है। आपको पता है कि मिडल ईस्ट में यहां की लड़कियां जाती हैं और यह पेलारमा कन्वैंशन है, जिसके ऊपर एफएटीएफ बना था। विएना कन्वैंशन है, जिसके ऊपर एफएटीएफ मना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो इंटर कंट्रीज का बना है, उसके पीछे पेलारमा एग्रीमैंट और विएना कन्वैंशन दोनों है। मैं यह कह रहा हूं कि ह्यूमन बिंग और चाइल्ड, ये जो दो ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसके बारे में पीएमएलए कानून में आप कहां से संशोधन कर रहे हैं क्योंकि ये सारे रिकमेन्डेशन्स एफएटीएफ के हैं। इसके बाद जो विदइन कंट्री एंड आउट साइड कंट्री जो सैक्सुअल एक्सप्लायटैशन हो रहा है, आपको पता है कि रूस से यहां महिलाएं आती हैं, चीजें आती हैं। इसका पीएमएलए कानून में किस तरह का जिक्र है? इसके बाद ड्रग्स और आर्म्स डीलर्स हैं। कई जगह हमेशा यह देखा जाता है कि जितने डिफेंस डील होते हैं। अभी भी एक डील के बारे में अखबार बोलते रहे हैं। उसके बारे में आज तक क्या-क्या एक्शन हुआ है? इनफोर्समैंट ने क्या एक्शन लिया है, एफआईयू ने क्या एक्शन लिया है? ड्रग्स के लिए, बर्मा, कश्मीर और चाइना का पूरा एरिया है, ड्रग्स के लिए पूरा बॉर्डर खुला हुआ

है। नेपाल का पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, बंगलादेश का बॉर्डर खुला हुआ है। हम खुद ही इससे परेशान रहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हम भी परेशान हैं। पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप यूआईडी कार्ड बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यूआईडी कार्ड के आधार पर आप किस तरह से इललीगल इमीग्रैंट को यहां माइग्रेशन दे रहे हैं, उनको रेसीडैंट बना रहे हैं, उनको सिटीजन बना रहे हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। इसके बारे में कौन सा कानून है। एफएटीएफ की यह रिकमेंडेशन है। इसके बाद जो चोरी के सामान यहां आते हैं। आपके ही डिपार्टमेंट ने कई बार गाड़ियों को पकड़ा है। कई बड़े-बड़े लोग पुरानी चोरी की हुई गाड़ी को, अमेरिका में चोरी हो रही गाड़ी, कहीं नेपाल के रास्ते यहां आ रही है, कभी चाइना के रास्ते आ रही है और इसी तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में भी यह कानून मौन है। इसके बाद करप्शन एंड ब्राइबरी की बात आती है। करप्शन एंड ब्राइबरी एक ऐसी चीज है, मैंने जैसे अभी डिफेंस डील की बात कही, हमारे देश में यह एक संदेश जा रहा है कि छोटे से बड़ा, तहसीलदार से लेकर रोजगारसेवक, रोजगारसेवक से लेकर संसद सदस्य, संसद सदस्य से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री आदि सभी लोग ब्राइबरी के ऊपर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ब्राइबरी और करप्शन के ऊपर किस तरह की सजा हो सकती है? कैसे सजा के प्रावधान किए जा सकते हैं? कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है? मुझे लगता है कि यह अमेंडमेंट बिल उसके बारे में कहीं न कहीं चूक गया है। इसी तरह से पाइरेसी एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि यहां के फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, तो पता चलता है कि बाहर का गाना मंगा लिया, पता चलेगा कि कोई फिल्म किसी दूसरे देश में पहले से ही सुपरहिट फिल्म थी, वह यहां चली आई या यहां फिल्म रिलीज नहीं होती है और बाहर वह फिल्म रिलीज हो जाती है। इस तरह की जो पाइरेसी है, उसके बारे में यह कानून चुप है। इसके बाद एक्सटॉर्शन और इनसाइडर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा विषय है।

अभी आपने अमेरिका का उदाहरण देखा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग में बड़े से बड़े एग्जीक्यूटिव को जेल भेजने की बात आ गयी, लेकिन हमने इस कानून में कोई प्रॉविजन नहीं किया है। कहां-कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां-कहां पैसे जाने वाले हैं? ट्रस्ट के बारे में इस कानून में कुछ नहीं है। अभी जिस तरह से न्युक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री जी का बयान था कि बाहर की एजेंसीज यहां न्युक्लियर पावर प्लांट सेट-अप न हो, इसके लिए एनजीओज की फंडिंग कर रही हैं। उसके बारे में पीएमएलए कानून क्या कह रहा है? इसी तरह लायर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं देख रहा हूं कि कोई भी पार्टी हो, उसमें लायर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। आप खुद वकील हैं, कपिल सिब्बल जी, ए.के. एंटनी जी, वीरप्पा मोइली जी आदि लायर हैं, आप सभी बड़े-बड़े वकील इस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह जो करप्शन है, लायर्स हैं, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, प्रोफेशनल्स हैं, चाहे विदिन कंट्री फ्रॉड

हो रहा है, सत्यम जैसा फ्रॉड हो रहे हों, चाहे बाहर के फ्रॉड हो रहे हों, चाहे किसी तरह का फ्रॉड हो रहा हो, उसके ऊपर एफएटीएफ बहुत ज्यादा अटैक करने की बात कर रहा था, उसके बारे में भी आप मौन हैं। मेरा यह कहना है कि लायर्स के बारे में, सीए के बारे में आपकी क्या सोच है? इस तरह की चीजें, दुर्घटनाएं कभी घटित न हों, इसके बारे में आपको बताना चाहिए था। इसके बाद जो बिल था, उसमें दो-तीन चीजें बहुत इर्म्पोटेंट थीं। आपने एफआईयू बना दिया, एनफोर्समेंट बना दिया, आपको पता है कि पी-नोट्स के बारे में नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर ने कई बार क्वेश्चन्स रेज किए और जब नारायणन साहब नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर थे, पी-नोट्स, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, सेबी के रूल्स के बारे में हमेशा कहते थे, लेकिन आप पार्लियामेंट को यह जानकारी दें कि पी-नोट्स के बारे में,शेयर मार्केट में जो बाहर से पैसा आ रहा है, टेररिटस्ट्स का पैसा आ रहा है, ड्रग्स का पैसा आ रहा है, ट्रैफिकिंग का पैसा आ रहा है, जो ब्लैक मनी जेनरेट हो रही है, राउण्ड ट्रिपिंग हो रही है मनी की चाहे वह मॉरीशस के माध्यम से हो रही है या टैक्स हैवेन्स के माध्यम से हो रही है, उसके बारे में क्या आपने सेबी, एफआईयू, ईडी, एनफोर्समेंट, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस या सीबीडीटी की इनवेस्टीगेशन एजेंसी की कोई मीटिंग बुलाई है? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे इसको रोकने का कहीं प्रयास हो? मैं देखता हूं कि दिन-प्रति-दिन ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। इसके बारे में आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? आरबीआई, सेबी और आपके मंत्रालय का किस तरह से एक गठबंधन मैकेनिज्म चला है? यह हमारी रिकमेंडेशन है। उसके बाद आपने 6-7 महीने में क्या किया है, उसके बारे में पार्लियामेंट में बताना चाहिए। एक आर्डिनरी बैंक कस्टमर्स के बारे में आपने एक लॉ बनाया और उसके बारे में कहा कि बैंक मैनेजर प्रूव करेगा कि हम जो वहां खाता खोल रहे हैं और उसमें जो जेवर-गहने रख रहे हैं वे टैरेरिस्ट एक्टिविटी के हैं या नहीं, आर्म्स एक्टिविटी के हैं या नहीं। एक और इंस्पेक्टर आप वहां खड़ा करने के लिए यह कर रहे हैं। आप यह बताइये कि किन परिस्थिति में यह नियम होगा क्योंकि आप अपने कस्टमर्स से यह कहते हैं कि "know your customer" यानी केवाईसी नार्म्स लागू होता है। एक कस्टमर लिखकर दे देता है कि हमारा जो पैसा है वह गैर-कानूनी नहीं है, तो इसके बाद आपको इस प्रकार के कानून की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके लिए आपको संसद को बताना चाहिए था।

हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेनामी-सम्पत्ति की है। माननीय नमोनरायण मीणा जी ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि राजस्थान में बहुत राजा-महाराजा थे। किसी भैंस,बकरी,घोड़ा के नाम से सम्पत्ति खरीद लेते थे। तो यह जो बैनिफिशरी ऑवनर है..

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): आपके मैम्बर्स भी तो राजस्थान से हैं। आप दुष्यंत जी से भी पूछ सकते हो।

श्री निशिकांत दुबे : आपसे ही पूछ लेते हैं, आपके पास इज्यराज जी कोटा के राजा बैठे हुए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। जो सामने दिखाई देता है उसी से पूछा जाता है। मेरा कहना यह है कि यह जो बैनिफिशियल ऑवनर को चूज करने का या उनकी सम्पत्ति को अटैच करने का सवाल है या कनफिशकेट करने का सवाल है या जिस तरह से आप ब्लैक-मनी के ऊपर आप डीटीएए कर रहे हैं, आप जो विदेशी बैंकों में यहां के पैसे जमा हैं, उनके लिए आप बैनिफिशियल ऑवनर की परिभाषा कैसे देंगे, क्योंकि कई एक डैफिनेशन हैं जो आपने इस एक्ट के अमेंडमेंट में बदले हैं। इस बैनिफिशियल ऑवनरशिप के लिए कैसे आप उसकी सम्पत्ति को अटैच करेंगे, कैसे उसकी वह सम्पत्ति वापस आयेगी, मुझे इस बिल में इस तरह की कोई स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है।

जो एफएटीएफ ने कहा है कि पॉलिटिकली-एक्सपोज्ड पर्सन जो हैं वे इस तरह की गतिविधियों में बहुत लगे रहते हैं, उनके लिए क्या नियम होगा, उन्हें किस तरह की पैनल्टी दी जाएगी। हम समाज में किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि यह हमारा और आपका सवाल नहीं है। आप आज वहां बैठे हुए हैं, कल दूसरा कोई उस तरफ बैठ जाएगा। मैंने माननीय चिदम्बरम साहब को कहा कि कल वह गृह मंत्री थे, आज वह वित्त मंत्री हैं और कल को प्रधान मंत्री बन जाएं। इसलिए मैंने कहा कि आज आप वहां बैठे हुए हैं, कल कोई तीसरा आदमी आ जाएगा। मैं यह कह रहा हूं कि पॉलिटिकली सिस्टम के ऊपर जो इतना बड़ा अटैक है और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जो है उसके बारे में एफएटीएफ बहुत गंभीर है, इसके बारे में कानून में आपने क्यों व्याख्या नहीं की, इसके बारे में भी आप संसद को बताएं।

इसके बाद विदेशी शाखाओं की बात आती है। आप देखेंगे कि अभी जितना हंगामा चल रहा है या इससे पहले भी स्टॉक-एक्सचेंज में चाहे केतन-पारीख, हर्षद मेहता का हंगामा हो या अभी जो एचएसबीसी जैनरेट करने का सवाल है, इसमें जो विदेशी शाखाएं हैं, चाहे कंपनी की शाखाएं हैं जो यहां बिजनैस करना चाहती हैं या जो बैंक्स हैं, जिनके माध्यम से यहां ट्रांजैक्शन होता है, विदेशी शाखाओं के ऊपर वह बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, कह रहा है कि सख्त कानून बनाकर इसे कंट्रोल करो। नहीं तो ऐसा सिस्टम आयेगा कि कोई चीज इससे नहीं बचेगी। तो विदेशी शाखाओं के बारे में वित्त मंत्री जी आपकी क्या सोच है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए।

इसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सीक्रेसी लॉ है, वह हमें कहीं रोकता तो नहीं है। आपने कहा कि डीटीएए कर लिया, स्विटजरलैंड से हमारी यह संधि है, जर्मनी के साथ यह संधि है लेकिन अमरीका जैसा देश यह बता पा रहा है कि ब्लैक-मनी कहां है, ड्रग्स, आर्म्स, ह्यूमन-ट्रैफिकिंग का मनी कहां है लेकिन हम सीक्रेसी लॉ के अंतर्गत कहते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उस सीक्रेसी लॉ को

आप कैसे खत्म कर पायेंगे, जिंक्स को कैसे खत्म कर पायेंगे, यह भी देश को बताने की आवश्यकता है। जो क्रॉस-बार्डर से जो काउंटर-फीट करेंसी का जो सबसे बड़ा मामला है, उसमें से हम अपने पैसे को कैसे बचा पायेंगे। जो पैसा आ रहा है, चाहे बंगला देश के माध्यम से आ रहा हो, चाहे पाकिस्तान के माध्यम से आ रहा हो, नेपाल के माध्यम से आ रहा हो, उन्हें हम कैसी सजा दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मिनिमम पांच लाख होगा और मैक्सीमम इतना होगा। जज कहेगा कि मिनिमम दो से सात साल तक की सजा है तो कई कोर्ट ऐसा करते हैं कि मिनिमम सजा को कह देते हैं। इस बारे में भी स्पष्टता से बताएंगे तो हम लोगों पर उपकार होगा, संसद के ऊपर उपकार होगा और भारतीय जनता पार्टी के ब्लैक मनी के ऊपर जो मुद्दे हैं, हम लगभग वर्ष 2009 से लड़ते रहे हैं, इसके लिए श्वेत पत्र जारी किया है। आपको पता है कि पांच सौ बिलियन डालर से ऊपर की मनी वहां है। आपके पास पैसा नहीं है। आप रोज मीटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री के यहां आपने तीन दिन मीटिंग की है। आपने सभी को कह दिया है कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। यदि नए प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, तो कल चुनाव होंगे, 545 संसद सदस्य अपने क्षेत्रों में जाएंगे और कहेंगे कि दो साल तक कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि आपने ऐसा आदेश दे दिया। इस तरह से एक्सपोज्ड लोग हैं, बड़े लोग हैं, वे बाहर का पैसा ले आएंगे, उनका पैसा लाने की आपके पास सुविधा नहीं है, उनका नाम बताने की आपके पास सुविधा नहीं है। किसी न किसी कानून का वे सहारा ले रहे हैं, तो इस देश को कैसे चलाएंगे? नरेगा जैसी योजना भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि आपको लगता है कि इस तरह से हम किसी को ठीक कर पाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। मेरा कहना है कि जिस तरह के स्कैम अभी देश में चल रहे हैं, चाहे वह 2-जी के हैं, चाहे सीडब्ल्यूजी के हों, चाहे कोयले के हों। मैंने कोयले के बारे में भी पढ़ा है कि एनफोर्समेंट एजेंसी मनी लानडरिंग एक्ट की जांच कर रही है। 2-जी में भी मनी लानडरिंग एक्ट की जांच कर रही है। सभी में आप एलओआर भेज रहे हैं। एलओआर का कोई फायदा यहां दिखाई नहीं देता है। आपने स्टैंडिंग कमेटी की रिक्मेंडेशन को ऐसा किया है, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे काउंटर फीट करेंसी के खिलाफ हो, चाहे प्रिवेंशन आफ मनी लानडरिंग एक्ट हो, इस देश को नए और मजबूत कानून की आवश्यकता है और आप जो कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा करने की आवश्यकता है। हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे कि अंधेरे में दीया जलाने में क्या नुकसान है, आप अंधेरे में दीया जलाने का काम करें। हमारे जैसे लोग आप लोगों को हमेशा मदद करते रहेंगे। यह देश बड़े क्राइसिस में है। आप अपनी जिद को छोड़ें। पेंशन बिल है, इंश्योरेंस बिल है, आप बेनामी ट्रांजेक्शन बिल आप अभी ले कर आएंगे, डायरेक्ट टैक्स कोड है, कारपोरेट बिल है। देश को बचाने का प्रयास कीजिए, ऐसा न हो कि हमें सोना बेचना पड़े। सोना कहीं गिरवी रखना पड़े और ऐसा करके देश

चलाना पड़े। इसलिए इनफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। इस तरह के मजबूत कानून पर ध्यान दीजिए, तभी देश आगे बढ़ पाएंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदय, प्रिवेंशन आफ मनी लानडरिंग एक्ट अमेंडमेंट, 2011 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बड़े गर्व से कहा कि हम कई लोगजेम के बाद जो पहले स्पीकर होते हैं, वैसे स्पीकर की भूमिका निभाते हुए उन्होंने आज की बहस की शुरूआत की है। वित्त मंत्री ने कहा कि जब स्टैंडिंग कमेटी के पास यह बिल रेफर किया गया, तो स्टैंडिंग कमेटी ने लगभग अस्सी सिफारिशें दी थीं। बाटम लाइन यह है कि सभी की सभी सिफारिशें मान ली गईं। आप स्वयं स्टैंडिंग कमेटी में हैं और आप स्वयं शिकायत कर रहे हैं कि साहब यह सारी चीजें भी होतीं तो अच्छा होता। कहीं न कहीं स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमण्डेशन के समय, जिसमें आपको अभी भी कहीं न कहीं कमी दिख रही है, उसको अगर दिया होता तो बेहतर होता। इस संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मैं एक-दो बातें मैं रेखांकित करना चाहूंगा। हमारा देश और पूरी दुनिया तीन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। एक भ्रष्टाचार, दूसरा कालाधान का विषय और तीसरा आतंकवाद का विषय। आज जो संशोधन वित्त मंत्री महोदय सदन में लेकर आए हैं, वह इन तीनों बड़ी चुनौतियों को झेलने की क्षमता रखता है। कोई कानून अंतिम कानून नहीं होता। हर कानून में संशोधन की गुंजाइश होती है लेकिन आज जिस रूप में यह संशोधन विधेयक आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो हमारे यहां प्रोसीड ऑफ क्राइम को रोकने, चैक करने का प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उस पर निश्चित तौर से कामयाबी मिलेगी।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, काले धन के मुद्दे पर अकसर हमारे देश में चर्चा होती है। लोगों ने बड़े बड़े नारे लगाये। हर नारे का अंत इस बात पर जाकर होता है कि जो सरकार दिल्ली में है, वह सरकार भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में या ब्लैक मनी को वापस लाने की दिशा में कुछ नहीं कर रही है। सच्चाई यह है कि बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे देशों के साथ समझौते किये गये हैं। एक जमाने में उस तरह के समझौते नहीं थे जिसकी वजह से विदेशों की बैंकों में काला धन पलता था। काले धन को आप ला नहीं पाते थे। लेकिन हाल के दो तीन वर्षों में विशेषकर 2009 से लेकर अब तक मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में इस तरह के डीटीएस किये गये हैं। टैक्स इंफॉर्मेशन ट्रिक्स की गई हैं। लगभग 180 देशों की संस्था एफएटीएफ है और कहते हैं कि यह एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, इसका मुख्य तौर पर काम यह है कि भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी की जो आदतें हैं, उन पर नियंत्रण किया जाए। एफएटीएफ का मैम्बर हमारा देश 2010 में बना। उससे पहले का जो कानून था और जो 2002-2003 में आया था, यह 2005 में लागू हुआ। वह कानून पीएनएलए था। एक दो बार उसमें संशोधन हुआ था। मेरे ख्याल से आखिरी संशोधन 2009 में हुआ। समय समय पर जब जब जरुरत पड़ती गई, इसमें संशोधन हुआ है। लेकिन विशेषकर एफएटीएफ और उसका जो एशियन पेसिफिक ग्रुप है जिसमें हिन्दुस्तान की तरफ से हमारे मंत्रीगण चेयर पर बैठते हैं, उसके तहत जो

निर्णय लिये गये, उन निर्णयों को इसमें इंकॉरपोरेट किया गया। उन निर्णयों को इसमें कैसे इंकॉरपोरेट किया गया, उसके ऊपर बोलने से पहले भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के खिलाफ हमारे देश में क्या हो रहा है, उस पर मैं एक टिप्पणी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के वॉशिंगटन से जुड़े हुए एक डाइरेक्टर रेमंड बैकर जो कि राइटर भी हैं, उन्होंने क्या कहा है, यह मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं:-

> "It is encouraging to see the zealous enthusiasm that has surfaced in India over the past few years on eliminating black money or illicit financial flows. While many other countries are taking modest steps to curtail illicit flows, India has gone ahead to make the issue one of pressing national importance. Applause is due to the nation, while more work remains to be done."

यानी पहले से पिछले दो तीन वर्षों में भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी पर नियंत्रण करने की दिशा में भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाये जा रहे हैं, उसके लिए वाहवाही की बात इन्होंने कही है लेकिन साथ ही साथ यह भी इन्होंने कहा है कि आगे भी इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और जो आगे करने की बात इन्होंने कही है, उसी के तहत आज हमारे पास यह संशोधन विधेयक आया। इस संशोधन विधेयक में 7-8 संशोधन हैं। मैं दो तीन संशोधनों पर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। हमारे वित्त मंत्री जी बहुत जानकार हैं, चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फिर भी जहां कुछ मुझे लग रहा है कि कमी हो सकती है, उसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा, मैं अपना एक सुझाव देना चाहूंगा। रिपोर्टिंग एंटिटी का एक प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। रिपोर्टिंग एंटिटी यानी पहले से ये बैंक हुआ करते थे, उनको रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम नहीं दिया गया था। लेकिन बैंकों के साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें लाये गये हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें लाये गये हैं? It also introduces the concept of reporting entity to include therein a banking company, financial institution, intermediary or a person carrying on a designated business or profession. कई तरह के व्यापारों की बात कही गई है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यापार से लीगली प्रोसीड तैयार हो रहा है। एक तो वह है। यहां तक कि रियल एस्टेट एजेंट्स को इसमें इन्वाल्व किया गया है। यह अच्छी बात है। टैक्स इवेज़न केस को भी इसमें इन्कलूड करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रयास है। सीबीडीटी ने 2008 में खुद रेवेन्यू मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी कि टैक्स इवेज़न के केसिस में बहुत लोग छूट जाते हैं, हम संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रोसीक्यूशन कभी इतना लंबा चला जाता है कि कुछ

रास्ता नहीं निकलता है। ऐसे में इसे पीएमएलए के तहत लाया जाए। दो वर्षों तक सरकार के पास प्रस्ताव पेंडिंग रहा और उसके बाद एफएटीएफ का सिग्नेटरी बना, एक निर्णय लिया गया जिसमें भारत सरकार ने साइन किया। इस ऑब्लीगेशन के तहत टैक्स इवेज़न जैसे विषय या कोई झूठा सबूत देने वाले विषय को भी लाया गया है। मेरा कहना है कि सबसे पहले बैंकों के ऊपर और भी नकेल कसने की आवश्यकता है। इसमें बैंकों को कहा कि केवाईसी के तहत बताना पड़ेगा। लेकिन जिन बैंकों की ब्रांचिस हिन्दुस्तान से बाहर हैं, उसके बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है।

आपने कोरस्पांडिंग लॉ की बात कही है कि विदेशों में जो कोरस्पांडिंग लॉ हैं उससे हम अपने आपको लिंक करेंगे। पहले बहुत से लोग दूसरे देशों के कानून के तहत अपराध करके बच जाते थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे और आप कोरस्पांडिंग लॉ का प्रोवीजन लाए, आपने बहुत अच्छा किया। उदाहरण के तौर पर हमारे एक साथी ने उस बैंक का नाम बताया और उस बैंक की बहुत चर्चा है, वह है एचएसबीसी। एचएसबीसी पर बार–बार इस प्रकार के आरोप लगे हैं। हाल के दिनों में तो ज्यादा आरोप लगे हैं। एचएसबीसी के बारे में अखबारों में इस तरह की स्टोरी आई - "Government likely to probe money laundering allegations against HSBC." मैंने एचएसबीसी की एक साल की इनकम को पढ़ने और समझने की कोशिश की है जो लगभग 1 बिलियन डॉलर यानी 5,400 करोड़ रुपए है। एचएसबीसी बैंक की हिन्दुस्तान में जो ब्रांचिस हैं, उन पर हमारा नियंत्रण है। हाल के वर्षों में विदेशों की शाखाओं स्विट्जरलैंड, ज्यूरिच, जिनेवा का जिक्र आया, उनके जरिए जो मनी लॉड्रिंग हो रही है, अपराध हो रहे हैं, इसे चैक करने के लिए क्या व्यवस्था है, मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आपने रिपोर्टिंग एन्टीटी की डेफिनेशन का जो एम्बिट बढ़ाया है, इसके तहत मुझे उम्मीद थी कि स्टॉक मार्किट का भी जिक्र आएगा क्योंकि स्टॉक मार्किट हाल के वर्षों में इन विषयों के लिए बहुत चर्चा में रहा। माननीय गृह मंत्री महोदय ने पिछले दिनों बयान दिया था - "Terror funds in Stock Market, says Home Minister" सेबी ने एनाउंस किया था - "SEBI probes 35 brokers for money laundering." स्टॉक मार्किट के काम के बारे में स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था?

> "Participatory Notes being issued by Foreign Institutional Investors are regulated by SEBI. However, the other investment in the stock market such as foreign currency flows by the individuals and institutions are not monitored by SEBI. The Committee recommended that all the regulatory intelligence agencies should set up a monetary or coordination mechanism."

आपने स्वीकार किया लेकिन कहीं न कहीं पार्टिसिपेटरी नोट्स के अलावा स्टॉक मार्किट में जो कैश थ्रो हो रहा है, जिसे लेकर सेबी और गृह मंत्री परेशान हैं। उन्होंने अधिकृत तौर पर कहा है कि स्टॉक मार्किट का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है, बहुत सी कंपनियां स्टॉक मार्किट में फर्जी कंपनियों के जरिए इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसे अर्न कर रही हैं और इसका इस्तेमाल अपराध के लिए कर रही हैं। आपने रिपोर्टिंग एन्टीटी की डेफिनेशन को जो विस्तार दिया उसी तरह स्टॉक मार्किट का जिक्र होता तो मुझे लगता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में कामयाबी मिलती। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस संदर्भ में प्रकाश डालें कि क्या कमी रह गई है, क्यों नहीं इस विषय पर बात कही गई। कोरस्पांडिंग लॉ के बारे में बताया। टैक्स इवेजन, कंसीलमैन्ट, एक्युजिशन, पजेशन, अच्छा हुआ फाइन की राशि की अपर लिमिट जो अब तक पांच लाख थी, आपने कहा वह अपर लिमिट हम हटा रहे हैं, लेकिन अपर लिमिट क्या होगी, यह नहीं बताया गया है। जहां तक मैंने बिल को पढ़ने की कोशिश की है, उसमें अगर आप अपर लिमिट फिक्स करें तो बेहतर होगा। अभी अटैचमैन्ट और कंफिसकेशन से जुड़ा एक विषय है। एक बैंक कहता है कि मेरे बैंक से पैसा लेकर एक व्यक्ति ने क्राइम किया, आपने उसे पकड़ा और पीएमएलए के तहत उसे सजा दी, साबित हो गया कि यह मनी लांड्रिंग है, एक्शन लेने से पहले आपको अटैचमैन्ट करना है, कंफिसकेशन करना है, कर लिया, लेकिन उसके बाद जब प्रूव हो जाता है कि मनी लांड्रिंग हुई तो जिसने क्राइम किया उसे तो सजा मिली, लेकिन बैंक, जिसका पैसा उस क्रिमिनल ने लिया था, उस बैंक को उसका पैसा नहीं मिला। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद मंत्री जी के ध्यान में यह विषय आया होगा, बीच में शायद चेन्नई हाईकोर्ट में यह विषय था, कोई एक बैंक या व्यक्ति गया और उसके तहत हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया कि जिसने क्राइम किया, उसे आपने सजा दी, सजा देने से पहले, पूरी प्रक्रिया से पहले जो भी उसकी प्रोपर्टी थी, उसे अटैच किया, कंफिसकेट किया, सब ठीक है। लेकिन जिस संस्था, जिस एजेन्सी का पैसा डूबा, उस एजेन्सी को पैसा वापस मिलना चाहिए, इस बारे में यह कानून कहीं न कहीं चुप है। अगर मुझसे कोई पैसा कर्ज लेकर जाता है और उस कर्ज का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करता है तो जिसने टेरर फंडिंग के लिए पैसा इस्तेमाल किया है या ड्रग्स या अन्य किसी सैक्टर में पैसा इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ आपने निश्चित तौर पर एक्शन लिया, आपने साबित कर दिया। लेकिन मेरा क्या गुनाह था, वह पैसा, वह जो सोर्स है, वह अभी भी डिप्राइव्ड है, उसके बारे में यह कानून कहीं न कहीं चुप है। उस बारे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में कभी अमैंडमैन्ट करना पड़े। लेकिन उस बारे में हमारे यहां सरकार को एक भूमिका लेनी पड़ेगी।

एक और महत्वपूर्ण अमैन्डमैन्ट है। अब तक मनी लांड्रिंग में जो भी व्यक्ति पकड़ा जाता था, उसे सजा होती थी, वह अपीलेट अथारिटी में जाता था और उसके बाद अपीलेट अथारिटी के खिलाफ, उसके

ऑर्डर के खिलाफ वह हाईकोर्ट में जाता था और हाईकोर्ट में जाने के बाद अक्सर हाईकोर्ट का आर्डर उस व्यक्ति के फेवर में या इंफोर्समैन्ट डायरेक्टर के खिलाफ आ जाता था और बहुत संकट पैदा हो जाता था, क्योंकि अपीलेट अथारिटी, जो सीनियर जजेज हैं, रिटायर्ड सीनियर जजेज हैं, उसके लिए जो आपने अमैंडमैन्ट किया कि जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा अमैंडमैन्ट है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि अपराध कई तरह के होते हैं, अपराधों की उन्होंने एक पूरी सूची बताई। उसमें निश्चित तौर पर रिश्वत भी एक बहुत बड़ा अपराध है। पोलिटिकली एक्सपोज्ड लोगों के ऊपर एफएटीएफ में खास कर फोकस डाला गया है कि पोलिटिकली एक्सपोज्ड लोगों के संदर्भ में भी एक कानूनी अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। जो थोड़ा सा इस अमैंडमैन्ट में इग्नोर हुआ है। लेकिन ब्राइबरी एक अपराध है, रिश्वतखोरी एक अपराध है और इस अपराध को भी पीएमएलए में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, यह सरकार का विषय है, मंत्री महोदय का विषय है, डिपार्टमैन्ट का विषय है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति किसी जमाने में कहीं पर मंत्री होता है, मंत्री होने के समय वह किसी कांट्रैक्टर को ढेर सारे काम देता है। बाद में जब वह मंत्री नहीं रहता है तो अपनी कंपनी शुरू करता है और उस कंपनी में उसी कांट्रैक्टर की तरफ से डेढ़ सौ करोड़ रुपये की एन्ट्री होती है। उसकी कंपनी में उसके बेटे, उसकी बीवी, उसके ड्राइवर, उसके नौकर के नाम पर तरह-तरह की शैल कंपनीज बनती हैं, फर्जी कंपनियां बनती हैं और उन कंपनियों की तरफ से फंडिंग की जाती है और उसके बाद यह विषय पीएमएलए में नहीं आयेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि यह भी एक तरह की मनी लांड्रिंग है। एक आदमी मंत्री पद का दुरुपयोग करके अवैध तरीके से अकूत सम्पत्ति पैदा करता है, जमा करता है और जब वह मंत्री नहीं होता है तो वह कहता है कि मैं मंत्री नहीं हूं, मेरा क्या लेना-देना है।

मंत्री जी, मैं उस केस के बारे में जानना चाहता हूँ। यह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा हुआ केस है। उस केस के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है? क्या पीएमएलए के तहत, मनी लान्ड्रिंग एक्ट के तहत, पूरे प्रकरण को लाया जा रहा है? उसकी जांच हो रही है या महज इनकम टैक्स जांच कर रहा है? ...(व्यवधान) मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप समझ रहे हैं। माफ कीजिए हमारे देश में, हमारे संसदीय कानूनों के तहत, जो व्यक्ति किसी दूसरे हाऊस का मेंबर है, उस व्यक्ति का नाम कम से कम मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं उसके अपराधों का जिक्र कर सकता हूँ। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि ब्राइबरी को भी इस कानून की परिधि में लेना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : मैंने एंडरसन और क्वात्रोकी भी कहा था।

श्री संजय निरुपम : कोई भी हो, वह हमारे रिश्ते में नहीं है या हमारे अध्यक्ष नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि मंत्री जी आप एक अच्छा कानून ले कर आए हैं। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और इस संशोधन विधेयक के माध्यम से निश्चित तौर पर देश में काले धन को रोका जा सकता है काले धन में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद टैरर फण्डिंग का पूरा ट्रेंड चल रहा है। आपने सही कहा है कि जिओपॉलिटिकल बाउंड्रीज़ अब नहीं रही हैं। नेपाल का पैसा हिंदुस्तान में लग रहा है। पाकिस्तान का पैसा श्रीलंका में लग रहा है या कहीं अमरीका का पैसा नेपाल में लग रहा है। पता नहीं चलता है कि बर्मा का पैसा कहां लग रहा है। जिओपॉलिटिकल बाउंड्रीज़ नहीं रही हैं तो बाकी दुनिया के कानूनों के साथ लिंक करते हुए, बाकी दुनिया के जो एफआईयू हैं, उनके साथ पहले से हमारा इंट्रैक्शन है। भले ही उनके नाम एफआईयूज़ नहीं होगा। लेकिन उनके साथ, उनका जो कॉरस्पांडेंस चल रहा है, उसके तहत हमको काफी इंफार्मेशन मिलती है। ऐसे में यह समय की मांग थी कि दुनिया के बाकी देशों के कानूनों के साथ, अपने कानूनों को लिंक करते हुए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, जो मुख्य तौर पर काले धन और काले धन के माध्यम से तरह-तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, विशेषकर टैरर फण्डिंग का विषय है, उन विषयों को चैक करने के लिए आप जो संशोधन विधेयक लाए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

भारत पूरी दुनिया के मंच पर खड़े हो कर हमेशा कहता रहा है कि भ्रष्टाचार, काला धन या आतंकवाद आदि मुद्दों से भारत कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। जब जैसा पूरी दुनिया चाहेगी, उस हिसाब से कानून बना कर के इन अपराधों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इसी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए आज सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है। मैं इस संशोधन विधेयक का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। समर्थन करता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक 2011 पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी मैंने अपने मित्र निशिकांत दुबे और निरूपम जी की बात को बड़े विस्तार से सुना है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि स्थायी समिति की जो रिपोर्ट आई है, उसको सरकार ने लागू करने का फ़ैसला लिया है। दूसरी बात यह है कि मुझे याद है कि इसी सदन में जब पहली बार हम लोग सन् 2009 में इसी 15वीं लोकसभा में चुन कर आए थे, तब माननीय वित्तमंत्री जी महामहिम प्रणब मुखर्जी जी थे। उन्होंने यह कहा था कि देश का काला धन हम बहुत जल्दी वापस लाएंग, श्वेत पत्र भी जारी करेंगे और लोगों के नाम को भी उजागर करेंगे। उसके बाद आज तक हम बैठे रहे, न तो श्वेत पत्र जारी हुआ और न कुछ हुआ केवल एक अमाउंट बता दिया गया कि इतना काला धन है। उसके बाद टांय-टांय फिस्स। मेरे ख्याल से जिन लोगों का काला धन था, उन्होंने उसको निकाल भी लिया है। उसका दुरूपयोग-सदुपयोग जो भी हुआ हो।

उपाध्यक्ष जी, लोगों को जानबूझ कर मौका दिया गया। यह मेरा आरोप है। जहां तक इस विधेयक की बात है कि इस कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानक में शामिल करने तक इस बिल को पहुंचाया गया है। इस बिल को विश्वव्यापी बनाने का एक फैसला लिया गया है। कोई एक देश या एक राष्ट्र इसको रोक नहीं सकता है। जब तक कि पूरा विश्व इसके लिए संगठित न हो, पूरे देश के लोग इसके लिए संगठित न हों, यह रूक नहीं सकता है। मैंने इस बिल में इस विधेयक के उद्देश्य को पढ़ा है कि धन शोधन के अपराध की परिभाषा अपराध के आगामों को छिपाया जाना जैसे- कोई धन आप अर्जित करते हैं या उपयोग में लेते हैं या क्रियाकलापों से संबंधित आपने तमाम आपराधिक क्रियाकलापों के रूप में आपने पांच लाख का जुर्माना, जबकि यह एमाउंट बहुत कम है। लोग अरबों-खरबों में रखे हुए हैं, इसलिए मेरे ख्याल से पांच लाख रुपये के जुर्माने को बढ़ाना चाहिए। आपने कुर्की का भी प्रावधान किया है, एक्वीजिशन और अधिग्रहण की भी बात की है और इसमें अपील अधिकरण के अलावा उच्च न्यायालय तक में ले जाने की बात आपने कही है। इस एंटी मनी लॉन्ड्रिग कानून विधेयक में रियल एस्टेट एजेंट और बहुमूल्य रत्नों से संबंधित तमाम धातुओं के कारोबारी लोग हैं, उनको भी इस कानून के दायरे में लाने का काम किया है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि गैर वित्तीय प्रोफेशनल कारोबार को भी इसमें लाया जाना चाहिए। जैसे इसमें वकील, कमोडिटी ब्रोकर्स, रियल एस्टेट और ज्वैलर्स भी शामिल किया जाए। दूसरा इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए आपने रैगूलेटिंग व्यवस्था स्थापित की है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि मंत्री जी ने वर्ष 2007-08 में भारी मुनाफ़ा कमाने वाली टेलीकोम लाइसैन्स को भी इसमें शामिल किया है।

2जी स्पैक्ट्रम की जांच जेपीसी कर रही है, लेकिन अभी तक हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। काले धन के प्रवाह में आरबीआई, सेबी, प्रवर्तन निदेशालय, खुफिया एजेंसियों के लिए गठन के जो सुझाव आए हैं, उसे लागू करें। जहां तक बाजारों में धन के प्रवाह की जांच की बात है, अभी हमारे मित्र संजय निरूपम भाई ने कहा कि बैंकों पर नहीं छोड़ना चाहिए, उन पर भी हमें निगरानी रखनी चाहिए। मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। काला धन हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और समय-समय पर इस सदन में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। आयकर की जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के बीच में समन्वय की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। शेयर मार्किट में जो धन लगा है, उसमें आतंकियों का भी पैसा है। हमारे गृह मंत्री जी नहीं बैठे हैं, उन्हें इस विषय की सही जानकारी है। रियल एस्टेट और चुनाव प्रचार में काले धन का खूब प्रयोग होता है। हम आज तक उसे रोक नहीं पाए हैं। हम चुनाव सुधार की बात करते हैं कि हम व्यवस्था करेंगे कि चुनाव आयोग सरकारी पैसा लगाकर कैंडीडेट्स को लड़ाए, लेकिन वह व्यवस्था अभी तक हम चुनाव सुधार में नहीं कर पाए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए चुनाव आयोग को भी अधिक शक्ति देने की बात होनी चाहिए। यह हम-आप नहीं कह रहे हैं, अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट आयी है। दूसरी बात यह है कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि बैंक की नौकरियां और आउटसोर्सिंग अमेरिकी एजेंसियों के घेरे में हैं। आज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिस आर्थिक सुधार की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं सैंध लगाने की बात हो, विदेशियों के दख़ल की बात हो, उस पर हमें रोक लगानी चाहिए। जहां तक क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की बात है। आजकल क्रेडिट कार्ड धारक को धमकाने का सिलसिला चला है, जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अमेरिकी संसद की रिपोर्ट है कि जो लोग सिंडीकेट बनाकर नशीली दवाएं बना रहे हैं, उन लोगों ने भी भरपूर इसका लाभ कमाया है। जहां तक अभी बात हुई, हमारे सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि स्विस बैंकों के लॉकरों में रखा गया जो काला धन है चाहे वे हीरे-ज़वाहरात हों या बड़े-कड़े करेन्सी नोट हों, उस पर भी आज हम मुस्तक़िम मुक़ाम पर नहीं पहुंचे हैं कि उसे हम कैसे उजागर करें। इसी सदन में मैंने देखा था कि हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम श्वेत पत्र जारी करेंगे, हम नाम को भी उजागर करेंगे। लेकिन, आज तक नाम उजागर नहीं हुआ है।

इसी के माध्यम से आपने विदेशी फण्ड पाने वाले करीब पच्चीस अल्पसंख्यक संस्थाओं की जांच भी शुरू की है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को तो आपने जांच के दायरे में लिया है, लेकिन इस देश में तमाम ऐसे एनजीओज हैं जिन्हें विदेशी इमदाद मिलती है। उन्हें भी आप जांच के दायरे में अगर रखें तो मेरे ख्याल से बहुत उपयुक्त होगा।

दूसरा मुद्दा काले धन को रोकने के लिए है। जो बड़े-बड़े खरीददार हैं, वे इन काले धन को धत्ता बता रहे हैं। बिना पैन कार्ड लिए वे कहां से सामान ला रहे हैं, उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। संक्षेप में बोलें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, संक्षेप में ही बोलने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इसमें लोग कहां से सम्पत्ति ला रहे हैं, इसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर, हीरे-ज़वाहरात के कारोबारी काले धन का उपयोग करते हैं। ब्लैक से व्हाइट मनी की बात हमेशा होती है। गोल्ड के लोन लेने की बात होती है। उसमें भी बहुत बड़ा धंधा होता है।

यह देखा गया है कि इस देश के अन्दर जो कैसिनो गेम होता है, उसमें भी अपराध है। उसमें आतंकियों का पैसा लगता है। आपने आज अपनी रिपोर्ट में दिया है और मैंने देखा है कि इसमें सात हजार मामले पकड़े गये। लेकिन वे जो सात हजार मामले पकड़े गये हैं, उन्हें क्या सजा दी गयी? उन पैसों का क्या हुआ, यह आज तक किसी को नहीं मालूम है।

निवेश की आड़ में भी देश के बाहर जो हमारा धन जा रहा है, उस पर भी हमें निगरानी रखनी पड़ेगी कि वे पैसे कहां निवेश किए जा रहे हैं और वे पैसे कहां से आए हैं। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार काले धन पर आज तक चुप है। मैं चाहूंगा कि जब आपका जवाब आए तो आप काले धन पर श्वेत-पत्र की भी बात करें और इस सदन से जो सूची जारी करने की बात कही गयी है, उस पर भी आपका वक्तव्य आना चाहिए।

जहां तक काला धन रोकने के लिए विदेशों में भारतीय एजेंसियों के द्वारा जो पैर पसारने की बात है, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें ऐसे लोगों को लगाएं जिनका मन काला न हो और धन भी काला न हो। इसमें साफ-सुथरे लोगों को लगाएं। इसकी व्यवस्था को भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसे रोक सकें।

आज फिल्म उद्योग को देख लीजिए। इसमें काले धन का प्रयोग हो रहा है। इसमें तमाम बड़े-बड़े माफिया डॉन के पैसे लग रहे हैं। गलत तरीके से धन कमाने वाले लोगों का पैसा लग रहा है। फिल्म उद्योग में जो काला धन है, उस पर भी हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है।

जो बेनामी संपत्तियां हैं, उन्हें जब्त करने की जरूरत है। मुझे याद है जब काले धन की यहां चर्चा हो रही थी तो लालू प्रसाद जी ने यहां खड़े होकर एक बात कही थी कि देश के अन्दर जितने भी लोग, चाहे वे बड़े-बड़े पूंजीपति हों, मध्यम वर्गीय हों या गरीब आदमी हो, सबकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। जब्त

करने के बाद हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसे संपत्ति का वितरण कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से अपने आप स्वच्छता आ जाएगी, अपने आप पारदर्शिता आएगी और अपने आप काला धन सही रूप में आ जाएगा।

मैं कहना चाहूंगा कि बहुत-से विदेशी बैंकों के कार्यकलापों पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस देश के अन्दर समय-समय पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से, नेपाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से अपने देश के नकली नोटों का प्रचलन हुआ है। हमेशा से इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की बात उठती रहती है, पर आज तक हम इस पर रोक नहीं लगा पाए हैं। उपाध्यक्ष जी, कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि एटीएम से जब पैसा निकालने गए तो उसमें से भी नकली नोट निकले हैं। यह बड़ा ही गंभीर मामला है। खासकर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और हमारी खुफिया एजेंसी की तरफ गौर करने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, बस एक-दो प्वायंट बोल कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। अभी कुछ साथियों ने डीएलएफ का मामला उठाया। मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह मामला कैसे और क्यों उठा है, इस पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

<u>15.00 hrs.</u>

इस देश के अंदर समय-समय पर आईपीएल के भी मेच होते हैं। तमाम फिल्म इंडस्ट्री, उद्योगपति पैसे लगाते हैं। करोड़ों-अरबों-खरबों रुपए खर्च होते हैं। ये पैसा कहां से आता है, कहां लगाया जाता है, इस सदन में इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। मैं इस बिल का समर्थन तो कर रहा हूं, हमारी पार्टी भी समर्थन कर रही है, लेकिन यहां पर हमारी तरफ से जितने मुद्दे उठाए गए हैं, उनका जवाब भी आना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी जो धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक लाए हैं, इस सदन में उस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जब लोक सभा का सत्र प्रारम्भ होता है तो देशवासियों के अलावा देश के बाहर रहने वालों की भी नज़र इस सदन पर रहती है। खासकर जब कोई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाया जाता है तो लोगों की आशा और आकांक्षा बढ़ जाती है। लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है कि इस विधेयक से देशवासियों को कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि यह विधेयक देश की जनता को गुमराह करने का और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम ही हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1998 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में धन-शोधन के विरूद्ध की गई राजनीतिक घोषणा के तहत जारी संकल्प एवं घोषणा तथा वैश्विक कार्यवाही कार्यक्रम के कार्यान्वयन को कानून का रूप देने के लिए धन-शोधन निवारण अधिनियम लाया गया था, किन्तु इसका कोई फलाफल नहीं निकला। विगत कई वर्षों से काले धन की चर्चा हो रही है और अभी-अभी पूर्व आदरणीय सांसदों ने भी इस बात को महसूस किया कि इस देश की जो तीन-चार विकट समस्याएं हैं - काले धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि सन् 1947 के बाद जब देश को आजादी मिली, तब से इस देश की बागडोर कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही। पांच-छ: वर्षों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 58 वर्ष तक इस देश की बागडोर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही। सच यही है कि यह सरकार भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काले धन को रोकने में सफल नहीं हो सकी। देश जहां था, वही है। जंगे आजादी की लड़ाई के पूर्व पूज्य बापू महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जब मेरा देश आजाद होगा तो गांव की गरीबी मिटेगी, गांव की बेबसी, लाचारी, भुखमरी और बेरोजगारी मिटेगी। लेकिन गांव की हालत आज भी जस-की-तस है। गांवों में आज भी 70 प्रतिशत लोगों को अपना शौचालय नहीं है। आज भी 36 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे किसी तरह जीवनयापन कर रहे हैं। आज देश की, गांवों की हालत यह है कि 62 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, 52 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो अपनी उम्र के हिसाब से कम वजन लेकर पैदा होते हैं। आज भी 70 प्रतिशत महिलाएं, जो माताएं हैं, उनमें से आधी से अधिक महिलाओं में खून की कमी की वजह से प्रसव के समय में जान चली जाती है। आज भी शुद्ध पानी पीने का साधन गांवों में नहीं है।

15.04 hrs.

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

गांवों में आज भी गरीबी, लाचारी एवं बेबसी है। वहीं दूसरी तरफ चंद लोगों के पैसे लाखों-करोड़ों रुपए काले धन के रूप में विदेशों में हैं। बहुत दिनों तक चर्चा होती रही कि काले धन के पैसे इतने पर्याप्त मात्रा में विदेशों में हैं। अगर वह पैसा इस देश में आ जाए, तो 121 करोड़ लोगों के घरों में लाख-लाख रुपये चले जाएंगे। यह देश के लिए बहुत ही कलंक और अभिशाप की बात है। जंगे आजादी की कहानी में मैं आपको थोड़ा विरासत में ले जाना चाहता हूं। जब जंगे आजादी की शुरूआत हुई, देश-दुनिया के किसी भी मुल्क में जब लड़ाई होती है और आज भी कहीं-कहीं हो रही है तो दोनों तरफ से रायफलों की संगीनें, रायफलों की गोलियां चलती हैं, लेकिन इस देश की आजादी की लड़ाई थी, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ाई थी, जिसकी ताकत, जिसका बल, जिसका ढंग, जिसके पास बम, बारूद, गोले, मशीनगन और टैंक, पैसे की टकसाल थी, जिसकी सत्ता पूरे विश्व में थी। कहावत थी कि ब्रिटिश हुकूमत की जो सरकार थी, उसकी सत्ता में सूर्यास्त नहीं होता था। अगर भारत में सूर्य डूबता था तो सऊदी अरब में उग जाता था, सऊदी अरब में डूबता था तो अफ्रीका में उग जाता था, यानि जिसकी मजबूत सत्ता थी, उसके खिलाफ भारत के लोगों ने, गरीब लोगों ने, किसान लोगों ने जंगे आजादी की शुरूआत की थी। एक तरफ बंदूकों और रायफलों की गोलियां थीं और दूसरी तरफ करोड़ों निहत्थे लोग थे।

पूज्य बापू महात्मा गांधी से लोगों ने पूछा कि आजादी क्या होती है तो उन्होंने कहा था कि इस देश में खुशहाली आएगी, सात लाख गांवों में लोगों को खुशहाली मिलेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं भी गांव से आता हूं, मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं, जो पिछड़ा हुआ इलाका है। 1947 के पहले जैसी स्थिति में वह क्षेत्र था, आज भी उसी स्थिति में है तो अब इस बात की जरूरत है। आज अखबारों में बार-बार यह चर्चा होती है कि वहां काला धन है तो किसका काला धन है। अगर वह काला धन है तो क्यों नहीं सरकार उस कालेधन रखने वालों के नाम का उल्लेख करती, क्यों नहीं उन पर कड़ी कार्रवाई होती है।

आज खुले आम नकली नोटों का कारोबार चल रहा है। ये नकली नोट कहां से आते हैं? ये हमारे पड़ोसी मुल्क से आते हैं। क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई होती है? इससे हमारी अर्थव्यवस्था लचर-पचर हो रही है तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह बात सही है कि आज विदेशों से हमारे देश में पैसे आते हैं। कुछ ऐसे धार्मिक संस्थान हैं, जहां गुप्त रूप से धन लगाया जाता है। इसकी भी जांच करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो संशोधन आप लाये हैं, यह संशोधन आपके लिए तो ठीक है, लेकिन भारतवासियों के लिए ठीक रहे, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के पास जो धन है, वह किस तरह से आया है, यह देखना चाहिए। यह बात भी सही है कि आजकल जमीन जायदाद में भी, जमीन के खरीदने में भी कालेधन का उपयोग हो रहा है, उसको खरीदकर कालेधन को सफेद धन में, व्हाइट

मनी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन जिसकी जमीन ली जाती है, उसको दो कमरे खरीदने भारी पड़ रहे हैं, उसके सपने टूट रहे हैं, वे खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए यहां भी नज़र रखने की जरूरत है।

आज भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। आज नीचे से ऊपर तक सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लम्बे समय तक इस सरकार को अपने हाथों में रखा है। कांग्रेस पार्टी का नारा है कि कांग्रेस का हाथ, गरीबों के साथ, इसलिए भारत के लोगों ने, गरीबों ने बड़े भावनात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस को सपोर्ट किया था, बड़ी उम्मीदों से किया था, बहुत भरोसे से किया था, बहुत विश्वास के साथ किया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो देश का विकास होगा, गरीबों का भला होगा, लेकिन आज वही गरीब लोग चौक-चौराहे पर गुनगुनाते हैं और यह कहने लगे हैं 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया, घर यार का।'

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये और जो संशोधन आप लाये हैं, इस बारे में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कालेधन पर गम्भीरता से विचार हो और कालेधन को वापस लाया जाये।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to support the Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I am a little handicapped by the fact that all the four previous speakers spoke in Hindi. I wish I could speak a picturesque Hindi but being a Bengali, I am unable to do so. So, I will make my submissions in English.

We are not opposing the PML (Amendment) Bill, 2011. While we shall oppose in this House the proposal to bring 51 per cent foreign direct investment in multibrand retail, while we shall oppose increase of foreign investment in pension fund, while we shall oppose the entry of foreign companies in the insurance sector, while we shall oppose any anti-people policy of the Government, be it the increase in the price of diesel or reducing the cap on subsidized LPG cylinder, we shall support all measures taken to handle corruption, we shall support all measures against terrorism, we shall support all measures to preserve unity and integrity of the country. This is our Party stand which is why, we are not opposing this Bill at all.

I am again handicapped by the fact that hon. Member, Shri Nishikant Dubey, was not as critical of the Bill as he should have been as an Opposition Member because his own party Member was the Chairman of the Standing Committee on Finance whose recommendations the Finance Minister has accepted. So, the first two speeches which I heard were both in praise of the Bill. There is nothing wrong with the Bill because it brings some very necessary changes in the existing law.

What does the Bill do? It tightens the screw of money laundering. It brings a provision to link Indian law with the laws of foreign countries. It steps up a mechanism for transfer of proceeds in India. It introduces the concept of reporting entity to include therein a banking company, financial institutions, intermediary or a person. It enlarges the money laundering definition to include therein activities like concealment, acquisition, possession and use of proceeds of crime, removal of Rs. 5 lakh fine limit under the 2002 Act. It makes a provision for attachment an

confiscation of proceeds of crime without conviction in proven cases of offence – a very important step – and a provision for appeal against the orders of the Appellate Tribunal directly to the Supreme Court. I have nothing against these steps. These are good but these are not enough.

May I point out a serious flaw in the law which neither the Bill brought by the Finance Minister nor the Standing Committee has addressed? The flaw relates to a time barring provision in the legislation to prevent money laundering. It can aid offenders and cause huge losses to the exchequer. The adjudicating authority formed under the Act must confirm the ED's provisional attachment of properties of persons indicted in money laundering cases within 150 days failing which the attached properties get vacated.

Sir, the adjudicating authority has written to the Finance Ministry that attached properties worth Rs. 168 crore of B. Ramalinga Raju, founder and former Chairman of Satyam, who was in jail for a long time and got bail now, were confirmed just a day before the deadline. A failure to confirm ED's attachment could have prompted Raju's family to liquidate the properties. This is the fault in the law.

The Ministry should be aware of this and there should be a provision to extend the deadline The deadline that is given should be extended. Even the Additional Solicitor-General supported the idea of imposing a deadline. But there should be a provision under which the Chairman of the authority is allowed to extend it under unusual circumstances. This is the patent flaw in the law, which I am sure Shri Chidambaram will look into. Shri Chidambaram being the consummate lawyer that he has clarified for ignorant people like us as to what is money laundering. Like many others, I thought that money laundering referred only to *hawala*. He clarified that money laundering is not just *hawala* alone. Even if a crime is committed in India and if somebody gains out of that crime, then the transfer or use of that money also relates to money laundering. Money laundering

relates to crime and not just to international transactions alone. I thank him for this clarification.

I want to draw the attention of the Finance Minister to a very good book. It is called the 'World of Money Laundering', written by Shri Sanjiv Srivastava and Dr. Anup Swarup. The book describes the law against money laundering in different countries. We know that the present Bill, which was introduced in 2011 by the then Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee and then it was referred to the Standing Committee in January, 2012, is actually the result of the recommendation of the Financial Action Task Force of which India became the 34^{th} member. We are also the Chairman of the Asia Pacific Group of the Financial Action Task Force, FATA. Now, originally the PMLA was brought into statute to implement the resolution and declaration made under the Political Declaration and Global Programme of Action against Money Laundering adopted by the General Assembly of the United Nations in 1998. It is almost a year since Shri Pranab Mukherjee introduced it in this House. But it is good that it is being brought now because money laundering continues to be a serious problem. … (*Interruptions*) सर, थोड़ा समय दीजिए। मैं बहुत पढ़ कर आया हूं। मैं बहुत दिनों तक मिनिस्टर रहा लेकिन बोलने के लिए मौका नहीं था। अभी बोलने का थोड़ा मौका आया है। आप मुझे बोलने के लिए थोड़ा मौका दीजिए।

The United States has several laws, like the Banks Secrecy Act of 1970, the Money Laundering Control Act of 1986, the Anti-Drug Abuse Act of 1980, Section 2532 of the Crime Control Act of 1990, Section 206 of the Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991, the USA Patriots Act, to deal with money laundering. Compared to that, we do not have so many laws, neither in terms of quantity nor in terms of strictness, against money laundering.

What is the source of money laundering? The sources are mainly from drugs and narcotics, financial fraud, and smuggling of people and goods. The money launderers use the following roots: the high-street banks, financial institutions, bureaux de change, cash smuggling in and out of the country, gate keepers, including attorneys and accountants. The Finance Minister has taken

over only a few months back. There is a need for strict action against money launderers. The wealth of the country is being looted. While a lot of people remain in poverty, money from India is going abroad. I do not want to lionise Shri Arvind Kejriwal. But what he has said about the HSBC needs to be thoroughly investigated. What is happening? What is the HSBC doing? It has been alleged that the HSBC is keeping in Geneva accounts by Indians. So far, we do not know. The HSBC's, head in India is now the President of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, an organisation to which the Finance Minister and the hon. Prime Minister go very often. There is an allegation that the HSBC is facing a fine of nearly $ 1.5 billion in the US for breaking money laundering rules. Also, in the UK, the British tax authorities launched an investigation into the allegations of money laundering by HSBC following claims it had opened off-shore accounts in Jersey for serious criminals living in Britain. This is a Bank which has been accused of keeping money of Indians in Geneva. The Finance Minister must assure the House as to what action is being taken against the HSBC. If he does not want to give credit to Shri Kejriwal, it is all right but, *suo motu,* on his own, he should investigate HSBC thoroughly. In this context, I refer to a matter which is not related to the Finance Ministry.

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप कैबिनेट मंत्री थे। एनआरईजीए आपने ही लॉच किया था, हम कैसे भूलेंगे। …(व्यवधान)

Yesterday, in one *Kolkata* newspaper, a news item has appeared that the Indian Ambassador in Berne has been there from 2008. Normally, the tenure is for three years. She is still there and refusing to leave. Her replacement is ready, taken farewell from London. Is there any connection to it?… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Already, it has been notified. Three meetings have already taken place.

PROF. SAUGATA ROY: Yes, three meetings have already taken place but she is continuing. What is the secret behind it? Is there any connection between the Ambassador's continuing and the Indian money kept in Switzerland? This is something which is to be investigated because people in a democracy do not keep quiet, which, I hope Shri Chidambaram would appreciate. So, this whole allegation should come to an end. Even Shri Sanjay Nirupam has said that our Home Minister has alleged that this laundered money is being used in the building trade. What is the step taken by the Finance Minister about stopping this laundered money coming into the building business? There is a Bill by Shri Shinde after this. He will answer it.

Terror funds are pouring into the Real Estate. This is the main source of terrorist fund. It seems that terror funds are pouring into the stock market. We must now wake up to this. Just as we have remained indifferent to the HSBC, there is another serious issue.… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं समाप्त कर रहा हूं।…(व्यवधान)

एक और सीरियस बात है। Terror funds are coming to the India stock market. Says who? The Indian Home Minister says that terror funds are coming to the Indian stock markets. The Finance Minister, with the SEBI in his hands which is something to control the companies, must act. What is he doing about it? He is trying to stop the money laundering but terror funds are entering the stock market. They are coming into the building business, construction business. Now, the SEBI is probing 35 brokers for money laundering. Have they launched a case against anybody who is using terror money into the stock broking? This is something which the Finance Minister must assure the House.

As I said, we are not against this Bill but we have our own reservations. We want laws against black money, against money laundering to be made the strictest

possible. We want the looting of Indian money, stacking it abroad to be stopped. We want the menace of black money, which is bedeviling the life of common Indians, to go.

With these words, I conclude.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for permitting to speak on this Bill, the Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill. Money laundering has been globally recognized as one of the largest threat posed to the financial system of a country. At the same time, fighting against terrorism and financing on terrorism is another such emerging threat. Such is the importance of such money laundering Bill and also combating financing on terrorism.

This Bill proposes mainly two things – to introduce the concept of corresponding law to link the provisions of Indian law with the laws of foreign countries and also to add the concept of reporting entity which would include banking company, financial institutions or persons carrying on a designated business or profession. The Bill also expands the definition of offence under money laundering to include activities like concealment, acquisition, possession and use of proceeds of crime.

On the basis of this, I would like to refer to the hon. Finance Minister regarding the Standing Committee Report, which presented a beautiful Report on it. The first important point, which I would like to again raise here is that the Bill should be amended in such a way that the Clause be redrafted so that the local courts have the power to decide even when the person is acquitted in a case outside India. What happens is that the criminal court outside India, under the corresponding law finds that the offence of money laundering has not taken place, the local court has nothing to do, and that should and must be stopped. Local courts should have the power and the Act should be amended in such a way.

Another important thing is that all regulatory and intelligence agencies should set up a monitoring and coordination mechanism to curb money laundering taking place through stock and securities markets. I am telling this because as has already been referred, SEBI has already identified 35 cases, where the stock brokers have misused the money laundering Act. Here, it is very important to note in the sense that what SEBI, I am just quoting the words of SEBI – rapid

developments and greater integration of the financial markets together with improvements in technology and communication channels continue to pose serious challenges to the authorities, and institutions dealing with anti-money laundering and also combating financing of terrorism. This is the SEBI words I just quoted here. SEBI made this statement and this is very important and as such the Government should take note of it to make markets free of money laundering and combating financing of terrorism, which lead to the BSE and NSE, and depositories like CDSL and NSDL should have taken proper action on this. Otherwise, we cannot stop this kind of activities.

Another important thing I would like to raise here is the unaccounted money. It is to be noted here that black money is an important issue. The Government has been promising for the last few years that we shall bring back the black money bring to book the culprits but so far the Government has not been able to take action on bringing back black money or take action against those who are involved in stashing black money. So, bringing back black money and also punishing the culprits should be taken immediately. The Government should successfully implement the Money Laundering Act.

Another important thing I wish to bring it to the notice of the hon. Finance Minister is the Mauritius route. With Mauritius, we have agreement of Double Tax Avoidance. What happens in Mauritius is that Mauritius has no tax on capital gains. Naturally, the person who starts business in Mauritius, he is not required to pay taxes in Mauritius and also in India. Naturally, he gains money. Three things happen – one is revenue loss to the Government; another is money laundering is taking place; and the third is black money becomes white money. So, the agreement with Mauritius should be immediately reviewed by the Government so that money laundering does not happen through the Mauritius route and the Government also does not suffer any revenue loss. This should be looked into.

The Standing Committee has suggested another very important thing that the Department of Revenue should take into account the incidence of trade based

on money laundering which is not considered as a money laundering offence so far. If the Finance Ministry does not look into it, then we cannot be faithful in the implementation of the Prevention of Money Laundering Act. At the same time, another important thing to be noted here is that it is essential for the Finance Ministry to prescribe a strict time limit for cases and completing the investigation process. Otherwise, if it goes on for years together, nothing will happen and so, in order to implement the Prevention of Money Laundering Act properly, the Government should be faithful to the recommendations made by the Standing Committee.

Sir, another important thing I would like to mention here is that the HSBC case has already come to the notice of the Government. HSBC is having international presence and it is allowed to transfer funds from one country to another and for this purpose, it is also in a position to open accounts for clients located in one country, at offshore locations including in tax havens. HSBC's affiliates in different countries also act as corresponding banks or for other banks so that the ultimate ownership of the funds moving from one country to another can be hidden by holding them in corresponding accounts. So, the Government should come forward and immediately take action against HSBC because HSBC has a number of hidden accounts. I would like to know from the hon. Finance Minister as to what action the Government is going to take in this matter.

Another thing that has already come to the notice about money laundering is financial fraud. The Reebok fraud has already come to our notice wherein more than Rs. 870 crore has been brought in this sports company business by Reebok India. This also happened as a result of money laundering.

Then, the case of Mahindra Satyam is very well known to everybody. Trafficking of women and children also happens through money laundering business. So, if we are sincere in stopping this kind of criminal activities, then the Government should take serious note of these things and stop money laundering possibilities wherever it is possible. This is my submission. I think the hon.

Finance Minister will reply to all these points while replying to the debate. By incorporating all the suggestions given by the Standing Committee, the Government should reframe this Bill and place it before this House again.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here today to participate in the discussion on the Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, 2011.

This Bill seeks to amend the Prevention of Money Laundering Act, 2002. This Bill proposes to introduce the concept corresponding law to link the provisions of Indian law with the laws of foreign countries. This also adds the concept of reporting entity which would include a banking company, financial institution, intermediary or a person carrying on a designated business or profession. The Bill expands the definition of offence under money laundering to include activities like concealment, acquisition, possession and use of proceeds of crime. I would say that by this Bill we are going to fast track the incorporation of new global standards against the financing of weapons of mass destruction, corruption, tax evasion and abuse of company and trust arrangements in the regulatory framework to tackle money laundering. The PMLA has been amended first in 2005 and thereafter in 2009. This is the third amendment that is taking place today.

The problem of money laundering is no longer restricted to the geo-political boundaries of any country, it is a global menace. My apprehension is that we need some more amendments to come in very near future. That is my apprehension. This is not a comprehensive amendment that is taking place today.

There are two parts to the black money menace. One is the money sent out in the past or is being sent out today because of high tax rates and the cumbersome tax law that is prevalent today in the country. The other component which is a large part of that unaccounted money or black money abroad is possibly the larger part has been generated by blatant criminal activities like political bribery, drug money, proceeds from smuggling, etc.

There is a need therefore to draw a distinction between the two. The past is best addressed by a one-time amnesty scheme which recognises the legacy problem and encourages people to just pay the tax and legitimise that money. No

question asked. It does not matter if this money comes back to our country or not because current laws allow every Indian to keep money abroad.

The approach to the second part of black money or unaccounted money, the one generated by thieves, by criminals, by terrorists has to be different. There cannot be soft options for people who have indulged in criminality.

I would like to understand from the Government how many disclosure pacts have been signed with foreign countries. There is an urgent need to detect this money and take every legally permitted action against the criminals. None other than the hon. Home Minister has said at an Interpol General Assembly Meeting in Rome that terrorist outfits are investing in Indian stock market through spurious companies. He said that he had credible intelligence to back his words.

One is reminded of the then National Security Advisor, -- may I name him? – Mr. Narayanan, in 2007, who had raised an alarm on terror money in stock markets. Subsequently a number of Ministers also in this House and in the other House had corroborated what he had actually meant. I would like to know what steps the Government has taken since then. Have they identified those companies, however, fictitious they may be; what is your Financial Intelligence Unit in India doing; have they not identified such suspicious transactions from intermediaries? What SEBI has been doing on this aspect?

Terror fund is also flowing into the real estate sector apart from a substantial part of the black money generated within the country finding its way into the housing sector. An assessment prepared by Revenue Intelligence agencies reveal that the highest component of undisclosed money detected by Income Tax Department was from real estate sector. I would like to quote here black money in real estate sector, the total disclosure is Rs. 1464 crore and 34 per cent share. In manufacturing it is Rs. 1180 crore and 27 per cent is the share; in mining sector it has 15 per cent share amounting to Rs. 645 crore.

I would draw the attention of the House towards another area of concern and that is non-profit organisations or NGOs as they are popularly known in our

country. They play a vital role in nation's economy and social development. However, goals of such organisations also cover a broad range of political, social and philosophical positions. The ongoing global campaign against terror financing has unfortunately demonstrated that terrorists and unlawful organisations are exploiting the vulnerability of this sector to raise and move funds, provide logistical support, encourage terrorist recruitments or otherwise support terrorist organisations and operations. The present Finance Minister some months ago was also the Home Minister. I hope he understands how funds are coming from outside to such non-profit organisations and they are being funded to finance terrorist activities, unlawful activities within this country. The Financial Action Task Force, the international anti-money laundering watchdog, has suggested to review domestic laws and regulations that relate to non-profit organisations. Are we alive to this issue?

I am concluding, Sir. The last point I would like to mention here is this. Is RBI aiding creation of black money in our country? Due to deficiencies in its monitoring mechanism for exports, is unaccounted money being stashed abroad? This inadvertently is abetting the creation of black money outside the country. These deficiencies have been pointed out but have not been addressed to.

The Standing Committee on Finance had suggested certain measures to be taken. I am gratified that the Finance Minister, when he piloted this amendment today, said he has accepted all the amendments that have been suggested by the Committee on Finance. I would like to draw your attention to three aspects. The Committee recommended that all regulatory and intelligence agencies should set up a monitoring and coordination mechanism to curb money laundering taking place through stock and security markets. Secondly, the Committee suggested that there should be a status report based on the existing framework, its efficacy and measures taken by the Department of Revenue to check the generation of unaccounted money. Thirdly, the Committee recommended that the Department

of Revenue should take into account the incidence of trade based money laundering which is not considered as a money laundering offence so far.

I would be educated if the hon. Finance Minister will throw some light on this aspect. I am not deliberating on these three issues because these are very serious issues. Whatever the amendments have been moved or are being moved as per the suggestions of the Standing Committee, these three aspects do not find place in those amendments. I would be happy if these three suggestions of the Standing Committee are looked into.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to participate in the discussion on Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill. Already the Finance Minister said that the Standing Committee discussed it thoroughly and recommended many measures. He also accepted all those measures or recommendations of the Standing Committee.

Sir, why I want to participate in this debate is because of the grave situation existing in our Indian economy. If there is more circulation of black money, then what would happen with our legal money? Due to more circulation of black money, our economy is affected. The price rise and everything is only because of black money. Unless the Government takes serious measures to control this black money, it is very difficult for the economy to survive. We are a poor country and an under-developed country. We have to develop. We have to be very serious about this.

Most of the speakers have expressed their ideas as to why this black money arises. The same thing I want to repeat. The tax evasion, terrorism, drug trafficking, counterfeit money and *hawala* money are the factors exist in the form of black money in our country. By two ways they are converting their black money into legal money. As our friend Mr. Mahtab said, some people are sending money to foreign countries. That money exists there in lakhs and crores. Many times most of the hon. Members raised this question in the House to force the Government to take necessary action to bring back that black money to our country. By bringing back this black money, definitely our economy will grow. Instead of discussing about bringing FDI in the retail, if you bring that money into the country, which is required for development of our country, it will be useful. So, that has to be seriously considered by our hon. Finance Minister.

My second concern is regarding the real estate. This is the sector where they are converting this black money into white money. They are bringing not only the unaccounted money but also the counterfeit money. We know about

Nepal; as to how the counterfeit money comes to our country. Not only through Nepal but even from Pakistan; even in China, they are printing the money and sending it to our country. When that money comes here it cannot be left in their hand, they have to invest it somewhere. They have to convert it into white money. They want to convert this black money into white through money-laundering or in some other form they are investing it in real estate. Real estate business is a big business going on in this country. I would like to know as to what measures the Government is going to take to control this real estate business. The poor farmers are tempting for this money. After selling their lands they are getting a lot of black money. Their traditional work is farming or cultivation. They are selling their lands under temptation of this money. The cost of one acre of land is Rs. 1 lakh but the black money holders are ready to pay Rs. 1 crore for this one acre of land. In that way they are investing. The farmers are getting unaccounted money. The farmers are not bothered while receiving the money as to how they got this money. Therefore, after getting the money he spends lavishly. He is purchasing so many things and this money goes away. Most of the farmers do not know as to how to operate the bank accounts. They are exploited and losing their lands. They do not know about other businesses. Therefore, terrorist activities come and the Naxalite activities arise in the country. All this is happening because of black money. This black money is converted into some other form. There is no account of this money. This develops terrorist activities which is unlawful. We are facing so many problems like that now.

Even in cinema business, they are putting crores of rupees in the form of black money. A film actor, who is getting crores of rupees, shows only Rs. 1 crore as accounted money. He spends the rest of the money as he likes. Likewise, a huge amount of black money is invested in the cinema fields and in other entertainment fields also.

Even many corporate companies are cheating the country, and in the name of deposit, they are collecting a lot of money. They are not maintaining proper

accounts also. Like that, corporate companies are taking money in some other form and using that money for building the factories, and they are also not accounting this money properly. That is also money-laundering. Suppose the construction cost of one factory is Rs.10 crore, they show it as Rs. One crore only. Therefore, corporate companies are also converting this money, and it is also money-laundering. So, we are seeing several ways of money-laundering that is taking place in this country.

I would request the hon. Finance Minister and the Government to take stringent measures to prevent money-laundering. This Act also is not going to help to solve this problem. Some more amendments to this Act and also some more legislation have to be brought for preventing this kind of money-laundering that is taking place in the country.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, while supporting this Bill, at the very outset I must say that it is a dichotomy. It is just a contrast between the two aspects. On the one hand, the Government of the day has been put in the dock by the people for corruption and for scams after scams. Not only that, some people have been put in jail. On the other hand, this Government is bringing the Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill. So, it is a dichotomy. It is just a contrast. Even then, I support this Bill.

Sir, what is the backdrop of bringing in such a Bill? The hon. Finance Minister mentioned in the course of his initial remarks while presenting this Bill that it is no longer restricted to the geo-political boundaries of any country, and he also said that it is a global menace. The Government has understood this thing after 64 years of Independence.

What is the backdrop? The backdrop is that India happens to be the member of the Financial Action Task Force and also happens to be the Chairman of the Asia/Pacific Group on Money Laundering. So, under compulsion, as one of the signatories of the countries, this Government is bringing the Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill. So, they are not concerned about the theft of money-laundering, the degree of money-laundering that is going on not only at the global scale but also in our country itself.

Sir, what is the definition of money-laundering? I do agree that this Bill is going to expand the definition of money-laundering. There are various definitions available which describe the phrase 'money-laundering'. The draft European Committees Directive of March, 1990 defines it as:

> "The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from serious crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in committing such an offence or offences to evade the legal consequences of his action, and the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from serious crime."

There is also a definition, which says:

> "Money-laundering is the process by which large amounts of illegally obtained money (from drug trafficking, terrorist activity or other serious crimes) is given the appearance of having originated from a legitimate source."

Sir, if such a thing goes successfully, then the criminals will dominate every sphere. But I think that this Bill is not comprehensive. The Government should ponder over it and bring a comprehensive Bill in this respect not only keeping in mind what the global situation is but also keeping in mind how serious situation is there in our own country itself.

Is it not a crime that the activity causes losses to the exchequer? Is it not a crime to give assurance for any work? Is it not a crime to take money instead of giving any work or any job to a person? Is it not a crime to run illegal activities like illegal trades and illegal businesses? So, all these things should be taken together.

Sir, I do not know whether the Government has any idea about all sources of illegal activities, which bring sudden money attributed to the money laundering. So, all these aspects should be taken up together. Otherwise, it will be only a face saving exercise; and it would be only under global compulsion in the meeting of the global fora.

Therefore, Sir, the Government should think over it. I am happy that this Government has also accepted almost all the recommendations of the Standing Committee. But whatever they have suggested is based on this particular Bill -- Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill.

I would reiterate that it should be a comprehensive Bill. This is my suggestion. With these words, I support this Bill.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Deputy Speaker Sir, Money Laundering is a global issue. It is a process by which illegally accumulated black money is converted into white by dubious means. This is a kind of criminal activity. I am happy that today in the backdrop of rising corruption, unlawful practices, terrorism, human trafficking, this issue has been raised and the standing committee has given a unanimous verdict on this. I too support this issue entirely.

15.58 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

Money Laundering takes place through various means viz drug peddling, financial fraud, arms trafficking, cash intensive business, bank capture, real estate, fictional loan etc. the businessmen do not reveal their profits to the Government and transfer the money to foreign banks via Hawala. At the administrative level, bribes are paid and huge sums are stashed away in banks outside the country. Government remains surprisingly unaware of these practices.

In this manner black money accumulated in banks which is unaccounted money and that in turn is invested in Indian economy through different channels. This type of illegal Foreign Direct Investment is acceptable in India.

Since money laundering is an international problem, that can be checked through a proper international system. India has become the member of Financial Action Task Force so it should begin consultation with other member countries in order to stop terrorist and smuggling activities. The Government should also know which company has how much funds, and how much profit it makes in shady deals.

Stringent action must be taken against the tax evaders and corrupt companies. Though additional courts have been set up, cases remain pending for a long time thus rendering the laws ineffective.

---

*English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

After the devastation of the World Trade Centre in USA in the year 2001, the concept of money laundering has gained ground. In 2002 the Money Laundering Act was passed in India.

There is one effective way of stopping these illegal activities at all levels and that is the constitution of a strong and powerful Lok Pal. CBI, CVC and even Hon. Prime Minister also should be brought under its ambit.

Foreign money and influence is highly active and visible in the Indian economy. Therefore the country has to take strong action in this regard.

Money laundering generally takes place through the banking system. Thus this system must be made foolproof because India has so many banks operating.

Our neighbouring countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal play a vital role in the practices of money laundering. We come from bordering areas, so we know that black money enters India from various illegal sources from these countries. Often the currencies are fake which pose huge problem for the people of our country who often cannot identify the fake notes. The poor marginal farmers, common people face difficulties due to this wads of fake currencies are in circulation in Indian economy.

We must plug the loopholes and take the violators to task by imposing heavy penalties on them. There should be proper supervision. Money laundering is crippling the economy of our country which is hampering our financial freedom and development.

I am glad that all the members of Parliament have decided unanimously on this issue as it is a very serious matter and should be taken up in right earnest.

The Government must take immediate steps to implement the provisions of the law and check the illegal activities that go on through a number of channels and means.

With these few words, I thank you sir for allowing me to participate in this debate and conclude my speech.

16.00 hrs.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011 आया है। यह सन् 2002 में पास हुआ, सन् 2005 में संशोधन हुआ, सन् 2009 में संशोधन हुआ और अब यह तीसरा संशोधन है।

माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि स्थायी समिति ने जो अनुशंसाएं की हैं, उनको हमने मान लिया है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अभी जो देश-विदेश में काले धन, आतंकवाद और नशीली दवाओं का जो हल्ला है, इनके जड़ में कहां से पैसा जा रहा है? कैसे यह पैसा जमा हो रहा है? क्या सरकार ने दावा किया कि यह थर्ड अमेंडमेंट लाने के बाद जो मनी लॉड्रिंग हो रहा है, हम उसका निवारण कर देंगे? यह दावा नहीं किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि एक ऐसा काम्प्रीहैंसिव विधेयक कब तक आयेगा? हम मोटा-मोटा हिसाब बताते हैं। काला धन स्विट्जरलैंड के बैंक में, बाहर किस-किस बैंक में कितना जमा है, भीतर कितना है, कोई कहेगा चार लाख करोड़, कोई दस लाख करोड़ कहेगा, कोई बीस लाख करोड़ कहेगा, सीबीआई वालों ने बोला कि चौबीस लाख करोड़ है। इसका कहीं कुछ हिसाब-किताब नहीं है। इस पर सरकार एकदम चुप है, मौन है, इसलिए जिसके जो मन में आता है, वह लाख-लाख करोड़ बोल रहा है। इससे देश के लोगों में बड़ा भारी आतंक है कि भाई हमारा कितना रूपया स्विट्जरलैंड के बैंक में काले धन के रूप में जमा कर दिया। इसका मतलब है कि जितने भी इनके कानून हैं, चाहे आरबीआई कानून बना रहा हो, चाहे प्रर्वतन निदेशालय हो या कोई अन्य कानून हो या एंटी मनी लॉड्रिंग एक्ट हो, सभी विफल हैं। अगर सब कारगर होते तो कहां से यह ब्लैक मनी आया और क्यों ब्लैक मनी जमा हो रहा है? इस पर विचार होना चाहिए। सदन में कहने चले आते हैं कि हम इससे मनी लॉड्रिंग रोकेंगे, इससे मनी लॉड्रिंग कहां रूका, काले धन का निर्माण कहां रूका, आतंकवाद को जो पैसे जा रहे हैं, वे कहां रूके, नशीली दवाओं के लिए जो पैसे जा रहे हैं, उनकी मदद हो रही है, सब लोग लूट-लूटकर बाहर जमा कर आये, ये सारे कानून किस बात के लिए हैं? कहां चेकिंग हुई, सब जगह ब्लैक मनी-ब्लैक मनी हो रहा है, देश-विदेश में जो ब्लैक मनी है, उसका हिसाब होना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में हुआ कि देश के अंदर-बाहर काला धन है। केन वांग्चु कमेटी बिठायी गयी, रिपोर्ट आयी, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी तक यह हो रहा है कि काला धन देश के लिए भारी समस्या है और उसी से आतंकवाद को बल मिल रहा है, नशीली दवाओं के चलते देश की हमारी आर्थिक स्थिति पर खराब असर पड़ रहा है।

महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि एक काम्प्रीहैंसिव एंटी मनी लॉड्रिंग एक्ट जिसमें सरकार दावा करे कि अब तक जो हुआ, सो हुआ, ब्लैक मनी बाहर कितना जमा हुआ, यह पता चले, आना चाहिए। सरकार ने कहा कि यह पांच सूत्री कार्यक्रम ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए हुआ है, ब्लैक मनी

को जब्त करने के लिए है। सरकार इस पर मौन क्यों है, आधे मन से सरकार क्यों काम कर रही है? इससे लोगों के मन में जबरदस्त आशंका होती है कि शायद इन लोगों का भी कुछ रूपया वहां जमा है, यह अफवाह देश में होती रहती है। मैं चाहता हूं कि इस अफवाह की गुंजाइश न हो, इतना पाक-साफ और ठोस ढंग से काम हो, जिससे मनी लॉड्रिंग के चलते जो ब्लैक मनी बनता है, उसमें पूर्णतयाः रूकावट हो जाये। कब ऐसा एक काम्प्रीहैंसिव विधेयक आयेगा और इस पर क्या कार्रवाई होगी? यह साबित है कि अभी तक जितने उपाय हुए हैं, वे उपाय पर्याप्त नहीं हैं, इनकी ढिलाई के चलते, चाहे उन्हें लागू करने में ढिलाई हो या कानून में खोट हो, कमी हो। हम चाहते हैं कि एक ऐसा काम्प्रीहैंसिव विधेयक आये, जिससे टोटल मनी लॉड्रिंग खत्म हो। जो काले धन का स्रोत्र है, उसका हम कैसे पता लगायेंगे? जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यूएनओ में, बैठक और कई तरह का जो नाता-रिश्ता हमारा दूसरे देशों से है, अमेरिका वालों ने स्विट्जरलैंड बैंक से पता लगा लिया, फ्रांस वालों ने पता लगा लिया, हम उस पर एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम भी पता लगा लें कि हमारा कितना ब्लैक मनी वहां जमा है और उसे कैसे जब्त किया जाये या काले धन को जब्त करने की जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है, वह की जाये। अनएकाउंटेड मनी लेकर, देश का धन लूटकर वहां जमा कर दिया और यहां लोगों में बवाल मचा हुआ है। कोई भी प्रेस कांफ्रेस करके बोल देता है, इतना धन जमा है, इतना धन जमा है। हम लोगों से गांव के लोग पूछते हैं कि कहां जमा है ब्लैक मनी और आप लोगों ने उस पर क्या किया? हम उन्हें क्या जवाब दें? संयोग से सरकार के मंत्री थे होम मिनिस्टर, आतंकवाद से मुकाबला करके आये हैं, आतंकवाद के लिए पैसा कहां से जाता है, उसको ये कैसे रोकेंगे, काले धन को कैसे रोकेंगे? जो नशीली दवाओं का कारोबार है, वह क्या कोई साधारण कारोबार है? देश की इकोनॉमी पर क्या उसका साधारण खतरा है? लेकिन सब चल रहा है, सब कानून भी हैं फिर भी सब गड़बड़ चल रही है। इसलिए सभी पर ठोस और सम्यक कार्रवाई हो और सदन से हम इनका समर्थन करेंगे। काले धन को ज़ब्त करने के लिए कानून बनाकर रोकने में और मनी लॉन्ड्रिंग का कंप्रिहैन्सिव विधेयक लाएँ, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। यह पीसमील में या छू मंतर से सारी चीज़ें करना ठीक नहीं है। संपूर्ण शरीर बीमार है और दवाई दे रहे हैं कि दो आने की गोली दे दीजिए तो दर्द खत्म हो जाएगा। क्या उससे बीमारी दूर होने वाली है? यह सब दर्द कम करने की ही गोली दे रहे हैं। उससे काम नहीं चलेगा। एक कंप्रिहैन्सिव विधेयक लाएँ और ठोस काम करें, ठोस एक्शन लें और पारदर्शिता के साथ करें। यदि इस पर आप कार्रवाई करें तो कोई पीछे नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह विधेयक कब आएगा, कैसे कार्रवाई होगी और काला धन कैसे ज़ब्त होगा, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकी जाएगी, आतंकवाद को जो पैसा मिल रहा है, नशीली दवाओं के लिए पैसा जो जा रहा है, यह सब कैसे रुकेगा, यह सब साफ साफ बताएँ, वरना इस सबसे काम नहीं चलने वाला है।

MR. CHAIRMAN : Shri Nirpendra Nath Roy. Please restrict your time. Please wind up shortly.

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया है। मैं तो लास्ट वक्ता हूँ। बोलने तो दीजिए नहीं तो नहीं दीजिए।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मकाला धन संशोधन विधेयक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत से माननीय सदस्यों ने आँकड़े देकर बात कही है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काले धन की समस्या है। हमारे देश के अंदर जो रोग है, वह काला धन है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है। हमारे देश के अंदर मिलिटैन्सी में, कार्पोरेट हाउसेज़ में, पोलिटिक्स में और किसानों में भी काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए भारत को संघर्ष करना पड़ेगा और देश के अंदर संघर्ष के अलावा बाहर से भी संघर्ष करना पड़ेगा। यह बात जो अमैंडमैंट में है मैं इसका समर्थन करता हूँ।

महोदय, सरकार अभी जो एफडीआई ला रही है, हम उसके खिलाफ हैं, हम एफडीआई नहीं लाना चाह रहे हैं। एफडीआई से विदेशी काला धन सफेद करके हमारे देश में आएगा जिससे गरीबों और किसानों का नुकसान होगा। इसी सदन में एक साल पहले तत्कालीन वित्त मंत्री ने काले धन के मुद्दे पर चर्चा की थी कि विदेशों में बहुत काला धन है। जिस समय सिविल सोसाइटी ने बाहर धरना दिया था, उसी समय काले धन के विषय में इस सदन में बहुत चर्चा हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय मुखर्जी साहब ने कहा था कि भारत के लोगों का विदेशों में जो काला धन है, उसकी जो लिस्ट आई, जर्मनी से, फ्रांस से, स्विट्ज़रलैन्ड से और बाहर के देशों से जो आई, उसमें 700 लोगों के नाम हैं। ये 700 लोग कौन हैं? देशवासी जानना चाहते हैं कि किन लोगों का पैसा विदेश में है लेकिन अभी तक सदन में इसको बताया नहीं गया है। अलग अलग आयोगों का गठन किया गया काले धन के विषय में, विदेशों के साथ भी बात कर रहे हैं, साउथ एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ - बंग्लादेश, थाइलैन्ड, श्रीलंका, इंडोनेशिया में काला धन पकड़ने के बारे में हमारा समझौता हुआ कि हमारे जांच दल उस देश में जाएँगे, जर्मनी में जाएंगे, स्विट्ज़रलैन्ड में जाएँगे, अरब में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, ऐसा बताया गया था। सीबीआई वाले, सीमाशुल्क वाले जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा कभी कभी अखबारों में आया कि हमारे देश में 7600 केस काले धन के विषय में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। 2011 के कागज़ में आया कि किसानों के बीज में काला धन घुस रहा है। 23 जनवरी, 2012 के राष्ट्रीय सहारा पेपर में लिखा है - 7600 केस मनी लॉन्ड्रिंग के हमारे देश में चल रहे हैं। अभी तक इनमें से कितने केसेज़ में फैसला हुआ है? फैसले में देर क्यों हो रही है? इसे हम जानना चाहते हैं। यह देशवासियों का सवाल है और काले धन के विषय में हमारे देशवासी संसद पर भी सवाल लगाते हैं कि सांसद लोग संसद में क्या करते हैं? संसद का भी ठीक से हिसाब होना चाहिए। यह

भी हम बोलना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा। यह बहुत सही बिल है। 2005 और 2008 में इसमें अमैंडमैंट आया लेकिन उस पर आलोचना हुई। 2009 में और 2011 में जो हुआ, वह ठीक है विदेशियों से रिश्ते के संबंध में। क्योंकि बंग्लादेश और नेपाल नज़दीक है, इनसे बहुत ब्लैक मनी आता है। नकली नोट आते हैं। बांग्ला देश, नेपाल और दूसरी कंट्रीज़ को संबंधित करके कैसे इस पर रोक लगाएं, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। साउथ एशियन कंट्रीज़, पश्चिमी एशियन कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ और सभी कंट्रीज़ को मिला कर करें। यह सभी की जिम्मेदारी है, हमारे देश की जिम्मेदारी है। एफडीआई हमारे देश में आना चाहता है, इस पर आप रोक लगाइए। हम एफडीआई के ख़िलाफ़ हैं। एफ़डीआई आने से देश में कालाधन और घुसेगा। इसलिए मैं सरकारी हिस्से से बिल का समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Sir, first of all, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. I have a couple of observations to make.

First, the report by the Financial Action Task Force has said that since 2006 when the Bill was passed, there has not been a single prosecution. The prosecution courts are there and the prosecuting officers are also there, but there has not been a single action taken against the accused. So, like any bad movie, there is a police officer, there is a court and there is a judge, but there is no villain. This is a very serious issue that there has not been a single conviction. Despite the Financial Intelligence Unit being set up, compared to the size of our economy, the number of cases, which are being filed, is very small. This means that the Government has got the means, but the Government is not prosecuting adequately. Actually, it is a great concern for this House that there has not been a single conviction. So, it is of no value whatever rules you continue to make, if you are not having any results or outcome. So, I would request the hon. Minister, with his vast knowledge and experience, to pay attention to this aspect.

Very often, we blame the foreign countries that they do not have us data. This report of the Financial Action Task Force says that whatever reports are asked for by the foreign countries from the Government of India, they are not able to respond on time. Also, we are not able to establish clear illegality in the moneylaundering process. Sir, with as many rules as you continue to make, you will never be a country which will prosecute or be effective until you actually implement the rule of law and take action against them. So, the weakness is in the prosecution.

The other thing which the hon. Minister, when he was the Minister of Home Affairs, brought to the attention was that they are non-profit organizations and NGOs whose funding comes through various mechanisms. So, they must also be put under this ambit for the simple reason that it will become a transparent process because lot of money is involved. There is a Mukhopadhyay Committee

Report which says that the tax due was around Rs. 7,000 crore. It means that Rs. 25,000 crore came into this country and this amount is not accounted for. Even if you leave good organisations – the Government says that 99 per cent of these organisations are good – you need only one per cent of organizations to create havoc in the country.

In the end, hon. Chairperson, I feel that that the operating provision is prosecution. So, I would request the hon. Minister to set up a mechanism where the Government can continuously evaluate the tax authorities and their capability to prosecute people who are involved in money-laundering.

With these words, I thank the Chair for giving me this opportunity to speak.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I am grateful to the hon. Members for extending broad support to the Bill. Following the Standing Committee's Report, we are moving 12 official amendments. These official amendments will reflect the decisions of the Standing Committee and the decisions of the Government.

Sir, I do not think that a long reply is necessary, but I will clarify a few issues that have been raised.

Firstly, the Act defines money laundering, and I would invite hon. Members to look at Section 3 of the Act, which states that :

> "Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime and projecting it as untainted property …"

So, the key words of money laundering are 'anything that is the proceeds of crime and projecting it as untainted property'. The crimes are defined in the Schedule. We have amended the Schedule from time to time, and more crimes have been added to the Schedule. This crime, in the FATF language, is called a predicate crime. There must be a crime; and there must be proceeds of a crime as if it is untainted property whereas it is really a tainted property. This is money laundering.

There could be money laundering arising out of a case of murder; there could be money laundering arising out of a case of cheating; and there could be money laundering arising out of a case of any one of the crimes mentioned in the Schedule. What the world is concerned about is -- among other things they are concerned about -- grave crimes with grave ramifications like terrorism, human trafficking, drug trafficking, and smuggling. These are grave crimes, which know no borders. Fake currency is a crime, which knows no borders. These crimes are committed and those crimes are punishable under specific laws. But the proceeds of the crime continue to flow into the economy and have grave implications for the

economy. So, a stand-alone offence called money laundering has been created where while the crime will be prosecuted and punished according to the domestic laws of the country dealing with the proceeds of the crime should also be prosecuted. Anyone who deals with the proceeds of the crime should be prosecuted, and that offence is called money laundering. I suppose this explains what money laundering is.

Money laundering is not the same as generation of black money. Black money can be generated without a crime. There may be no crime involved expect a violation of perhaps the Income Tax Act, which is not a crime and is a civil offence. … (*Interruptions*) If a doctor or a lawyer or a Charted Accountant takes fees by cash and does not disclose it, then there is a violation of the IT Act, but that money is black money, but that necessarily does not become a case of money laundering. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : What Mr. Thambidurai said was that … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM : If there is a crime relating to corruption and it is in the Schedule, then that money is, of course, money laundering, but all that I am trying to point out is that black money can be generated without it becoming a crime of money laundering like taking fees without bringing it into account; paying capitation fees for admission; accepting capitation fees for admission. … (*Interruptions*) Unless there is an Act, which makes it a crime, this is black money and black money is to be dealt with as black money and it may not quite come under money laundering. Many cases of black money will indeed come under money laundering, but there will be many cases of black money, which will not come under money laundering. The crucial difference is that in the case of money

laundering there must be a predicate crime or a crime as defined in the Schedule of the Act.

Now, we are expanding the Schedule to include more crimes like, for example, the crime of cheating. Therefore, in a discussion on money-laundering, if we divert our discussion to black-money, then the discussion will run into several hours. My request is that we have a separate discussion on black-money because there is much to be said about black-money, much to be said about how black-money is generated, who generates black-money, much to be said about how black-money can be detected, and how black-money can be brought to account.

Sir, there was some reference to the suggestions made by the Standing Committee. Now, as I said, all the suggestions made by the Standing Committee have been accepted. Those which require official amendments have been converted to official amendments, but there are many suggestions which do not require an official amendment; they require administrative action. But the point I wish to make is we have accepted the suggestions. We are taking administrative action. We will take administrative action on the suggestions which do not require official amendments to the Bill. For example, there was a suggestion that manpower is inadequate and training is poor. We have accepted the suggestion. What have we done? We have augmented the sanctioned strength of the officers and staff from 745 to 2,064 in the Enforcement Directorate. But to recruit 1,319 additional officers is not a job that can be done in a month or two. If we have to recruit 1,319 additional officers, I have to go through Staff Selection Commission or UPSC. It will take time, but action is underway. The initial action has been taken. The strength of the ED has been increased from 745 to 2,064, and now we are taking steps to fill the sanctioned posts by way of direct recruitment, deputation and promotion.

I could go through each one of the suggestions, but I want to assure the House that every suggestion made by the Standing Committee in this case has been found to be a wholesome suggestion. The Government has no quarrel with

those suggestions; we have accepted those suggestions, and we are acting on those suggestions.

There was some reference to 'reporting entity' by Mr. Sanjay Nirupam, he is not here. I think he should read the definition of 'reporting entity' with Section 2 (n) as is being amended. He will find that Section 2(n) includes 'stock broker, sub-broker, etc.' Therefore, 'reporting entity' includes 'stock broker, and sub-broker'. He read only the definition of 'reporting entity'. "Reporting entity' means among other things the 'intermediary', and 'intermediary' is defined as 'including a stock broker and a sub-broker'. Therefore, 'stock brokers and sub-brokers' are brought under 'reporting entity'.

There was some reference to a foreign bank. This is not a new piece of information. In a debate on black-money raised by hon. Shri L.K. Advani Ji, the then Finance Minister did make a detailed reply in which he referred to the information that had been received from the Government of France and the action that was being taken. Subsequently, in the middle of August in the last Session, my Ministry has answered a Starred Question and an Unstarred Question on this very matter.

PROF. SAUGATA ROY : Is it the same Bank?

SHRI P. CHIDAMBARAM: The same Bank. What was purported to be "revealed" was not revealed. It was already there in the public domain; it is already there in the records of the Parliament and we are taking action. But we are bound by Agreements between the two countries. Within the limits of the Agreement, action is being taken. I can assure the House that every single piece of information received from a foreign Government regarding accounts purportedly held in a foreign bank is being investigated and action has been taken and more action will be taken. I cannot say more because the matter is still under investigation and further adjudication.

Sir, my friend, Mr. Semmalai, he is not here, has moved three amendments. But I told him that if he raises the amendments, I will reply, but he is not here. The

first amendment moved by him is really redundant because this can only be *in any manner*. So the word *use* is comprehensive enough and the words *in any manner* are very redundant.

The second Amendment against the order of an Adjudicating Authority there is an appeal provided under Section 26. Therefore, if the order is a bad order or an order that extends the period of retention for a much longer period, there is an appeal provided under section 26.

And the third one is that, if a foreign court acquits the offender, the Indian court still has the discretion to accept that judgement and release the property or conduct its own inquiry and say, I am sorry, I will not release the property. That has been provided for. So, what Mr. Semmalai has referred to "substitute lines 14 to 16" on page 11 is really not necessary because we have provided that after notice to the other party, he may or may not order release of the property. So, what Shri Semmalai says is only in a different language. If you compare the language of the official amendment and the language of the Shri Semmalai's amendment, the thrust is the same. So, I would request Mr. Semmalai, should he be present here at the time of clause by clause consideration, not to press the amendment. The official amendments fully and completely reflect the recommendations of the Standing Committee. The suggestions which do not require any official amendment are being acted upon. I think a very important message will go not only to the FATF and over hundred countries that are represented in the FATF but also to those who deal with proceeds of crime that Parliament, despite enacting the law in 2002, has improved upon the law in 2005 and again improved upon the law in 2009 and is once again improving upon the law in 2012. So, with these words, I commended that the Bill be adopted and the official amendments be accepted.

Sir, may I add to a question asked by my friend Shri Ajay Kumar, under the PMLA, 37 prosecutions have been launched. None has ended in a conviction

yet. At the same time, none has ended in an acquittal yet. 37 prosecutions are under way. We are trying to speed up these prosecutions.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Invoicing of exports and over-invoicing of imports are also factors that lead to generation of unaccounted money. The Standing Committee had recommended that the Department of Revenue should take into account the incidence of trade based money laundering which is not considered as a money laundering offence so far. I had asked this question. I did not get the reply. I would be happy if you can refer to this aspect.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, मैंने तीन क्वश्चन रेज़ किये थे, पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स, लॉयर्स और चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, जो कि इस पूरे पी.एम.एल.ए. में एक मेजर पार्ट होता है, एफ.ए.पी.एफ. के रूल्स के हिसाब से भी इन तीनों के लिए आपको रूल्स बनाने के लिए कह रहे हैं या उनके कन्विक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। यदि आप जवाब देते तो मुझे सुविधा होती।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, on the first question asked by Shri Mahtab, as I said unless the suggestion requires an amendment to the Act, there is no case for moving an official amendment on trade related money laundering. What we have said is that section 135 of the Customs Act is listed in the Schedule as a predicate offence. So, money laundering will arise only in the case where section 135 is violated. If any other provision of the Customs Act is violated, that would not be an offence within the meaning of PMLA. What has been included in the Schedule PMLA is section 135 of the Customs Act. Therefore, where there is a case under section 135 of the Customs Act and we find that there are proceeds of crime arising out of that violation, yes, it will come under PMLA and there will be prosecution.

The other suggestion made by the Standing Committee is to maintain a comprehensive data base to enable tracking of trade-based offences. The Directorate of Enforcement already maintains a data base for cases registered to investigate the offence of money-laundering. All cases of violation of Section 135

of the Customs Act will automatically be included in the data base. There will be prosecutions for money-laundering if we find that proceeds of crime have been laundered.

As far as Shri Nishikant Dubey's question is concerned, as I said, I think we must keep a distinction between money-laundering and black money, unaccounted money. He is referring to lawyers and chartered accountants. But I can name many other professions that deal with black money. I can name many other kinds of business where you deal with black money. … (*Interruptions*)

SHRI NISHIKANT DUBEY : You are always saying that we are taking this Bill as the FATF obligation. So, this is a specific recommendation of FATF. That is why, I have asked this.

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is not a question whether there is a lawyer or a chartered accountant. The Schedule to the Act read with section 2(y) lists the offences which are crimes for the purpose of money-laundering. These are crimes under the Indian Penal Code, The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, The Explosive Substances Act, The Unlawful Activities (Prevention) Act in Part A. Again in Part B there are some crimes – The Indian Penal Code, The Arms Act, The Wildlife (Protection) Act, The Immoral Traffic (Prevention) Act, The Prevention of Corruption Act, The Explosives Act, The Antiquities and Art Treasures Act, The Securities and Exchange Board of India Act, The Customs Act -- and Section 135 is the only section in this -- The Bonded Labour System (Abolition) Act, The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, The Transplantation of Human Organs Act, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, The Emigration Act, The Passports Act, The Foreigners Act, The Copyright Act, The Trade Marks Act, The Information Technology Act, The Biological Diversity Act, The Plant Varieties and Farmers' Rights Act, The Environment Protection Act, The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, The Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental

Shelf Act. We have included a large number of Acts and a large number of sections. Any violation of any of these sections becomes a predicate crime. Anybody can violate these sections. He does not have to be a lawyer or a chartered accountant. Anyone can violate these sections. If anyone violates this section, he commits a crime which is classified as a predicate crime. If there are proceeds of that crime, it becomes a subject of another offence called money-laundering. I suppose, I have explained this to the best of my ability.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill further to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 2

The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 3

MR. CHAIRMAN: Shri Semmalai, are you moving your amendment?

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I am not moving my amendment.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 Amendment of Section 5

Amendment made:

Page 3, line 25, *after* "crime;", *insert* "and". (3)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That clause 5, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

Clause 6 Amendment of Section 8

Amendment made:

Page 4, line 12, *for* "becomes", *substitute* "become". (4)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

Clause 9 Substitution of New Section for Section 12

Amendments made:

Page 5, line 24, *for* "ten years", *substitute* "five years". (5)

Page 5, line 27, *for* "ten years", *substitute* "five years". (6)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 9, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11 Amendment of Section 13

Amendment made:

Page 6, *for* lines 9 to 11, -

substitute "shall be borne by the Central Government.". (7)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 11, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

Clauses 12 to 15 were added to the Bill.

Clause 16 Substitution of new sections for Section 20 and Section 21

MR. CHAIRMAN: Shri S. Semmalai, do you move your amendment to Clause 16?

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I do not move my amendment, Sir.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clauses 17 and 18 were added to the Bill.

Clause 19 Amendment of Section 24

Amendment made:

Page 9, *for* lines 17 to 19, *substitute* –

"Burden of proof.

24. In any proceeding relating to proceeds of crime under this Act,-

(a) in the case of a person charged with the offence of money-laundering under section 3, the Authority or Court shall, unless the contrary is proved, presume that such proceeds of crime are involved in money-laundering; and

(b) in the case of any other person, the Authority or Court may presume that such proceeds of crime are involved in money-laundering.". (8)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 19, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

Clause 20 Amendment of Section 26

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, with your permission, I request you to put clause 20 separately because we are voting against the amendment to clause 21, we are not making that amendment. So, clause 20 may be put separately.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 20 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 20 was added to the Bill.

Clause 21 Amendment of Section 28

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, before you put clause 21 to the vote of the House, I wish to explain. In the original Act, the words originally were, 'is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court or qualified to be a Judge of the High Court.' We wanted to substitute them by 'is a sitting or a retired Judge of the Supreme Court or a sitting or a retired Chief Justice of a High Court.' Now, we find that it is almost impossible to get a Judge of a High Court or a Chief Justice of a High Court. In fact, we have difficulty filling the SAT Chairmanship or difficulty filling the CESTAT Chairmanship. Therefore, we are not pressing this amendment; we are leaving the section as it is. If we get a Judge of the Supreme Court, we will appoint him; if we get a Judge or a Chief Justice of a High Court, we will appoint him. But now, we want to leave the Section as it is. Therefore, my submission is that we are voting negatively against this amendment. So, clause 21 may be put separately.

Similarly in clause 22 also, we want to retain the provision. So, we are voting against.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 21 stand part of the Bill."

The motion was negatived.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): आपने सर्कुलेट नहीं किया।...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is not an amendment. It is voting against.

Clause 22 Substitution of New Section for Section 42

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, similarly in clause 22, the present provision is that an appeal will lie to the High Court. We intended to amend it as appeal will lie to the Supreme Court. But it is practically not correct. Against the Appellate Tribunal, appeals cannot lie directly to the Supreme Court. It only means that the Supreme Court will get clogged with the appeal. We think that the present provision should continue – appeal will lie to the High Court and then an appeal will lie to the Supreme Court. Therefore, we do not want this Section to be amended. We want to leave this Section as it is. So, we are voting against clause 22. … (*Interruptions*) It is not an amendment. That is why, we are voting against. We cannot withdraw.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 22 stand part of the Bill."

The motion was negatived.

Clause 23 Amendment of Section 44

Amendment made:

Page 10, *for* lines 5 and 6, *substitute*—

'(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) an offence punishable under section 4 and any scheduled offence connected to the offence under that section shall be triable by the Special Court constituted for the area in which the offence has been committed:

Provided that the Special Court, trying a scheduled offence before the commencement of this Act, shall continue to try such scheduled offence; or".'. (11)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 23, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Clauses 24 and 25 were added to the Bill.

Clause 26 Insertion of New Sections 58 A and 58 B

Amendment made:

Page 11, line 14, *for* "shall", *substitute* may". (12)

(Shri P. Chidambaram)

SHRI S. SEMMALAI : Sir, I do not move my amendment.

MR. CHAIRMAN: He is not moving the amendment.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes, he is not moving it.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 26, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 26, as amended, was added to the Bill.

श्री निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...(व्यवधान) Rule 94 says:

> "The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments …"
>
> I am referring to Rule 93 (3) which says:
>
> "To such a motion no amendment may be moved which is not either formal, verbal or consequential upon an amendment made after the Bill was taken into consideration. "

So, you cannot change it.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the amendment has been part of the amending Bill. Each Clause of the amending Bill has to be voted by the House. I am not moving any amendment to the amending Bill there. There is an amending Bill. Each Clause is voted. Normally, we vote in favour of the amendment but there have been cases when we do not want to move the amendment, we vote against

that amendment. Negative voting has taken place several times. We do not want to move the amendment. This Rule has no application here. This Rule is applicable when there is a Motion to amend, you cannot move an amendment to that Motion.

श्री निशिकांत दुबे : आपको इसके पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) नियम 93(3) यह कह रहा है। ...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: When the Clause was taken up I stood up and explained as to why we do not want it.

श्री निशिकांत दुबे : जब यह बिल पास होने लगा तब आपने कहा कि हम इसे वापस कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: When each Clause is taken up, I am explaining our position.

श्री निशिकांत दुबे : जब बिल पास होने लगा, जब कंसीडरेशन के लिए आया, तो उसके बाद आपने कहा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister has already explained it. The House is considering the Clause. It is up to the House to adopt or negative it.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have a request. Clause 31 is consequential on the earlier amendment. We are substituting 'High Court' by the word 'Supreme Court'. Since I have explained, we do not want the appeal to lie directly to the Supreme Court. We want the appeal to lie first to the High Court and then to the Supreme Court. So, Clause 31 may be voted separately. Kindly put Clauses 27 to 30 to vote together and then Clause 31 separately.

Clauses 27 to 30 Amendment of Section 60, Amendment of Section 63, Substitution of New Section for Section 69 and Amendment of Section 70

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clauses 27 to 30 stand part of the Bill. "

The motion was adopted

Clauses 27 to 30 were added to the Bill.

Clause 31 Amendment of Section 72

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 31 stand part of the Bill."

The motion was negatived.

Clauses 32 and 33 Amendment of Section 73 and Amendment of the Schedule

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clauses 32 and 33 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 32 and 33 were added to the Bill.

Clause 1 Short title and Commencement

Amendment made:

Page 1, line 3, *for* "2011", *substitute* "2012". (2)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* "Sixty-second", *substitute* "Sixty-third". (1)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, since Clauses 21, 22 and 31 have been negatived by the House, the subsequent Clauses may be re-numbered accordingly.

16.55 hrs

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2011

MR. CHAIRMAN: Now we will take up Item No.8.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, be taken into consideration."

The Unlawful Activities (Prevention) Act was passed by Parliament in 1967. The Act has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for matters connected therewith. The Unlawful Activities (Prevention) Act, (UAPA), *inter alia*, deals with matters relating to combating of terrorism in all its facets, including terrorist financing. It criminalizes raising funds for terrorist acts, holding proceeds of terrorism, membership of a terrorist organization, support given to a terrorist organization and raising fund for a terrorist organization.

The UAPA 1967 also provides effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for matters connected therewith. The scope of the Act was widened in 2004 and the terrorist activities were criminalized by bringing various facets of terrorism. All political parties joined together and unanimously passed the Act 35 of 2008 to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act to overcome some of the difficulties in its enforcement and to update the legislation at par with international commitments and make certain provisions that made the Act more effective and stringent.

It is also relevant to mention about the Financial Action Task Force. The Financial Action Task Force, an inter-Governmental organization set up to devise policies to combat money laundering and terror financing. It admitted India as its 34th member in June 2010. On the basis of commitment made by India at the time

of admission to the said FATF, various legislative and other legally binding measures were required to be taken on a medium term basis, *i.e.*, by 31st March, 2012 including some changes in the UAPA. These are also being accounted for in the Amendment Bill,

Further, an Inter-Ministerial Group which evaluated the existing provisions of the UAPA 1967 had recommended other necessary amendments to the said Act in order to deal with the current threat scenario.

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2011 was introduced in the Lok Sabha on 29.12.2011. The Bill was referred to the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. The Committee gave its report on 28.03.2012. Out of the 14 clauses in the Bill, 10 clauses have been recommended for adoption without any change by the Standing Committee. The Committee has recommended changes in four clauses of the Amendment Bill. Thereafter, the matter was referred to the State Governments, Thus, the Bill before this House today has taken into account, the recommendations of the Standing Committee as well as the observations of the State Governments,

I would like to highlight some of the salient features in the proposed amendment Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2011, before the House.

The Bill proposes to -

(a) increase the period of declaration of an association as unlawful from two years to five years as specified under section 6;

17.00 hrs.

(b) Amend Section 15 of the aforesaid Act (which defines Terrorist act) to include therein

(i) Economic security and damage to the monetary stability of India by way of production or smuggling or circulation of high quality counterfeit Indian paper currency, coin or any other material as the existing provisions of the aforesaid Act do not include within their scope an act done with an intent to threaten or threaten

likely to economic security of India and counterfeiting Indian paper currency or coin;

(ii) Any international or inter-Governmental organisation against which any person indulges in acts as described in the clause (c) of Section 15, since the existing provision does not explicitly mention such international or inter-Governmental organisation;

(iii) Act of demanding any bomb, dynamite or other explosive substances or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or poisonous or noxious or other chemicals or any biological, radiological nuclear material or device with the intention of aiding, abetting or committing terrorism.

(c) Enlarge the scope of Section 17 of the aforesaid Act relating to punishment for raising funds for terrorist act and include within its scope raising of funds both from legitimate or illegitimate sources, by terrorist organisation or by a terrorist gang or by an individual terrorist.

(d) Insert new Sections 22A, 22B and 22C in the aforesaid Act to include within its scope, offences by companies, societies or trusts and provide punishment therefor.

To conclude, the proposed amendments to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, thus aim to bring more clarity to the existing legal regime, and remove the deficiencies identified in the implementation of the provisions of the said Act by the Central and State Intelligence and investigating agencies.

I am sure that these objectives will be achieved with a consensus in the House.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, in the All Party meeting we all opposed certain clauses relating to the interference in the matters of the State Governments. If this is the same Bill containing those clauses then we are opposing that and it should not be taken up now. It is because already in the All party meeting we have discussed this matter and there was no consensus on that and therefore if at all the Government is proposing to take up that Bill, then we are totally opposed to it and we do not want this Bill to be taken up now unless there is consensus on this from the political parties. Unless a consensus is reached on this, there is no point in taking up this Bill now. This Bill may be deferred. We request you to defer this Bill and we will consider it afterwards… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you made your point. The hon. Minister is on his feet.

… (*Interruptions*)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I am on a point of order. How can they oppose the Bill now? … (*Interruptions*) The hon. Minister has already moved the Bill. This is the property of the House… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : This can be taken up afterwards. The Government may defer this Bill… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, you have made your points. Let the hon. Minister first reply to this. Please sit down. Please do not disturb now.

… (*Interruptions*)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Hon. Members, I would like to submit that… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except what is being said by the hon. Home Minister, will go on record.

(Interruptions) ... *

---

* Not recorded.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, there were two important issues. One is UAPA Bill and another is NCTC. The NCTC was opposed and in this, we had referred to all the Chief Secretaries of all the States. We have received their replies also. I personally discussed the matter with some Chief Ministers because earlier it was discussed and when I took over, I myself specifically consulted with the Chief Minister of West Bengal. So, you are talking of NCTC and not this Bill.

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Arjun Ram Meghwal may speak.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Our humble request is to defer it.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Why to defer it? You are talking of NCTC. You are talking of National Counter Terrorism Centre and you are not talking of UAPA Bill. You should understand what the hon. Member, Dr. Thambi Durai was suggesting.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The six page amendment Bill is for your consideration. What our hon. Colleague, Dr. Thambi Durai, was saying was that for the last three to four days, we could not transact any business. We are not saying that we are opposing this Bill. We are not saying that we are not going to discuss this Bill. We are only saying that to defer it by some days. That is our only concern.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: We will discuss it at length.

MR. CHAIRMAN: Let the discussion start.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, we can discuss it.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Let us not rush through the Bill.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have already called Shri Arjun Ram Meghwal. Hon. Member, you have made your point. Please sit down now.

… (*Interruptions*)

<u>17.08 hrs</u> (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): This is the beauty of Indian Parliament.… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, यह भारतीय संसद की खासियत है। आपने मुझे अन-लॉफुल एक्टिविट प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि हाउस में जब अमेंडमेंट बिल पेश हुआ, उसके बाद होम अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें यह बिल गया। 29 दिसम्बर, 2011 को पेश हुआ और होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी ने 28 मार्च, 2012 को सर्वसम्मति से सिफारिशों के साथ वापिस भेजा। मेरा कहना है कि यह सरकार का वेलकम स्टैप है। 1967 में यह मूल रूप से बिल आया था और जब एनडीए की सरकार थी, तब हम पोटा अधिनियम लाए थे। उसका बहुत विरोध हुआ, जबकि वह बहुत अच्छा कानून था, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। जब यूनएन सिक्योरिटी काउंसिल में पोटा की प्रोसीडिंग पर चर्चा हुई और भारत सरकार के प्रतिनिधियों को कहा गया कि आपके देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए सशक्त कानून नहीं है, तो आपके ध्यान में हमारा पोटा का अधिनियम भी आया, लेकिन चूंकि वह एनडीए की सरकार के समय पास हुआ था, अच्छा अधिनियम था, इसलिए आपने उसका पोलिटिकली विरोध किया था। लेकिन अब फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स में जो कमिटमेंट आपने किया, उसके तहत आप यह पीस मील में अधिनियम ला रहे हैं, लेकिन यह आतंकवाद को रोकने का जो काम आप कर रहे हैं और आतंरिक सुरक्षा के नाम पर देश में जो खतरा उत्पन्न हो गया है चाहे वह नॉर्थ ईस्ट में हो गया हो, चाहे वह कश्मीर में हो गया हो, चाहे वह नक्सलवाद के माध्यम से सेन्ट्रल इंडिया में हो गया हो, जहां कहीं भी यह खतरा उत्पन्न हुआ है, उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हालांकि आप पीस मील में अमेंडमेंट ला रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी इसका स्वागत कर रही है।

यद्यपि अभी तक यह बहुत कठोर कानून अभी तक नहीं आया है, जैसा कि यू.एन.सिक्योरिटी काउंसिल में आप कमिट करके आए हैं। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि आपके पास कानून तो पहले से थे लेकिन इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम जब कोई हो जाता था तो उसको आप डील नहीं कर पाते थे। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे विदेश में कोई एक गैंग है और भारत में उसने कई आतंकवादी घटनाएं घटित कर दीं। वहां वह अभियुक्त था और उसका मर्डर हो गया, उसके कुछ लोग कार लेकर भाग गये तो जो कार लेकर भागे, उनको आप किसी भी एक्टिविटी में डील नहीं कर सकते थे। आपके पास कोई ऐसा कानून ही नहीं था। 'पोटा' में ऐसे कुछ प्रावधान थे लेकिन आपने यह सोचा कि यह होना चाहिए और आपने यू.एन.सिक्योरिटी काउंसिल में जो बात कही, जो फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स में कमिटमेंट दिया, उसके तहत आप यह बिल लाए हैं, इसलिए हम इसमें आपका समर्थन करते हैं। लेकिन एक चीज का मुझे बड़ा अफसोस है।...(व्यवधान) यह 'पोटा' से टफ हो। यह अभी तक लाए नहीं हैं। टफ

कानून लाएं तो अच्छा है। पोटा का तो इन्होंने वैसे ही विरोध किया जबकि पोटा जैसा ही अब ये ला रहे हैं। एक चीज का मुझे अफसोस है।...(व्यवधान) यह पोटा से भी मोटा है। अभी मोटा नहीं है। लेकिन आना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में आतंकवादी घटनाएं रुकें। इस देश में जो ये अलगाववाद की घटनाएं हो रही हैं, वे रुकें। देश महत्वपूर्ण है। कोई भी एक्टिविटी करने वाला संगठन महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अगर देश को एक रखने में, देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने में ऐसा कोई भी अधिनियम लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी में एक पनिशमेंट रेज करने के लिए आपको सुझाव दिया गया था कि यह सजा दो से सात साल होनी चाहिए। मंत्री जी, इस देश में ज्यूरिस प्रूडेंस की दो थ्योरी हैं। एक थ्योरी रिफॉर्मेटिव है कि अगर कोई आदमी अपराध करता है और अगर सुधर सकता है तो उसको सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारे देश में जेल का नाम भी सुधार गृह रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, ऐसे अपराधी होते हैं कि जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ज्यूरिस प्रूडेंस में एक सिद्धांत है जिसका नाम डिटरेंट थ्योरी है और इस डिटरेंट थ्योरी के तहत स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत विस्तार से इस पर डिसकशन किया और यह कहा कि डिटरेंट थ्योरी के तहत इसमें पनिशमेंट सात साल का होना चाहिए। जब आप एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना ही चाहते हैं कि जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश में आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वाले लोग हैं, तो फिर जो सजा स्टैंडिंग कमेटी ने सात साल की थी, उसको आपने सात साल से पांच साल किस आधार पर कर दिया? आप दो मन से मत चलिए। या तो आप रिफॉर्मेटिव थ्योरी में विश्वास करिए या आप डिटरेंट थ्योरी एक्सेप्ट करिए जो स्टैंडिंग कमेटी में एडॉप्ट की गई थी। स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर बहुत चर्चा हुई कि पनिशमेंट कितना होगा? पनिशमेंट पर भी चर्चा हुई और फिर सारे दल के लोग स्टैंडिंग कमेटी में होते हैं और सभी ने कहा कि इसमें सजा सात साल ही होनी चाहिए। फिर आपने अचानक इसको पांच साल कर दिया। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि जब आप जवाब देने के लिए उठें तो इसम यह आप जरूर देखें और यह जरूर बताएं कि किस आधार पर पांच साल सजा की गई और किसने आपको सजेशन दिया?

जब एक बार आप स्टैंडिंग कमेटी में मैटर ले जाते हैं तो वहां बहुत डिटेल में डिसकस होता है। मेरा यह भी कहना है कि पार्लियामेंट में कोई आश्वासन दिया जाता है या स्टैंडिंग कमेटी में रिकमेंड किया जाता है, मान लीजिए कुछ सामाजिक संस्थाएं आ गई, उनके कहने से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से जुड़ी हुई स्टैंडिंग कमेटी का स्टेटस मत कम कीजिए। इससे पार्लियामेंटरी सिस्टम वीक होगा। अगर यह वीक होगा तो देश के लिए खतरा होगा। मेरा यह कहना है कि पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी की डिटरेंट थ्योरी को मानते हुए जो सजा सात साल की थी, उसे सात साल ही बरकरार रखने की कोशिश करें।

माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपने फंड्स रेज़ करने वाले लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया है। यह अच्छी शुरुआत है लेकिन आप इसे इम्पलीमेंट कैसे करेंगे? क्या सरकार के पास वह इच्छाशक्ति है जिस तरह से ये चीजें ली गई हैं? आपने सैक्शन 17 में कहा है - "Section 17- Punishment for raising funds for terrorist act." यह पोलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं है। यह पनिशमेंट फार रेजिंग फंड्स फार टेररिस्ट के लिए है। पोलिटिकल पार्टी अगर कोई आतंकवादी घटना करेगी तो इसमें आ जाएगी। आतंकवाद इस देश से बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन और कई जगह यह हो गया है। नक्सलवाद चैलेंज कर रहा है कि हम कंट्रोल करेंगे। होम मिनिस्टर साहब जानते हांगे कि नार्थ-ईस्ट में इस तरह की पैरलल आर्मी बन गई है। इस देश की आर्मी के लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं। यह देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। हालांकि आपने इसमें लिखा है - Punishment for raising funds for terrorist act. आप कभी इम्फाल जाकर देखिए कि प्राइवेट लोगों की आर्मी, जिन्हें हो सकता है फंड बाहर से आ रहा हो, इन लोगों के साथ आर्मी के लोग बैठकर चाय पीते हैं, सैल्यूट करते हैं। हमारी कमेटी गई तो वे लोग लेने आए, हमने पूछा कि ये लोग कौन हैं तो वे बोले कि यह कोई टेररिस्ट ग्रुप है, इसकी अलग आर्मी है। हमने पूछा इनके कितने लोग हैं, उन्होंने कहा 2000 लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट 2000 लोगों का दल, जो बाहर से पैसा ले रहा है, उससे हमारे देश की इतनी मजबूत आर्मी क्यों डर रही है? आपको कहीं ने कहीं स्ट्रांग एटीट्यूड लेना होगा। ठीक है, वार्तालाप में वे चुप रहें, बाहर न निकलें, वे आर्मी की ड्रैस में बाहर निकलते हैं, हाई वे ब्लॉकेज कर देते हैं, छः-छः महीने तक उगाही करते हैं, लोगों को राशननहीं मिलता है, स्कूल बंद हो जाते हैं। नार्थ-ईस्ट में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, क्या वहां भी इस एक्ट को लागू करने का प्रयास करेंगे? क्या यह आपकी भावना है? आप इस एक्ट को लाए हैं तो इस उद्देश्य से लाए हैं कि इस देश में अलगाववाद न फैले, आतंकवाद न फैले। इस देश को पृथक्कवादी ताकतें आंखें दिखा रही हैं, ऐसी ताकतें नहीं फैलनी चाहिए। आपने ये सब चीजें इसमें कहीं न कहीं जोड़ी हैं। आज मनी लॉड्रिंग का अच्छा बिल पास हुआ है, वह भी आर्थिक अपराध से जुड़ा

हुआ है। यह बिल भी इसके साथ लिंक्ड है। हम इन दोनों बिलों का स्वागत करते हैं लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट मशीनरी को भी देखना होगा कि जिस पवित्र उद्देश्य से स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स इसमें लिखे हैं, वे पूरे हों। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स तो हर बिल में लिखे होते हैं। मैं किसी मीटिंग में गया था, वहां कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कोई महिला कह रही थी कि पार्लियामेंट में स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स ऐसे ही लिख देते हैं, कोई पढ़ता नहीं है। गलत परसेप्शन जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। मैं राजस्थान से आता हूं, इस बिल में आपने कुछ प्रावधान रखे हैं। लेकिन कुछ टेलिफोन काल्स जो पाकिस्तान से आती हैं, जैसे मेरे पास भी एक काल आई थी और मैंने जीरो ऑवर में एक प्रश्न भी रेज किया था। वह हमसे पूछता है कि आप अपने डिटेल्स दीजिए, आप कोई इनाम जीत गये हो, हम आपको पांच लाख रुपये देंगे, दस लाख रुपये देंगे। कोई आदमी उन्हें डिटेल्स दे देता है और घर का एड्रैस दे देता है तो उसके बाद वह फंस जाता है। वह इन्नोसेन्ट होता है, उसने देखा कि पांच लाख या दस लाख रुपये मिल जाएंगे। डबल जीरो नम्बर की कोई काल होती है, इस तरह की काल्स इंटरनेशनल बार्डर के पास रहने वाले नागरिकों के पास अक्सर आती हैं। जो हमारे नार्थ-वैस्ट राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर में पाकिस्तान से मोबाइल पर टेलिफोन काल्स आती हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती या तो कोई एक्ट ही नहीं था। यदि वर्तमान में कोई है तो आप उसके तहत भी कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन वे कहते हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।

मेरा आपके माध्यम से कहना है कि ऐसी काल्स में कई लोग फंसे हैं। उन्होंने अगर घर का कोई एड्रैस दे दिया तो उस घर् के एड्रैस पर जैसे पचास हजार रुपये एडवांस किस्त भेज दी। अब जैसे ही पचास हजार रुपये की किस्त आती है और एड्रैस के साथ टेलिफोन नम्बर होता है तो पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई टैररिस्ट गैंग यह कहता है कि तुम हमारे नेट पर आ गये हो। अगर तुम हमारे लिए आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग नहीं करोगे तो हम आतंकवादी दस्ते को बता देंगे कि यह हमारा आदमी है और यह हमारा सहयोग नहीं करता। वह आदमी वैसे ही फंस जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों के लिए भी आपको इसमें प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि यह इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी से जुड़े हुए, साइबर क्राइम से जुड़े हुए कुछ अपराध हैं, जिन्हें आपने इसमें डील नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इसमें आपको इन्हें भी डील करना चाहिए। साइबर क्राइम से जुड़े हुए अपराध, मोबाइल के माध्यम से, इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी के माध्यम से जो टेलिफोन काल्स आ जाती हैं, ऐसे अपराधों को भी आपको इसके माध्यम से डील करना चाहिए।

अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपने सैक्शन-4 का जो अमैंडमैन्ट किया है, उसमें आपने फेक करेन्सी के बारे में भी जिक्र किया है - काउंटर फेक इंडियन पेपर्स और फेक करेन्सी, जो हमारे राजस्थान में या बैंकों में कई जगहों पर बड़ी मात्रा में आ गई है। कई बार पता नहीं

चलता कि पांच सौ का नोट असली है या नकली है, हजार का नोट असली है या नकली है। देश में यह एक बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा जो इस देश में अस्थिरता पैदा करने वाले लोग हैं, जिन्हें इस एक्ट के माध्यम से आप डील करना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई ही ये गतिविधियां हैं, आप इन्हें भी बहुत स्ट्रांगली डील कीजिए, हम आपके साथ हैं। आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद जैसी कोई भी शक्तियां इस देश को हिला न सकें, इस देश को तोड़ न सकें, इस देश के खिलाफ आंख उठाकर भी न देख सकें, इसके लिए हम आपके साथ हैं। आप यह बिल लाये, उसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Sir, I rise to support the Bill moved by the hon. Home Minister. This Bill probably should have been discussed much earlier. This country is facing the grave situation in the field of terrorism. Existing laws are inadequate to meet this challenge. Terrorism as it is spreading all over the world has become a global phenomenon. India is one of the worst victims of terrorism. If our laws to face terrorism are inadequate, it is the fundamental and primary responsibility of this House to pass sufficient legislation.

Today, after a long gap, probably the 2011 when the Report of the Standing Committee was before the Government; and the Cabinet approved the proposals; it should have been passed much before. Shri Meghwal was very heartily supporting this Bill but we could not pass this Bill in the last Monsoon Session, thanks to the hon. Members of Opposition, because it was a wash out Session so we could not pass.

But at least when it came now, a very senior and very serious Member of this House Shri Mahtab was also saying that this may be deferred to some other day. I can understand the argument which the hon. Member Dr. Thambidurai has advanced that there was a controversy about another Bill which was brought to tackle terrorist activities and that is regarding the National Counter Terrorism Centre (NCTC). That was probably in the mind of many other hon. Members that this Bill is another incarnation of that proposal.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Actually, the Act of 1967 empowers the Government to go into this type of amendment. That is why we wanted some more time to deliberate on this and come back so that the discussion can be more fruitful.

SHRI P.C. CHACKO : First this Bill was introduced and then it went to the Standing Committee, it came back to the House and it was to be discussed in the last Session. After a lot of time was wasted during the last Session, we got an opportunity now and when I heard Shri Mahtab saying that it should be postponed, I was a little disappointed. However, I am not questioning his intention. When the

NCTC Bill was mooted by the Government, I remember the political differences that were there at that time. We are in a federal polity. The powers of State Governments should not be encroached upon by the Centre. Even when we accept this in letter and spirit, when the unity and integrity of the country is challenged by external forces, by terrorist forces abetted by hostile forces, it is our bounden duty to come to a conclusion. But there was a big controversy. Whom is it going to help? Should there be a controversy on the powers of the Centre and States? We can have a controversy on any other subject, but not on this kind of a Bill to set up NCTC. As the Home Minister said, that Bill is still in the pipeline and that may come with the consensus of the hon. Chief Ministers.

Sir, we all know that the purpose of this Bill, as has been briefly explained by the hon. Home Minister, is to widen the scope of the existing Act. This Act was first passed in the year 1967, 45 years ago. In these 45 years, the landscape in various countries has changed a lot, not only here but all over the world. In 2004, we made an amendment to this Act and in 2008 we came up with another amendment. Again, when we are coming now for another amendment, we are faced with new problems and how to tackle those new problems is what is being addressed in this Bill.

Sir, the main thing, as explained by the hon. Minister, is the definition of terrorist act to cover the activities affecting the economic security. At one point of time, we all thought that it is the bomb, gun, chemical weapons are helping terrorism. But today we find that the security of a country can be more effectively threatened through money laundering or fake currencies or the economic security of a country can be sabotaged through various other means. Today it is not a secret that Indian currencies which are printed in the neighbouring countries are being transported in bulk into India. In the past, huge consignments of fake currencies were seized in the borders many times. We do not know how much is being pumped into the Indian economy. In our country, we are struggling to cope up with many problems. We have poverty, we want to eradicate poverty, we have

unemployment and we want to eradicate unemployment. Growth of economy is the only solution for eradicating poverty. No slogan can solve it. But a country which is growing comparing to many other countries at a higher pace, today there are many people who are envious of the growth of India. They think that the right thing is not to attack with Army, not to attack with weapons, but they think that the right thing is to destabilise India economically. So, the definition of terrorism has been expanded to cover the economic security. In that angle probably and rightly so fake currency and money laundering are included. Just now this House passed Money Laundering Bill. It is accidental but it is very interesting and welcome thing that immediately after the Money Laundering Bill, we are passing this legislation also.

This legislation has very clearly defined that all acts which are sabotaging and torpedoing the economic stability of this country will be covered in the terrorist activity. Sir, with all the difference, all the Parties, I am sure will welcome this.

Another major thing is the period for which an association involved in terrorist acts could be declared unlawful raised from two years to five years. Sir, this was discussed in detail in the Committee. In our country, there are many organisations which apparently say that they are social organisations and other kinds of organisations, but their activities are anti-India, anti-national and subversive. Our existing laws are quite insufficient to tackle any organisation working with an ulterior motive and if that comes to the notice of the Government because we believe that in our Constitution article 21 very clearly says that personal liberty is uppermost. No person can be deprived of this liberty without due process of law. This is the fundamental thing of our Constitution.

Sir, India is famous for personal liberty. We uphold personal liberty in our Constitution. We give it prime importance. But at the same time when it is being misused and when many organisations with a façade of social service and other things are working to undermine the integrity of this country, such organisations

can be banned or prohibited. There are so many agitations going on in various parts of the country that the ban should be lifted. I know that very responsible political Parties are also supporting such agitations.

What more it has done? Is it to deprive the personal freedom? Is it to deprive the personal liberty? There may be arguments like that. But, unfortunately, when with clear evidence and things come before the Government that subversive activities are resorted and terrorist activities are abetted by such organisations, they are banned. That ban period now is for two years and once in every two years it is to be reviewed. None of us expect that within two years they will become good people and they will be nationalist and all. So, now this period has been extended to five years for whoever is indulging in subversive activities.

Another point is that 'the courts to get powers to attach property equivalent to the counterfeit Indian currency involved is an offence' is very mild. I hope the hon. Minister will reconsider it. If property is acquired through illicit or fake currency that property can be attached by the Government equivalent to the currency as if it is a trade. The Government should have the powers to take over the property of anybody who has done unlawful activity and apportioned wealth in this country, There, this clause that 'equivalent to the counterfeit Indian currency involved in an offence' will lead to all kinds of complications because offence is an offence. Offence is against the nation. When it comes to the notice of the Government, the Government should have the power to do that.

Sir, in spite of all the shortcomings, the existing Bill which is a very important legislation in tackling the terrorism in our country, this is adding to that and giving some teeth to existing Bill.

Here there is some very important thing to be brought to the notice of the hon. Minister. Since I have gone through the report of this Committee also, there is a definition of the 'person'. The Bill amends the original Act to include the definition of a person. A person shall include – I think the hon. Minister will give us an explanation – an individual, a Hindu undivided family, a company etc. I do

not understand the significance of including Hindu undivided family in this context. Probably there was a thinking that this can be changed. That was the explanation given to the Committee at that point of time. I do not know whether it is amended or whether it is still there. If it is so, that may not be very appropriate. Terrorism has nothing to do with Hindu Undivided Family. So if it has crept in as a mistake, then I hope the hon. Minister will explain that. It is because, in the definition of this Act, when you define this, I do not think that it is appropriate at least in this context that this definition is there.

The terrorist organisations are spreading in numbers. There are so many terrorist organisations but they appear to be very innocent and engaged in other activities. But, now, in some States, some organisations which have committed heinous crimes in this country and which have assassinated national leaders, they were behind that also, when such organistions are banned, at least there is somebody now to say that the ban should be lifted. Here at least, we have to have a consensus on that. In spite of all our political differences, we can evolve some kind of a common approach in such things. The Governments may come and Governments may go, but the people who are involved in heinous crimes against the security and integrity of the country, such people should be dealt with. As said by Meghwal *ji*, there cannot be any compromise on that. Here we have extended the ban period to five years, but any suspected organisation, any organisation which has past involving crimes or subscribing to disintegration, such people should not be glorified. Such people should not be whitewashed. That should not be the consideration whether it is inconvenient to the present Government or not. It may be a great threat tomorrow for this country. So in that kind of a situation, political parties will have to have a common approach that such undesired elements should not be supported.

All these amendments which are included in this Bill are giving this Bill the most important anti-terror legislation which is in India today. It is giving it more meaning, more teeth and more effectiveness to deal with it. I am very happy that

the hon. Minister has presented it. I am sure that there will be contribution to enrich this Bill in its present form also, and whatever suggestions we have given also will be considered. I hope that this Bill finds a wider acceptance in this House. I think that that is the view of the common man of this country. With great happiness, I support this Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

अभी इस बिल को लेकर कुछ संशय हुआ, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने उस बात को स्पष्ट किया। जहाँ तक इस विधेयक में संशोधन की बात है, इसमें पूरे तरीके से दिया गया है कि काले धन को सफेद करना आतंकी हरकत समझा जाएगा, आतंकियों पर लगेगी आर्थिक पाबंदी, और इस बिल को अगर देखा जाए तो यह गैर-कानूनी गतिविधि कानून विधेयक है जिसमें यह स्पष्ट है कि आतंकवादियों के गुटों को धन मुहैया कराने की हरकतों को आतंकी गतिविधि माना जाएगा, यह इस बिल से स्पष्ट है। इस बिल में आतंकियों को वित्त पोषण, मनी-लॉन्ड्रिंग और नकली भारतीय करंसी, नोट पर लगाम लगाने की बात है।

<u>17.40 hrs.</u>

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

इसके पहले हम जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, यह विधेयक उस विधेयक से मिलता-जुलता है। इसलिए इसकी लगभग सभी बातें आ चुकी हैं। जहां तक जाली नोटों की बात है, यह देखा गया है कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्ला देश बार्डर से नकली नोट आने की बात किसी से छिपी नहीं है। इस प्रकार के विधेयक से इन पर कहीं न कहीं लगाम लगेगी। इस विधेयक में कहा भी गया है कि जुर्माने के अतिरिक्त सज़ा को सात वर्ष तक बढ़ाया गया है। मैं तो चाहूंगा कि इसे सात से बढ़ा कर दस वर्ष किया जाए।...(व्यवधान) हो सकता है कि सरकार को यह डर लग रहा हो कि हमारे लोग इसमें कहीं प्नीशमेंट न पा जाएं। मैं तो चाहूंगा कि इसे सात से दस किया जाए। आप सात से पांच कर रहे हैं, यह गलत है। फाइनैंशियल एक्शन टास्ट फोर्स में 34 देशों में भारत को भी शामिल किया गया है। वह स्वागत योग्य है कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान इससे बनेगी। इस बिल पर बहस में तमाम सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। अगर देखा जाए तो बाहरी आतंकवाद से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन देश में जो उग्रवाद पनप रहा है, वह भारतवर्ष के लिए चिंता का विषय है। हम लोगों को अक्सर पूर्वोत्तर राज्यों में जाने का मौक़ा मिला तो वहां हमने देखा कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो हाल ही में घटनाएं घटीं, उनसे सभी लोग बहुत दुखी हुए और खास कर पूर्वोत्तर राज्य के उग्रवादी संगठनों ने भी यह महसूस किया कि हिंसा का जो स्वरूप है, जो अफ़वाह और भय का वातावरण है, उससे देश को और उनको खुद को बहुत नुकसान हुआ है। हमने बराबर इस सदन के माध्यम से हमेशा सरकार को इंगित किया है कि देश के ऐसे जो उग्रवादी संगठन हैं, उनसे बातचीत के द्वारा समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। लेकिन कभी किया गया, कभी नहीं किया गया। मेरे ख्याल से इसमें बराबर प्रयत्न करना चाहिए कि इस प्रकार के जो संगठन हैं, जो आपसे वार्ता करना चाहते हैं, शांति वार्ता करना चाहते हैं, उनसे वार्ता करनी चाहिए और

निरंतर करनी चाहिए। जब देश के अंदर उग्रवाद पनपेगा तो मेरे ख्याल से देश में कभी खुशहाली या विकास नहीं हो सकता है। इस बिल में यह भी कहा गया है कि तमाम उग्रवादी संगठनों द्वारा जो ज़बरन वसूली, फ़िरौती, इस प्रकार की बातें आयी थीं, उसमें कमी आयी है, आपने रोका है, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमें अपने पड़ोसी देशों से भी हमें बेहतर रिश्ते बनाने चाहिए। बांग्ला देश के पास प्राकृतिक गैस की अपार संपदा है और हमें यहां उद्यमी पूंजी भी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन देशों के साथ मिलकर हम विकास करें। हमें वहां रोज़ग़ारपरक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां रोज़ग़ार मिले, विकास हो। जिन पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते मधुर नहीं हैं, उनमें प्रगाढ़ता आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने नेशनल काउंटर टैर्रिज्म सैन्टर, एनसीटीसी के बारे में यहां बात कही है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एनसीटीसी पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए और आम सहमति बनानी चाहिए। अभी जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो उसमें पुलिस महानिरक्षक और बड़े अधिकारी आए थे। 12 राज्यों ने इसका विरोध किया था। उनको यह महसूस हो रहा था कि राज्य के अधिकार केन्द्र छीन रहा है। मेरे ख्याल से मंत्री जी ने उस बात को स्पष्ट कर दिया है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। जहां तक इस विधेयक की बात है, यह बहुत अच्छा विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Prof. Saugata Roy.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Mr. Chairman, Sir, I have not yet been assigned the seat. Can I speak from this seat?

MR. CHAIRMAN: Yes, you can speak now.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I am supporting this Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2011 to honour a commitment which our Party leader Kumari Mamata Banerjee made a few months ago. On 23rd August, a meeting of the UPA Coordination Committee was held and it was attended by the West Bengal Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee. She gave a commitment that our Party would support this Bill. Though we are no longer a part of the UPA, our Party is keeping its commitment and supporting this Bill in the House today.

Sir, this Bill is coming at a time when Shri Shinde has got many congratulations on the silent hanging of Ajmal Kasab, the only terrorist who lived after the Mumbai carnage. He did it so secretly. He told the Press that not even the Prime Minister and the UPA Chairman were aware of it. If he has done so, *kudos* to him. All operations should be carried out in secret.

Sir, this Bill, as other hon. Members have spoken, seeks to enlarge the scope of the unlawful activities, which is why we are not opposing this Bill. But let me state at the outset that our Party and the State Government of West Bengal are totally opposed to the National Counter Terrorism Centre. We have opposed it at the earlier meeting of the Chief Ministers; we have opposed it at the meeting of the DGPs for the simple reason that the proposed NCTC, as it was proposed then, impinges on the right of the States and is violating the federal character of the Constitution.

Knowing the Home Minister's nature, I am sure that he will try to arrive at a consensus with the Chief Ministers of the States since law and order is a State subject how the terrorist activities can be controlled without taking away the basic power or right of the States. No effort should be made as it was made earlier in rushing through the National Counter Terrorism Centre. Ultimately it will be the State Governments which will have to control law and order and hold the baby. So, it is better to take them on board in having the National Counter Terrorism Centre.

Mr. Chairman, Sir, you spoke on this Bill and at that time you were not in the Chair. I agree with the way that you have put and said that this Bill has three aspects. One is to bring amendments that have been recommended by the Financial Action Task Force, of which India has become the 34th member. We just discussed another Bill, that is, Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, where also we have tried to implement the recommendations of the Financial Action Task Force. There is no doubt that laundered money is being used to fund the terrorist organizations worldwide. It is a genuine problem in the country.

The Home Minister himself has said that laundered money of the terrorist organizations is entering the stock market. He also said on record that laundered money is going into the real estate on the construction business. He will obviously enlighten this august House as to what the Government of India with its huge machinery, is doing to prevent laundered money, terrorists' money from getting into the real estate business or into the stock market. The Home Ministry and the Finance Ministry need to work in tandem to meet this challenge.

If you know, Sir, originally when this Bill was brought in 1967, terrorism was not an issue in India. It was only in 2004 that the terrorism also became a matter in India; it was amended in 2004 by criminalising, raising of funds for a terrorist act, holding proceeds of terrorism, membership of a terrorist organisation, support given to a terrorist organisation and raising funds for a terrorist organisation by inserting specific chapter.

So, it is an old Bill; it is 45 years old. But it was totally amended in 2004. The definition of property was also expanded to bring the legislation in line with the requirements of the International Convention for suppression of the financing of terrorism. So, the Act was amended to make it more effective in prevention of unlawful activity and dealing with terrorist activity.

But if I may say so, Sir, we in India were new to terrorism and had not been as successful as the Americans. Look at what the Americans have done after 9/11. After 9/11, not a single major terrorist incident has taken place on America's soil. But why even after the Prime Minister of the country was assassinated in her own house, and so many years later, the Mumbai carnage could take place? Why did the Poona German Bakery blast take place? There is something wrong, something porous, something weak and something vulnerable. Through the system, we are not being able to prevent terrorist incidents from being happening.

I am sure that the hon. Home Minister would ponder over these questions and devise newer ways to prevent terrorist acts from taking place in the country.

Sir, one of the major thrusts of the Bill is the making of high quality counterfeit notes a punishable offence. This is very correct. I come from a State, which is situated on the border of several sovereign nations -- Bangladesh, Nepal and Bhutan. Even Chinese border in Tibet is not so far from our State. I was an MLA from a border Constituency; and we have seen how Indian counterfeit notes come into India; how they are used to finance illegal activities.

Sir, let me tell the House that the Government of the West Bengal is trying its best. But you would be surprised to know that in some parts of North Bengal, even a year and half ago, Chinese currency was circulating openly as an instrument. This is causing a great danger. It is very probable that this high quality counterfeit Indian currency is sought to be breached by sovereign support and has been made into terrorist offence. This if allowed, will destroy our monetary system and severely damage our economy.

Sir, the present Bill also gives the power to ban organisations for five years instead of two years earlier. I think it is prudent because you cannot take a decision for more than five years. I do not agree with my colleague Shri Shailendra Kumar that 'you do it for seven years or 10 years'. There are 32 organisations, which are banned under this Act, at present. Sometimes, demands are made about SIMI. The Milli Council says: "raise it." Sometimes, demands are

made about the LTTE, which is a banned organisation in the country, that the ban should be lifted. No quarter at all should be given to any terrorist organisation.

The Government should not only have all-party support but also across the board support in meeting the challenge of terrorism, which has emerged as a major threat to the world security in the 21st century. In this, we are one with the Government.

I would only request the Home Minister to take the State Governments on board so that together the Central and the State Governments can meet the challenges forced by terrorism. If we can achieve international cooperation through the Financial Action Task Force and other Bodies, why should there not be across the board cooperation between the Centre and the States in meeting this global menace of terrorism.

Thank you, Sir. With these words, I support this Bill.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir for giving me this opportunity to speak. This is another Bill relating to prevention -- Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill. Before taking up this Bill, we have just now discussed and passed the Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill.

So, we are discussing the Bills concerning prevention after prevention. Money laundering is earning money with illegal activities. Now, we are discussing about the unlawful activities.

Firstly, there should be a clear idea and demarcation as to what are the illegal activities and what are the unlawful activities.

It appears that this sort of a Bill has been brought again under compulsion of the global fora. As our Government happens to be the signatory, these sorts of Bills are coming.

The Standing Committee has made some valuable recommendations. But it is not understood why the family would be identified as a person. A person and a family are not identical. So, what is the reply in this regard? It should be clarified in clear terms whether all the family members should be identified as a single person.

My next point is this. About any association with terrorist outfit, the time has now been extended from two years to five years. What is the reason behind it? Even for a single day, association with the terrorist outfit is allowed. If it is allowed for two years, is it allowed up to five years? Why is such a definition there and why is such an enhancement of the year being made? Please clear all these things.

Otherwise, the Bill is all right. I do support it. I think nobody is there to oppose this Bill. But all these aspects are very important.

18.00 hrs.

Another unlawful activity very clearly mentioned by several speakers here is about the fake currencies and also about the illegal foreign currencies. It is spreading over different parts of our country. All these things are there. The laundered money is being used for terrorist activities. Not only that, but the laundered money is being used for some political purposes and political activities also. Why will all they be escaped? Why will they all not be brought into this Bill for consideration? All these things should be considered.

MR. CHAIRMAN : Panda Ji, do you want to conclude in a minute or do you want to continue tomorrow?

SHRI PRABODH PANDA : I am ready to continue my speech even tomorrow.

MR. CHAIRMAN: If you can finish it in a minute, then you can continue now.

SHRI PRABODH PANDA : I may continue tomorrow.

MR. CHAIRMAN: All right, thank you. For you it may be a very difficult exercise. Be on your feet till tomorrow.

MR. CHAIRMAN: Now, we are taking up ‘Zero Hour’ submissions—Mr. Bwiswmuthiary. Please be brief.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Please give me ample time because I have to apprise the entire House of what is going on in my Bodoland.

The ongoing atrocities and harassment meted out to the Bodo tribal people within Bodoland Territorial Areas District in lower Assam by the police and other security personnel by indiscriminate arrest, detention of innocent Bodo tribal people and also the use of both physical and mental torture on them on the pretext of nabbing the miscreants involved in the recent fresh violence that broke out in Bodoland areas in the second week of November 2012 have become a matter of serious concern and great regret.

It is also extremely unfortunate that the Bodo tribal community as a whole is being singled out as solely responsible for the recent violence in Bodoland and lower Assam while the aggressors, who attacked the Bodos, are being treated as the sole victims of the violence. Such discriminatory actions against the indigenous Bodo tribal people amount to violation of their human rights, civil liberties as well as their indigenous people’s rights. It is also a notable fact that these arbitrary actions of the State administration have compounded the problem of resettlement of the genuinely villagers who were displaced.

Under such circumstances, the Bodo tribal people have been left with no other alternative but to demand for the creation of the much long awaited separate State of Bodoland at the earliest possible as the final solution to their multifarious ethno-political and socio-economic problems and issues.

I, therefore, strongly urge upon the Union Government of India to take appropriate steps to help and expedite the process of the creation of a separate State of Bodoland in the northern bank of the River Brahmaputra in line with the States of Jharkhand, Uttarakhand and Chhattisgarh created in 2000 in order to

accord equitable political and economic justice to the people of the proposed Bodoland State.

Further, I also strongly urge upon the Union Government of India to restrain the State Government of Assam from letting loose a severe kind of reign of terror among the Bodo tribal people with immediate effect.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण और लोकहित के प्रश्न को यहां रखने का मुझे मौका दिया है।

केंद्र सरकार ने चालू वर्ष में धान का न्यूनतम मूल्य तेरह सौ रूपए से अधिक प्रति क्विंटल तय किया है। किसान आशान्वित थे कि वे अपनी धान की पैदावार को राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित संस्थाओं या भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर बिक्री कर तय राशि प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय पैमाने पर धान की अधिप्राप्त त्वरित गति से की जा रही है। हरियाणा और पंजाब में तो तय लक्ष्य से भी अधिक धान की खरीद हो चुकी है। बिहार राज्य में, विशेष कर धान उत्पादन वाले जिले बक्सर, रोहतास, कैमूर तथा भोजपुर में आज तक न तो राज्य सरकार का और न ही केन्द्र सरकार का एक भी क्रय केन्द्र खुल पाया है। किसानों की आधे से अधिक फसल बिक्री लायक तैयार है तथा 10-15 दिनों में धान सत-प्रतिशत बिक्री लायक तैयार हो जाएगी। ऐसी हालत में किसान मायूस है तथा बिचौलियों को 700-800 रूपये प्रति क्विंटल धान बिक्री करने के लिए मजबूर हैं अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा तय राशि का 40 प्रतिशत भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से धान के लिए लगाई गई पूंजी भी लौटने की संभावना नहीं है। गत वर्ष भी किसानों को भारी हानि उठानी पड़ी थी। इस वर्ष तो लगता है कि किसान सदा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। गत वर्ष की अपेक्षा धान की फसल अच्छी है क्योंकि सुखाड़ के बावजूद सरकार के द्वारा तय राशि पर खरीद के आश्वासन पर किसानों ने पूंजी निवेश किया था जो भारी घाटे का कारण बन गया है।

महोदय, किसानों को खेती के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी धान की बिक्री से ही प्राप्त होना है। बिक्री पर घाटा और गेहूं की खेती के लिए पूंजी का अभाव अर्थात किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। सरकार के गोदामों में खाली स्थान नहीं है तथा गत वर्ष का अधिप्राप्त का बिहार के गोदाम में 40 प्रतिशत भी धान-चावल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा नहीं लिया जा सका है। चारों तरफ से व्याप्त आराजकता के कारण बिहार राज्य के किसानों में भारी क्षोभ व्याप्त है तथा खेती के लिए असुरक्षित वातावरण के चलते निराश हैं।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी हालत में किसानों को केन्द्र सरकार आगे आ कर भरोसा दे कि किसानों की धान की पैदावार की कीमत दी जाएगी जिससे चालू रबी की फसल पैदा करने के लिए उनके हाथ में पूंजी होगी और वे ऋणग्रस्त नहीं हो पाएंगे।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): आपने लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। मैं श्रावस्ती निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हूं, वह न ही सिर्फ पर्यटन स्थली है बल्कि अंतराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ एक ऐसा जनपद है जो डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही पीछे है।

मान्यवर, शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ - श्रावस्ती जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सामरिक महत्व, पर्यटन स्थल वन्य जीव और संरक्षित वन क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विकास की बाट आज भी जोह रहा है। विकास की सूची में सबसे पीछे होने के कारण और वन क्षेत्रों से अच्छादित होने के कारण नेपाल के माओवादी और बिहार तथा झारखंड नक्सलवादियों का एक गढ़-सा बनता जा रहा है। चीन, जो भारत की तरफ कुदृष्टि लगाए बैठा है, वह भी उसी रास्ते से बराबर पैर जमाने की कोशिश करता रहता है। ऐसे जनपद में आज तक रेलवे लाइन का न होना, रेल ट्रैक का न होना एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।

महोदय, आपके माध्यम से इस सदन से, यूपीए सरकार और यूपीए सरकार की चेयरपर्सन, माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय रेल मंत्री पवन बंसल जी का बहुत ही आभारी रहूंगा कि अगर वे अपनी दृष्टि इस जनपद पर डालें। वहां की जनता आज भी बड़ी टकटकी निगाह से इस सरकार की उस महत्वपूर्ण फैसल की ओर देख रही है कि कब श्रावस्ती जनपद को रेल मार्ग और रेल सुविधाएं मुहैया होंगी और वह विकास की गति में आगे बढ़ेगा। विगत रेल मंत्रियों की दृष्टि उधर नहीं गई। मैं बराबर आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करता रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार निश्चित रूप से आने वाली बजट में रेलवे का विस्तार श्रावस्ती को अवश्य मिलेगा।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please be very brief. Many Members are waiting for their turns.

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नरेगा के तहत जो मिसिंग लिंक रोड है, मैं उसके डामरीकरण के लिए सरकार से मांग करता हूं और सुझाव भी है। नरेगा की वजह से किसानों को मजदूर नहीं मिलते। इसलिए किसानों को नरेगा से जोड़ा जाए जिससे वह ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करेंगे। वह अनाज सस्ता मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Mr. Chairman, Kerala is the leading State in cocoa cultivation. The fall in price of cocoa has put the farmers in a crisis situation and they have started cutting down their trees. Even though cocoa output in the

country has been far lower than the demand, the crop is not getting good price. Due to high price of fertilizer and other input cost, farmers are unable to meet the production cost at the current price. The Government sponsored schemes and programmes for the promotion of cocoa cultivation need to be more effectively implemented.

I request the Government to take necessary steps to help cocoa farmers by allowing subsidy and other supportive measures.

SHRI NRIPENDRA NATH ROY (COOCH BEHAR): Mr. Chairman, thank you for giving me this opportunity.

It is a painful matter that I wish to bring to the notice of the Ministry of Road Transport and Highways as also the National Highways Authority of India through this august House. Even after several correspondences having been made in respect of maintenance and repair works of the dilapidated National Highway 31D between Siliguri and Maynaguri and National Highway 31 from Maynaguri to Coochbehar, including two main bridges, namely, Teesta bridge on NH 31D and Jaldhaka bridge on NH 31, they are mostly in neck-break condition with large potholes everywhere. As a result, the total traffic movement on these highways has been jeopardized. Several accidents are occurring daily, but the Ministry is not hearing us and no fruitful action has been taken by the Authority so far. Further, I want to mention that these National Highways are the only connecting roads between the northeast and the rest of India.

I would, therefore, urge upon the Ministry to take suitable action on this request and earmark and release a substantial fund so that the repair and maintenance work on NH 31D and NH31 as also on the two bridges can be done immediately.

महोदय, यह उत्तर बंगाल का मामला है। मेरी मांग है कि जल्दी-जल्दी मंत्री जी से बोलिए कि यह नैशनल हाईवे है, इसे ठीक करवाइए क्योंकि यह नार्थ-ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार है - सिलीगुड़ी से माइनागुड़ी, माइनागुड़ी से कूच बिहार। यही मेरी मांग है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2012 को दिए गए आदेश की भट्टों की ईंट, मिट्टी, खनन के संदर्भ में भ्रामक व्याख्या करके देशभर के ईंट भट्टों को वर्तमान सीजन में बंद करने के लिए विवश कर दिया गया है। दीपक कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स नामक रिट याचिका में दिए गए उक्त आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि खनन पट्टे आवंटित करने या उनका नवीनीकरण करने के पूर्व खननकर्ता को पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकारों को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुपालन में स्थानीय प्रशासन ने ईंट, मिट्टी, खनन के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय के आदेश की भ्रामक व्याख्या करके कच्ची ईंटों की पथाई का कार्य रोक दिया जिसके परिणामस्वरूप देश के लगभग एक लाख चालीस हजार भट्टे बंद होने को मजबूर हो गए।

महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित निर्णय में पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता का प्रावधान उन बड़े सरकारी पट्टों के लिए किया जाना है जिनके द्वारा बालू, मोरंग, गिट्टी आदि के खनन कार्य बड़े पैमाने पर किए जाते हैं जबकि ईंट भट्टे में ईंट मिट्टी निकालने की अनुमति उस जमीन के मालिक किसान को उसका हर्जाना देकर प्राप्त की जाती है अथवा भट्टा स्वामी निजी भूमि से ईंट निकालता है तथा नियमानुसार सरकार को उसकी रायल्टी देकर परमिट प्राप्त करता है। स्वाभाविक ही माननीय न्यायालय के आदेश ईंट मिट्टी के खनन पर प्रभावी नहीं होने चाहिए।

महोदय, इन भट्ठों के बंद होने से इस कारोबार में लगे लगभग 4 लाख भट्ठा व्यवसायी संकट में हैं। देश भर में कुटीर उद्योग की तरह चलने वाले इस उद्योग से सीधे रोजगार पाने वाले लगभग साढ़े तीन करोड़ मजदूरों की रोजी-रोटी संकट में है। साथ ही केन्द्र व प्रदेश सरकार को मिलने वाला राजस्व भी कम होने वाला है। केवल उत्तर प्रदेश में संचालित लगभग 16, 500 ईंट भट्ठों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है तथा सम्पूर्ण देश के 1 लाख 40 हजार ईंट भट्ठों से 5 हजार करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होती है। ईंटों का निर्माण बंद होने से देश के बुनियादी ढांचे सड़क, मकान, भवन आदि के निर्माण में भी बाधा पहुंचेगी तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बड़ी मात्रा में कम हो जायेंगे।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि सरकार इस विषय में हस्तक्षेप करे तथा ईंट भट्ठों को पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता से मुक्त करने तथा ईंट मिट्टी को

माइनर मिनरल की श्रेणी से बाहर किए जाने के आदेश देकर ईंट भट्ठों के संचालन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैंने भी इस विषय में नोटिस दिया है इसलिए मैं इस पर एक मिनट बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्र श्री अग्रवाल जी ने अभी यह ईंट भट्टे का मैटर उठाया है। यह बात सत्य है कि यह ईंट भट्टे के विषय मैंने नियम 377 के अन्तर्गत भी दिया था। आज उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के आंकड़े देखे जायें तो आपने ईंट भट्टों की संख्या 1 लाख 40 हजार बतायी। हमारा कहना है कि छोटे भी ईंट भट्ठे होते हैं जो गांव में लोग लगाकर कार्य करते हैं, उस पर भी रोक लगा दी गयी है। लगभग 2 लाख के करीब ईंट भट्ठे इस समय बंद होने के कगार पर हैं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह सीधा, खासकर जो मजदूर हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल है। आज करोड़ों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। वे भुखमरी के कगार पर हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम विकास के कार्य अवरूद्ध पड़े हुए हैं। ईंट भट्ठे के जो मालिक हैं, वे अपने ईंट भट्ठों को रिजर्व किये हुए हैं और बहुत ही महंगे दामों पर बेच रहे हैं। आज असंतुलन की स्थिति एक तरीके से महंगाई की स्थिति बनती जा रही है।

मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें दखल दे और तत्काल सर्वोच्च न्यायलय पर काउंटर फाइल करे और जो पर्यावरण, प्रदूषण से संबंधित एनओसी लेने की बात है, उसमें सरलीकरण करे, ताकि ईंट भट्ठे उद्योग चालू हो सकें। प्रदेश और देश का विकास हो और हजारों करोड़ मजदूर जो भुखमरी के कगार पर हैं, उनको रोजगार मिल सके।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri Ganesh Singh, Shri Arjun Ram Meghwal and Shri Kamal Kishor 'Commando' are associating with the matter raised by Shri Rajendra Agrawal.

SHRI P. KARUNAKARAN : Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the Government and the concerned Minister to the serious problems and grievances of the workers engaged in the Centrally-sponsored schemes. There is no doubt that the Centrally-sponsored schemes are the great contributions of the Central Government. These schemes are being implemented through the block panchayats and the gram panchayats. Thousands of workers are engaged in these

Centrally-sponsored schemes, but they are having some grievances. For example, you take anganwadi teachers, and helpers and workers under SSA, and also ASHA workers. There are thousands and thousands of workers who are engaged in these schemes, but it is unfortunate to note that they are poorly paid. They are not getting the minimum wages, bonus or PF; they are only getting very low honorarium.

Just two days back, about 50,000 workers had come to Delhi, the capital of our country, and staged a two-day *dharna* demanding that they want to get at least the minimum wage of Rs. 10,000 and other facilities. Our Government has really the financial soundness to give tax exemptions to the upper classes and other sections. At the same time, these Centrally-sponsored schemes are being implemented through these workers only and I am sure that 95 per cent of them are women workers. So, the Government has to take a serious note of it. They have also given a representation to the hon. Prime Minister.

I would request and urge upon the Government to take necessary steps in this regard.

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्गों की आज जो हालत है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे प्रश्न के दो पहलू हैं - एक प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत अत्यंत खराब हो चुकी है, वे गढ्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, उनके सुधार के संदर्भ में है। दूसरा, जिन सड़कों को फोरलेन बनाना है, उनके एलाइनमेंट का सुधार तथा उस पर जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उसके लिए बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बारे में कहूंगा कि मध्य प्रदेश में लगभग 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और लगभग सारी सड़कें गढ्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, 20 किलोमीटर के रास्ते को पार करने के लिए दो से ढाई घंटे का समय लगता है। मैं विशेष रूप से अपने लोक सभा क्षेत्र सतना के बारे में बताऊंगा। सतना लोक सभा क्षेत्र में बेला से जबलपुर, जो एनएच-7 है, नौगांव से खजुराहो, सतना-बेला, सीधी-सिंगरौली, मनगवां से चाकघाट रीवां से हनुमना, भोपाल से सागर और छतरपुर, भोपाल से होशंगाबाद, जबलपुर से नांगपुर आदि कई ऐसी सड़कें हैं जिनकी हालत खराब हो चुकी है। हालांकि कई सड़कों को फोरलेन में घोषित किया गया है, लेकिन वे सारी सड़कें अत्यंत खराब हो चुकी हैं। उनमें सुधार

का कार्य नहीं हो रहा है और कोई बाइपास भी नहीं दिया गया है, उसी गढ्ढे से होकर सारे वाहनों को जाना पडता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 में मैहर के पास पोडी एक गांव हैं, एनएच के किनारे है। वहां श्री राम जी दरबार का एक बहुत बड़ा मंदिर है, जहां लाखों लोगों का आना-जाना होता है। उसका थोड़ा सा हिस्सा फोरलेन के अधिग्रहण में आ रहा है। मैंने विभाग से कहा था कि इसमें थोड़ा संशोधन कर लें, मंत्री जी ने कई बार मुझे आश्वस्त भी किया, लेकिन अभी तक उसमें कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। कृपया एलाइनमेंट में सुधार किया जाए। जो राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन बनने वाले हैं, उनके लिए जो जमीन अधिग्रहीत की जा रही है, बहुत सस्ते दाम पर उसके लिए मुआवजा दिया जा रहा है जबकि हम सभी को पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाली जमीनों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, कहीं भी, देश के किसी भी हिस्से में 50 से 60 लाख रुपये से कम प्रति एकड़ जमीन नहीं है। लेकिन वहां पर बहुत सस्ते दाम पर जमीन अधिग्रहीत हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करें और जो राजमार्ग खराब हो गए हैं, उनको चलने लायक बनाने के लिए राज्यों को पैसा उपलब्ध कराएं। मध्य प्रदेश में 188 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से132 प्रस्तावों पर अनुमोदन हुआ है, लेकिन पैसा आज तक नहीं गया है। मेरा निवेदन है कि उनके सुधार के लिए पैसा पहुंचाया जाए। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): महोदय, मैं श्री गणेश सिंह जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I want to raise a matter during the *Zero Hour* to draw the attention of the Minister of Textiles. It is a matter, which is affecting a large number of people in our State.

In our State, there are several million jute farmers, and 2.5 lakh jute workers. Jute industry is the biggest industry in West Bengal as also in Andhra Pradesh, Bihar and other places. Now, to save this industry, the late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi in 1987 introduced the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987. Under the Act, 100 per cent food grains and 100 per cent production of sugar is supposed to be packed in jute bags. Earlier, there was a provision for cement packaging. Now, under pressure from the cement lobby, this has been given up. Now, what has happened is that the Cabinet Committee on Economic Affairs held on 11 October 2012 decided to dilute this provision. Under the new decision, 90 per cent of food grains

and only 40 per cent of the production of sugar would be packed in jute bags. This will mean that the production in jute mills will have to be cut down, and this will be a terrible blow to the jute farmers, jute workers and the jute industry as a whole. This must have been decided due to the pressure of the synthetic lobby, that is, those who make synthetic bags.

I strongly protest against this, and I would request the Government to take back this decision. Due to this decision, already the price of raw jute, which was earlier Rs. 2,200 per quintal, has fallen to only Rs. 700 per quintal. The jute farmers will starve if this decision is not withdrawn. The jute mills are cutting down production and workers might lose their jobs. It is unfortunate that the Government has taken a decision which will deal a terrible blow to the dream of late Rajiv Gandhi Ji who wanted to save the jute industry.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to raise an urgent matter of public importance.

There has been a consistent demand for introduction of Inner Line Permit System in the North-Eastern States of India, Manipur in particular.

On July 12, 2012, the State Cabinet resolved to urge the Government of India to extend the provisions of the Bengal Eastern Frontier Regulations, 1873 to the State of Manipur. On 13th July, 2012, in consonance with the public demand, the State Assembly unanimously passed a Private Member's Resolution which read:

> "That the Manipur Legislative Assembly passes a Resolution to extend and adopt the Bengal Eastern Frontier Regulations, 1873, with necessary changes in the point of details to the State of Manipur and to urge the Government of India to comply with the same."

In this connection, I seek the indulgence of this august House to the fact that the Inner Line Permit System, indeed, did actually exist in the State, the erstwhile Manipur Kingdom. Manipur lost her independence to the British in 1891. At that point of time, Manipur did have a Permit System for entry into and exit from

Manipur, that is, Inner Line Permit System. On 14th August, 1947, when British paramountcy lapsed, Manipur automatically regained her independence. Manipur did have a written Constitution and an elected National Assembly. The State remained a Monarchy till October 15, 1949, and Manipur got merged into Union of India. On 26th February, 1948, through the Council, that is, a Cabinet Resolution of the then Government approved the retention of that Permit System in the State of Manipur. On November 18, 1950, the then Chief Commissioner of Manipur abolished the Permit System. What a tragic incident!

Now, the people of Manipur want the reintroduction of the Inner Line Permit System in the State to stop the influx of the illegal migrants.

Sir, I strongly urge upon the Union Government and the Home Ministry in particular to immediately look into the matter of introducing Inner Line Permit System in the State of Manipur.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): धन्यवाद सभापति जी, बिहार के नवादा जिला में अपर-सकरी नदी में, सन् 1984 में, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह ने बक्सोती बराज डैम का शिलान्यास किया था और 27 वर्षों के बाद वर्तमान बिहार सरकार ने इस बराज डैम की समीक्षा करते हुए 2011-2012 में मंत्री-परिषद् की बैठक में पुनः निर्णय लिया कि इस बराज डैम का कार्यान्वयन हो और 700 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी। यह योजना केन्द्र सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुमोदन के लिए बिहार सरकार की ओर से प्रस्तावित हुई और भारत सरकार ने इस योजना के संबंध में कुछ तकनीकी मुद्दों को उठाया और पुनः यह योजना बिहार के पास कुछ तकनीकी सुधार के लिए वापस भेज दी गयी। बिहार सरकार ने इसमें सुधार करते हुए केन्द्र सरकार के पास वर्तमान वित्तीय वर्ष में भेजी और केन्द्र सरकार ने इसे प्रारम्भिक तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है। केन्द्र सरकार का यह कदम और बिहार सरकार का यह प्रयास जनहित में अत्यन्त सकारात्मक है और इससे लगभग 50 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। अपर-सकरी नदी के पानी को लिफ्ट कर नहर के द्वारा सिंचाई की यह व्यवस्था होनी है, जिसमें बहुत देर हो चुकी है। योजना का लागत खर्च भी कई गुना बढ़ चुका है और अगर इसमें देर हुई तो यह योजना भी काल के गर्त में समा जाएगी।

अतः भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं और यह मांग भी करते हैं कि वह इस योजना का जो लागत मूल्य है, उसकी स्वीकृति देकर नवादा जिला जिसके सुखाड़ हिस्से में सिंचाई की व्यवस्था करे ताकि

किसानों के खुशी के दिन बहुरें और इससे सिंचाई के साथ-साथ बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा। इस ओर मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में हिमाचल प्रदेश सहित पूरे भारत के सेब उत्पादकों को सेब में आयात शुल्क कम होने का मामला लाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां विशेष तौर से शिमला, किनौर, मंडी, कुल्लू में सेब उत्पादन के लिए अनुकूल मौसम है। प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में 90 प्रतिशत उत्पाद सेब के रूप में होता है और 1.6 लाख परिवार इसके उत्पादन से जुड़े हैं। साथ ही प्रदेश की इकनोमी में अकेले सेब उत्पादन का लगभग 6 प्रतिशत योगदान है। लेकिन सेब का आयात गत वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां वर्ष 2006-07 में 35,862 मीट्रिक टन का सेब आयात हुआ, वहीं वर्ष 2010-11 में यह 1,15,391 मीट्रिक टन सेब आयात हुआ जो लगभग तीन गुना अधिक है। जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश के सेब उत्पादक अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं और आयात किए गए सेब के कारण बाज़ार में भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आयात किया हुआ सेब पर आयात शुल्क कम है, जिसके कारण भारतीय सेब बाज़ार की प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के समक्ष यह मामला वर्ष 1999 से लगातार उठाया और वर्ष 2000-01 में भारत सरकार ने आयात शुल्क 50 प्रतिशत बढ़ाया था, लेकिन यह आयात शुल्क इतना नहीं बढ़ा जिससे भारतीय सेब और आयात किया हुआ सेब समान प्रतिस्पर्द्धा में बाज़ार में आए।

अतः सभापति जी आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से यह आग्रह है कि सेब पर अंगूर की तर्ज़ पर सौ प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाए ताकि प्रभावित सेब उत्पादकों को राहत मिल सके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से विश्वविद्यालय आयोग, जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्रदान करता है, की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता है। ऐसा ही एक प्रकरण में मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर मुख्यालय स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का है। प्रकरण 12बी की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने सिफारिश की है तथा इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी यूजीसी को सिफारिश के साथ मान्यता के लिए पत्र प्रेषित किया है, लेकिन यूजीसी द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विगत दिनों में राजस्थान के राज्यपाल का बीकानेर दौरा था और बीकानेर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं। सभी ने कहा कि हमारा यही एक विश्वविद्यालय है, जो कि उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है और 12बी की दोनों शर्तें पूरी करता है। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए सभी

संस्थाओं एवं ख्यातिनाम शिक्षाविदों ने महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को यूजीसी द्वारा 12बी की मान्यता दिलवाने के संबंध में राज्यपाल को भी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं, तो आप इसे 12बी की मान्यता क्यों नहीं देते हैं। बीकानेर राजस्थान के रेगिस्तानी भू-भाग का हृदय स्थल है तथा जीईआर में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री से मांग करता हूं कि बीकानेर स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम 12बी के तहत मान्यता दिलवाने की व्यवस्था कराएं, जिससे बीकानेर संभाग की सभी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राहत उपलब्ध हो सके।

MR. CHAIRMAN : I thank all the hon. Members for your cooperation. The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 30th November, 2012 at 11 am.

18.34 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, November 30, 2012/Agrahayana 9, 1934 (Saka).

____